जय हो हिन्दुस्तान की

सम सामयिक लेख संग्रह

हितेश कुमार शर्मा

गणपति भवन सिविल लाइन, बिजनौर 246701 (उ०प्र०) भारत

जय हो हिन्दुस्तान की

(समसामयिक लेख–संग्रह)

रचयिता

डॉ. हितेश कुमार शर्मा

गणपति भवन, सिविल लाईन्स, बिजनौर 246701 (उ.प्र.)

जय हो हिन्दुस्तान की

2013

प्रथम संस्करण

मूल्य रु॰ 300/- मात्र प्रति पुस्तक

लेखक

हितेश कुमार शर्मा

गणति भवन, सिविल लाइंस

बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)

टाइप सैटिंग : हरिओम कश्यप

प्रकाशक

हरिगंगा प्रकाशन गणपति भवन, सिविल लाइंस,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰) भारत

मुद्रक

अग्रवाल ग्राफिक्स, 350 जत्तीवाड़ा, बुढ़ाना गेट, मेरठ

भूमिका

जागते रहो! जागते रहो!! जागते रहो!!! तेज आवाज में गाँव की गली–गली घूमता हुआ चौकीदार गाँव के लोगों को जागरूक करता रहता है उसी भाव उद्देश्य से हितेश कुमार शर्मा एडवोकेट समय–समय पर देश एवं जनता के हित में शासन–प्रशासन तथा पक्ष–विपक्ष के राजनेताओं को धारदार शब्दों में प्रताड़नायुक्त लेख प्रकाशित करते रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक महाविचारों का अथाह समुन्दर है **जय हो हिन्दुस्तान की** लेखों का संकलन अभूतपूर्ण एवं अद्भुत है, जो जैसा पढ़ेगा वैसा मानेगा यही उद्देश्यपरक लेख समाज व राष्ट्र को नवीन दिशा देंगे ऐसा विश्वास है। परोक्ष–अपरोक्ष में उनके लेखों का प्रतिफल दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा अपितु भाव बोध का परिचायक भी है।

विश्व प्रसिद्ध भारतीय लोकतंत्र की जीवन्तता एवं उसे अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख लिखे है। प्रासंगिक हैं। **जय हो हिन्दुस्तान की** उन्हीं लेखों का संकलन है, जिनका उद्देश्य और प्रासंगिकता कभी घटेगी नहीं वरन उनकी उपादेयता सुधि पाठकों को सदैव अनुभूत होगी।

मैं व्यक्तिशः सभी लेखों को प्रशंसनीय और श्लांघनीय मानता हूँ। प्रत्येक लेख को उद्धृत करना असम्भव है लेखक की चर्चित पुस्तक **हितहजारिका** (एक हजार दोहों का संग्रह) सद्य

दिनन प्रकाशित हुई है उसमें प्रकाशित सीधे सपाट किन्तु हाथी नियंत्रक अंकुश की भाँति तीक्ष्ण प्रहारक दोहों की ही जय हो हिन्दुस्तान की पुस्तक में सीधी सरल भाषा में रूपान्तरित किया जाना ही प्रत्यक्षतः लक्षित है यथा–

एक दूसरे पर रहे, कींचड़ सभी उछाल।
भले बुरे का अब नहीं, शेष रहा न सवाल।।
संसद मंत्री, विधायक, रहे देश को लूट।
पूरी उन्हें स्वतंत्रता, घोटालों की छूट।
यूँ तो कहते हुए खुश हम, स्वतंत्र सुख धाम।
अँग्रेजी का है अभी, अपना देश गुलाम।।
भूख, अशिक्षा, बेकारी, व्याप्त यहाँ है नाथ।
सब अपनी ही हाँकते, जिसके लाठी हाथ।।

किसी भी लेखक/कवि का मन–मस्तिष्क सपेरे की पिटारी जैसा होता है। अन्तर केवल इतना होता है, कि सपेरे की पिटारी में भाँति–भाँति के साँप होते हैं जिनमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि छूने मात्र से व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। किसी साँप का दंश यदि किसी के शरीर में लग जाये तो उसके प्राणान्त में विलम्ब नहीं होता। इसी प्रकार प्रखर लेखक स्वनाम धन्य हितेश शर्मा के मन–मस्तिष्क में कतिपय विचार शृंखला तो सुनामी लहरों के आन्दोलित प्रहार से पीढ़ी दर पीढ़ी आवेष्ठित रहेगी। युवा पीढ़ी के आवेग से तो सत्तारूढ़ सरकार धार–धार ही नहीं होती चकनाचूर हो जाती है। सम्भवतः पाठकों को स्मरण होगा कि विद्वान लेखक का शबद–प्रहार तो तीर के वार से गहरा प्राण घातक होता है। प्याज जैसी सब्जी ने केवल जनता को रूलाया अपितु सरकार को श्मशान घाट तक पहुँचाया है।

जय हो हिन्दुस्तान की लेखमाला हितेश कुमार शर्मा जी के भाव प्रणव विचार अक्षय शक्ति बोध से कम नहीं है अनेक लेख तो ऐसे हैं, जिनके प्रभाव से शासन–प्रशासन हिल जाये।

प्रत्युत्त, मुझे तो कविवर सुमित्रानन्दन पंत की पंक्तियाँ हितेश कुमार शर्मा जी के लेखों पर सटीक बैठती सी लगती हैं वियोगी होगा पहला कवि/लेखक जिसकी आह से उपजा होगा। गान, **"जय हो हिन्दुस्तान"** जो कली रूप अधरों से निकली होगी कविता गंगोत्री, यमनोत्री जैसी अजस्त्र धारा जिसने हरा भरा किया ऊसर सुनसान। ऐसे ही जाग्रत किया इंसान का मूर्त्त रूप है– **"जय हो हिन्दुस्तान की"**

जय हो हिन्दुस्तान की संकलित लेख तीस।
सभी है प्रभावशाली तुलना में इकतीस।।
लेखक का प्रयास सफल करिये स्वागत मान।
मेरी शुभकामना है जय हो हिन्दुस्तान।

जय हिन्द

दिनांक 30 मई 2013
सुमन सदन
धामपुर (बिजनौर)
मो० 9927233603

चरण सिंह 'सुमन'
स्वाधीनता संग्राम सेनानी
उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित
लोकतंत्र रक्षक सेनानी

अन्तर्विचार

देश में जब भी कभी कोई घटना होती है, तो मन उद्वेलित होता है और जब मन उद्वेलित होता है, तो जब–तक उस उद्वेग को कागज पर न उतार दिया जाये तब–तक मन शान्त नहीं होता। कतिपय घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो उन घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों की प्रताड़ना के लिए विवश हो जाती है और तब लिखना अवश्यम्भावी हो जाता है। 'जय हो हिन्दुस्तान की' ऐसे लेखों का संग्रह है, जो समय–समय पर अखबारों में प्रकाशित होते रहे हैं और सुधि पाठकों द्वारा सराहे भी गए हैं। कुछ मित्रों ने लिखा कि मैं इन लेखों का संग्रह प्रकाशित कराऊ तो यह संग्रह आपके सामने हैं। समसामयिक घटनाओं पर जो भी मैंने लिखा है वह आपको जैसा भी लगे मुझे अवश्य लिखियेगा ताकि या तो लिखना जारी रहे अथवा विराम कर दिया जाये। इन लेखों के लिखने से मेरे मन का उद्वेग अवश्य शान्त होता है किन्तु जनसाधारण पर अथवा महाबली प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी नेता का कोई संदेश अथवा पत्र इस बारे में नहीं आया है।

मेरे विनय पूर्ण आग्रह पर श्रद्धेय वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान साहित्यकार श्री चरण सिंह 'सुमन' जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने का मेरा अनुरोध स्वीकार किया, जिसके लिए मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। श्री चरण सिंह 'सुमन' बिजनौर का गौरव हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लोकतंत्र रक्षक सेनानी एवं महान

साहित्यकार हैं। उनकी इस कृपा के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा।

मेरी धर्मपत्नी उषा शर्मा मुझे राजनीति से दूर रहने के लिए कहती हैं तथा इस प्रकार के लेख लिखने के लिए भी वह सहमत नहीं होती किन्तु उनके सहयोग के बगैर लेखों का एकत्रीकरण तथा प्रकाशन सम्भव नहीं था। साहित्य में मेरा विशेष स्थान उनके सहयोग से ही बन सका है।

श्री राजन चौधरी हैदराबाद तथा डॉ. रामस्वरूप आर्य का विशेष अनुग्रह मुझ पर रहता है और जब कभी भी मेरा कोई लेख यह दोनों व्यक्ति पढ़ते हैं तो उसके सम्बन्ध में मुझसे अवश्य बात करते हैं। श्री राजन चौधरी समय–समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं तथा डॉ. रामस्वरूप आर्य मुझे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन दोनों के प्रति मैं सदैव ऋणी रहूँगा। वास्तव में इन दोनों व्यक्तियों ने मेरी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया।

श्री हरिओम कश्यप ने इन लेखों को टाइप किया, समाचार पत्रों को भेजा तथा बाद में इनको एकत्रित करके पुस्तक का आकार दिया। उसके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

इससे पूर्व मेरी समसामयिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक अत्र–तत्र–जनतंत्र प्रकाशित हो चुकी है, जिसकी भूमिका अग्रज समान श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी 'पराग' ने लिखी थी और उनकी लिखी भूमिका ने मुझे इस क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसके लिए मैं श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी का अभिनन्दन करता हूँ। श्री भोलानाथ त्यागी जब भी मिलते हैं तभी मेरे किसी न किसी लेख के बारे में अथवा मेरी कविता के बारे में दो शब्द अवश्य कहते हैं और वह हैं– 'आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।' इन शब्दों से मेरा उत्साहवर्धन होता है। मुझे नई ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं श्री

भोलानाथ त्यागी को नमस्कार करता हूँ। उनका स्नेह ऐसे ही बना रहे और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। यह भी मेरी स्वार्थपरक कामना है।

जिन समाचार पत्रों ने मेरे लेखों को प्रकाशित किया और परोक्ष रूप से मुझे प्रोत्साहित किया उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना उचित समझता हूँ। क्योंकि किसी समाचार पत्र में लेख का प्रकाशित होना उस लेख की उपयोगिता को सिद्ध करता है। मैं ऐसे सभी समाचार पत्रों के सम्पादकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

अंत में मैं इस पुस्तक के पाठकों से आग्रह करूँगा कि यदि कहीं मैंने मर्यादा का पालन नहीं किया है या लेखकीय लक्ष्मण रेखा को लांघा है तो मुझे अवश्य सूचित करें, मेरा मार्गदर्शन करे और यदि आवश्यक हो तो अपनी नाराजगी भी व्यक्त करें। मैं स्वयं को सुधारने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ।

पुस्तक आपके समक्ष है। पढ़ने पर अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराये।

दिनांक 06 जून 2013 —**हितेश कुमार शर्मा**

गणपति भवन, सिविल लाइंस
बिजनौर 246701 (उ.प्र.)

जय हो हिन्दुस्तान की–1

जो विश्व में कहीं नहीं होता। जो प्रजातंत्र में कहीं नहीं होना चाहिए। वह भारतवर्ष में पूर्व निश्चित होता है। चुनाव आ रहे हैं, प्रत्येक पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपना–अपना प्रधानमंत्री सुनिश्चित कर लिया है। भा.ज.पा. के भावी प्रधानमंत्री रथ पर सवार हैं। काँग्रेस अपने युवराज में प्रधानमंत्री को देख रही है। ब. स.पा. में तो संशय की बात ही नहीं है और इसी प्रकार सपा भी प्रधानमंत्री के प्रश्न पर सुनिश्चित है। रालोद भी कभी–कभी सपने देखती है। क्या मजाक है कि जनता को अथवा जनप्रतिनिधियों को अपना प्रधानमंत्री चुनने का अवसर नहीं है, बल्कि पार्टी पहले ही तय कर लेती है और कहीं–कहीं तो बहुमत वाली पार्टी का मुखिया स्वयंभू प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम घोषित कर देता है। हो सकता है भा.ज.पा. अथवा काँग्रेस में प्रधानमंत्री के पद पर कोई परिवर्तन हो, किन्तु सपा, बसपा या रालोद में परिवर्तन नहीं हो सकता। योग्यता का कोई प्रश्न भारतवर्ष के चुनाव में नहीं उठता है और न ही न्यूनतम योग्यता सांसद या विधायक की सुनिश्चित है। देशभक्ति का भी कोई मापदण्ड नहीं है। कोई व्यक्ति कितना देशभक्त है, देश के लिए उसने क्या किया है। यह नहीं देखा जाता। केवल बाहुबल, केवल बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन होता है। जहाँ पार्टी का मुखिया या पार्टी हाईकमान किसी अन्य को प्रधानमंत्री पद के योग्य समझती है वहाँ कठपुतली प्रधानमंत्री होता है, निर्णय सभी हाईकमान के लागू होते हैं। देश के विकास में कोई योगदान हो या न हो, पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए। देशभक्ति का कोई

प्रतिशत हो या न हो केवल हाईकमान तथा पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए अथवा पार्टी का मुखिया बसपा या सपा जैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद मुट्ठी में रहता है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, जिनके परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, उनको भी यह अवसर मिल सकता है, बस होना यह चाहिए कि उनकी पार्टी बहुमत में आये अथवा सरकार बनाने की स्थिति में हो या उसकी पार्टी के सहयोग के बिना सरकार न बन सकती हो। पहले भी एक–दो बार बहुमत न होते हुए भी केवल प्रसन्नता के आधार पर, केवल कृपा के आधार पर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया है और यदि उसने नियोक्ता की इच्छानुसार कार्य नहीं किया तो समर्थन वापस ले लिया गया है। यह नाटक भारतवर्ष में ही सम्भव है, जहाँ योग्यता नहीं बाहुबल चलता है, बहुमत चलता है।

समय बदल रहा है और अधिकांश पार्टियों के मुखिया थके–थके से प्रतीत हो रहे हैं अतः अपने–अपने युवराज आगे बढ़ाये जा रहे हैं। ऐसे युवराज जो अभी राजनीति को गहनता से नहीं समझ सके हैं, उनको माननीय कहकर सम्बोधित किया जा रहा है और उनके वक्तव्य प्रकाशित किये जा रहे हैं, किसी–किसी युवराज का तो ऐसा फोटो देखने को मिलता है, जिसके राजनीति में बालिग होने पर भी संशय होने लगता है। काँग्रेस के युवराज पिछले काफी समय से देश का दौरा कर रहे हैं। दलितों के घर भोजन कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं और स्वयं को दलितों का मसीहा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्य हैं काँग्रेस के युवराज, जो बिना थके, बिना रूके देश के दौरे पर निकले हुए हैं। उनका दौरा, उनकी भाग–दौड़ कितनी सार्थक है, कितनी

देशहित में है और उससे कितना विकास हुआ है, कितना दलितों का उत्थान हुआ है, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है और कितनी गरीबी दूर हुई है, कितने भ्रष्ट नेता पकड़े गये हैं, कितने लम्बित वादों का निस्तारण हुआ है, सांसद निधि का किस प्रकार उपयोग हुआ है। यह कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, केवल उपलब्ध है तो उनकी यात्राओं का विवरण। उनका जन अदालत लगाकर समस्याओं को सुनना। जनता में अपनी पहचान बनाना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही स्थिति सपा के युवराज की है। वक्तव्य सम्भवतः उनकी ओर से बड़ी विद्वतापूर्ण ढंग से लिखवाकर दिया जाता है। सपा के मुखिया के साथ उनकी भी बचपन की फोटो प्रकाशित होती है। पोस्टरों में चित्रित होती है। किन्तु उन्होंने अभी तक देशहित का कार्य किया हो, किसी गरीब की सहायता की हो, किसी समस्या का समाधान किया हो या कोई ठोस बात ऐसी कही हो, जो जनहित में हो। ऐसा कुछ नजर नहीं आता। भले ही उनके नाम के पहले माननीय लिखना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी में चाटुकारों का एक विशेष महत्व होता है और प्रत्येक चाटुकार अवसर को भुनाने के लिए बेचैन रहता है। रालोद के युवराज भी भाग–दौड़ कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं। भाषण हो रहे हैं। लेकिन क्या किसी गरीब के राशन की चिन्ता उन्होंने की है। क्या किसी गरीब के मुकदमे की पैरवी उन्होंने की है। क्या किसी देशहित या जनहित का कार्य उनके द्वारा सम्पन्न हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। केवल पूज्य पिताश्री पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वह देख चुके हैं कि उनके किये अब कुछ नहीं हो रहा। अतः जिस प्रकार थके–थके पाँव को नई बैसाखियों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार थके हुए नेतृत्व को युवा

नेतृत्व की आवश्यकता पड़ जाती है। भले ही यौवन राजनीति से वाकिफ हो अथवा ना हो। इस संबंध में प्रशंसा करूँगा श्री पासवान और श्री देशमुख की, जिन्होंने अपने–अपने पुत्र को फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ाया और फिल्म उद्योग में उनका उत्साहवर्द्धन किया। वैसे तो राजनीति भी एक उद्योग हो चुकी है। वेतन के अतिरिक्त करोड़ों रुपये सांसद निधि के रूप में प्राप्त होते हैं। उनसे कितना विकास कार्य होता है इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता, ऐसी कोई जाँच नहीं होती, जिससे मापा जा सके कि जो सांसद निधि या विधायक निधि दी गई थी, उससे वांछित विकास कार्य हुआ अथवा नहीं। राजनीति में अरबों और करोड़ों के घोटाले की सम्भावना हर समय बनी रहती है और यह सबकुछ बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है जबकि अन्य व्यवसाय में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। साधुवाद है उन सभी राजनीतिज्ञों को जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया और अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा।

चुनाव आ रहे हैं, प्रत्येक पार्टी टिकट दे रही है, अपने–अपने समर्थक खड़ी कर रही है। टिकट देने की जो प्रक्रिया सुनायी पड़ती है, उसमें पार्टी अपनी तरफ से न तो किसी को टिकट देती है और न ही चुनाव लड़ने का खर्चा देती है। बल्कि व्यक्ति स्वयं पार्टी के पास जाता है, पार्टी कोष में टिकट के महत्व के अनुसार धनराशि चन्दे के रूप में देता है और वांछित टिकट प्राप्त करता है। प्रजा का कोई लेना–देना नहीं होता। प्रजा किसी को खड़ा नहीं करती और खड़ा नहीं कर सकती। सब स्वतः स्वयंभू आधार पर चलता है। जिस व्यक्ति के पास पार्टी कोष में देने के लिए धन उपलब्ध होता है वह जाकर टिकट ले लेता है। यह बात विशेष महत्व की नहीं है कि जनता उसे

पसन्द करती है अथवा नहीं। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देशभक्ति की है अथवा नहीं। उस व्यक्ति की योग्यता संसद अथवा विधान सभा के लायक है अथवा नहीं। केवल मात्र एक योग्यता आवश्यक है कि वह पार्टी कोष में कितना चन्दा दे सकता है। व्यक्ति का आचरण, चरित्र कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ टिकट देते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि व्यक्ति जीतने वाला हो, जिससे पार्टी मुखिया मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री बन सके। जनता की पसन्द ना पसन्द कोई मायने नहीं रखती। आज आवश्यक है कि इस संदर्भ में जनता में जाग्रति आये तथा जनता निर्दलीय रूप में ही सही अपना निज का प्रतिनिधि खड़ा करे। किसी पार्टी विशेष का थोपा हुआ व्यक्ति स्वीकार न करें। जनता पार्टी के मोह में न फँसे क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक पार्टी में ऐसा व्यक्ति ढूँढना सम्भव नहीं है, जो घोटाले से परहेज करता हो। हर पार्टी में कोई न कोई घोटालेबाज उपलब्ध है। यह आवश्यक नहीं है कि सब घोटालेबाज हों लेकिन बाहर से थोपे हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। अतः आवश्यक है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा करे और उसी को जिताये। पार्टी विशेष के समर्थन में वोट न दे। जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, जनता उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका आचरण, उसका चरित्र सबकुछ जाँच–परख कर वोट दे। भले ही त्रिशंकु सरकार बने। भले ही किसी पार्टी को बहुमत न मिले। किन्तु यदि अच्छे लोग, योग्य व्यक्ति सज्जन और सचरित्र पुरुष विधान सभा और संसद में जायेंगे तो घोटाले नहीं होंगे। स्विस बैंकों में जमा काला धन नहीं बढ़ेगा तथा देश का विकास तेजी से होगा। चुनाव उन्हीं का किया जाए, जिनमें देशहित और जनहित की भावना हो। स्वहित और पार्टी हित की

बात करने वाले को यदि वह योग्य नहीं है, सचरित्र नहीं है, सदाचारी नहीं है तो कदापि नहीं चुना जाना चाहिए। वोट पार्टी को नहीं, व्यक्ति को दें। यही देशहित में है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–2

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतवर्ष में व्यापार करने की अनुमति तत्कालीन शासकों से चाही थी और विदेशी चकाचौंध से प्रभावित शासकों ने अनुमति प्रदान कर दी थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार के बहाने पूरे देश पर अँग्रेजी सरकार का कब्जा करा दिया। हिन्दुस्तान को गुलामी भुगतनी पड़ी। केवल कुछ लालची राजाओं की गलती पूरे देश ने भुगती। वही प्रयास बार–बार हो रहे हैं। विदेशी पूँजी निवेश को बहुत समय से सरकारें आमंत्रित कर रही हैं और अब खुदरा व्यापार में भी विदेशी दुकानदारों की घुसपैठ को सरकार अनुमति दे रही है। खुदरा व्यापार के बहाने विदेशी, जो हमसे ज्यादा चतुर हैं और अवसर का लाभ उठाना जानते हैं, धीरे–धीरे व्यापार पर कब्जा जमाएँगे और फिर ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह से सरकार के गिरेबान पर भी हाथ डालेंगे। वर्तमान केन्द्र सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि विदेशी खुदरा दुकानें देश में खुलें यह तो वही जाने, लेकिन यह बड़ा घातक होगा। पूर्व में जिन लोगों ने अँग्रेजी शासन काल के अत्याचार सहें हैं। वह तो समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा किन्तु जिन लोगों ने अँग्रेजी शासन की त्रासदी नहीं झेली है वह इस बात को समझ ही नहीं सकते कि इन विदेशी व्यापारियों की देश में खोली गई खुदरा दुकानों से क्या हानि होगी। वस्तुतः हम दूरन्देशी भूल चुके हैं। हमें केवल आसपास का ही दिखायी देता है। विदेशी खुदरा दुकानों के जो दूरगामी परिणाम होंगे वह देशद्रोह की श्रेणी में आएँगे। ऐसे कई उद्योग हैं, जो आर्थिक संकट के कारण बंद हो गये हैं, या बन्द होने के

कगार पर हैं। सरकार उनको चलाने की क्यों नहीं सोचती। बरेली में रबर फैक्ट्री बन्द पड़ी है। यदि सरकार उसे चलाने की व्यवस्था करें तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिल सकता है। एक फैक्ट्री चलती है तो व्यापार कर, आयकर, उत्पाद शुल्क आदि बहुत से कर सरकार को मिलते हैं। राजस्व में वृद्धि होती है। इसी प्रकार की कई मिलें पूर्वी क्षेत्रों में बंद हैं तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भी कताई मिलें नहीं चल रही हैं। इनको चलाने की सोचने के स्थान पर हम विदेशियों को अपने यहाँ विदेशों में निर्मित वस्तुओं की खुदरा दुकान खोलने के लिए निमंत्रण दे रहे है। प्रान्तीय सरकारों में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री तमिलनाडु और कुछ स्टेटस ने भी ऐसी खुदरा विदेशी दुकानों का विरोध किया है। सराहनीय है विरोध। सम्भवतः केन्द्र सरकार भ्रमित हो गई है। बच्चों के हाथ में सत्ता देने से यही होता है। ऐसे कई निर्णय केन्द्र सरकार ने किए हैं, जो जनहित में नहीं है, देशहित में नहीं है और स्वयं उस सरकार के हित में नहीं है किन्तु किस प्रभाव में आकर यह निर्णय लिये जा रहे हैं, ये चिन्तन का विषय है। कभी दंगा विरोधी कानून बनाकर एक वर्ग को केवल मात्र रिपोर्ट लिखने पर ही बगैर जांच किए प्रताड़ित करने का कानून बनाना, कभी देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार बताना, कभी विदेशी पूँजी निवेश के गुण गाना और कभी खुदरा विदेशी दुकानें खुलवाने का प्रस्ताव करना। यह सभी जनविरोधी और देशविरोधी निर्णय हैं। काँग्रेस शासित केन्द्र ऐसे निर्णय लेकर क्या सिद्ध करना चाहता है? किन्तु यदि ऐसे विदेशी खुदरा दुकानें देश में खुल गईं तो अपने देश का व्यवसाय चौपट हो जायेगा। भारतीय धन विदेशों में जाने लगेगा और वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी,

जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में थी। गाँधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद काँग्रेस को भंग कर देना चाहिए। सम्भवतः काँग्रेस के मन–मस्तिष्क में वही विचार जन्म ले रहा है और काँग्रेस अपने पैरों में जनविरोधी कानून बनाकर कुल्हाड़ी मार रही है।

जनविरोधी और देश विरोधी बात का जिक्र चला है तो लगे हाथ आतंकवादी कसाब का भी जिक्र करते चलें। कसाब रंगे हाथों आतंकी हमले में पकड़ा गया था, जिस आतंकी हमले में सैकड़ों लोग मारे गये थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था और आज भी लोग 26/11 को याद करके सिहर उठते हैं। उस कसाब के सम्बन्ध में मुकदमे का नाटक और सालो–साल उस पर करोड़ों रुपये का खर्चा किस समझ–बूझ का नतीजा है। अगर दुबई में या अमेरिका में या किसी और देश में ऐसा आतंकवादी पकड़ा जाता तो तीन–चार महीने के अंदर ही उसको फाँसी पर लटका दिया गया होता। देश की जनता का खून–पसीने से कमाया गया धन, जो सरकार कर के रूप में वसूलती है और देश के विकास पर खर्च करने का दावा करती है, वह कसाब जैसे आतंकवादी के रख–रखाव पर खर्च किया जा रहा है। यह देशभक्ति की अथवा न्यायप्रियता की कौन सी परिभाषा है। कई करोड़ रुपया कसाब पर खर्च हो चुका है और अभी भी नाटक जारी है। उसको फाँसी देना सम्भवतः केन्द्र सरकार की सोच से परे है। ऐसे ही एक आतंकवादी अफजल को आज तक फाँसी नहीं दी जा सकी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार का लटकाऊ तरीका आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है, जो आतंकवादी देश पर हमला करते हैं, उनके मन में दो बातें होती हैं– प्रथम यदि पकड़े गये तो भारतवर्ष में जो खातिर और मेहमाननवाजी होगी वह अपने घर में नहीं हो सकती। भारत की

सरकार सालो–साल मुकदमे का नाटक करेगी और प्रतीक्षा करेगी ऐसे अवसर की जब किसी विमान अपहरण के बदले में गिरफ्तार आतंकवादियों को रिहा करना पड़ सकता है। द्वितीय यदि मारे गये तो जन्नत मिलेगी। यही दो बातें आतंकवादियों के मन–मस्तिष्क में बिठाई जाती हैं। लगता ऐसा ही है कि सरकार कसाब और अफजल को फाँसी देने के स्थान पर कोई बहाना ढूँढ रही है, उनको छोड़ देने का। इसीलिए मुकदमे का नाटक हो रहा है। राष्ट्रपति को क्षमा–याचना के लिए भेजी गई पत्रावली पर निर्णय की प्रतीक्षा है। और प्रतीक्षा है ऐसे अवसर की जब हम आतंकवादियों को छोड़कर विदेशों में अपनी न्यायप्रियता का एक और झंडा फहरा सके। देश का दुर्भाग्य है कि अब भगत सिंह, सावरकर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस जैसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। देश उन लोगों के सहारे चल रहा है, जो केवल सत्ता के लोभी हैं, देशप्रेमी नहीं।

मैंने कई बार लिखा है कि यदि भारतवर्ष की संसद चाहती है, कि उसके सांसद और विधायक ईमानदार रहें, घोटाला न करें, अफसर रिश्वत न लें और कार्य ईमानदारी से करें तो सर्वप्रथम सांसदों और विधायकों के अंगरक्षक हटाने होंगे। अफसरों के पीछे जो बन्दूकधारी चलते हैं। उनको वापस लेना होगा। न्यायिक सुरक्षा अधिनियम हटाना होगा और नेताओं की तरह प्रत्येक अधिकारी की भी सम्पत्ति की जाँच करनी होगी। अन्यथा न घोटाले रूकेंगे, न बेईमानी रूकेगी न रिश्वत रूकेगी। यदि एक बार अंगरक्षक हट जाएँ, तो जनता अपने–आप नेताओं को ईमानदार बना देगी। नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, जनता इनसे क्षुब्ध है, इनके घोटालों से क्षुब्ध है। मंत्रीजी पर जूता फेंका गया। इसकी जाँच तो पुलिस करेगी लेकिन यदि कोई मंत्री

अपनी पत्नी को एक लाख प्रतिदिन के एवज में सरकारी कार्य के लिए नियुक्त करता है तो उसके साथ जनता को कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये चिन्तनीय है। विशेषकर ऐसे देश में जहाँ एक मजदूर को एक दिन में केवल 150 से 300 रुपये के बीच में मजदूरी मिलती है। जहाँ हमारी सरकार के नुमाइन्दे एक व्यक्ति के एक दिन के भोजन के लिए 30 रुपये पर्याप्त मानते हैं। उनके साथ कैसा बर्ताव हो यह जनता को तय करने दीजिए। इसी प्रकार न्यायिक अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, गलत निर्णय देने पर कोई न्यायालय कुछ नहीं करता, केवल चेतावनी देकर अथवा चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करके इतिश्री हो जाती है। जब हम यह कहते हैं कि भारत में जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है तो फिर जनता को ही निर्णय लेने दीजिए कि उसे बेईमान के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना है। जिस मंत्री की सहभागिता 18 चीनी की मिलों में हो तथा हजारों बीघें जमीन जिसके पास हो, जिसके पास अकूत धन हो, उस पर यदि जन आक्रोश न उत्पन्न हो तो आश्चर्य हो सकता है किन्तु यदि जनाक्रोश के कारण जनता का कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ हाथापाई करता है तो उसे अनुचित कैसे कह सकते हैं। जनता का धन जनविकास की बजाय, नेताओं के घर में भरा जा रहा है। कभी समय मिला तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि अपने किसी ऐसे मंत्री का नाम बतायें, जो पूर्णतया ईमानदार हो। हम शपथ लेते हैं ईमानदारी की और शपथ को भी काले धन के साथ तिजोरी में बंद कर देते हैं। मंत्रियों के विरुद्ध जनाक्रोश उत्पन्न हो चुका है, जूता फेंकना, तमाचा मारना उसकी प्रतिक्रियाएँ हैं। यह घटनाएँ बढ़ सकती हैं, यदि अब भी हमें सद्बुद्धि नहीं आयी। वांछनीय तो

यह था कि जिस पर जूता फेंका गया और जिसके थप्पड़ मारा गया उन्हें त्याग–पत्र दे देना चाहिए था किन्तु कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। एक बार एक अफसर ने एक कहानी सुनाई, पता नहीं सत्य है या असत्य। किन्तु घटनाक्रम कुछ ऐसा बताया कि बड़े अफसर ने छोटे अफसर को काम पूरा न करने पर डाँट लगाई। प्रत्युत्तर में छोटे अफसर ने बड़े अफसर को गालियाँ दीं और भुगत लेने की धमकी दी। दिन व्यतीत हो गया। तनाव चलता रहा। मास के अंत में जब छोटा अफसर बड़े अफसर को माहवारी देने गया तो उसमें 500 रुपये अधिक रखे। बड़े अफसर ने कहा कि तुमने मेरे डाँटने पर मुझे गालियाँ दीं थी। यह अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही कर सकता था किन्तु नहीं की। भविष्य में ऐसा मत करना। छोटे अफसर ने कहा सर, उस दिन जो मैंने गाली दी थी उसकी वजह से आज माहवारी में 500 रुपये अधिक रख दिये हैं, जो जुर्माना मैंने स्वयं पर किया है। भविष्य में मैं भी ध्यान रखूँगा और आप भी चार आदमियों के बीच मुझे न डाँटें। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। भले ही जूते फेंके जाएँ, टमाटर फेंके जाएँ, अण्डे फेंके जाएँ या थप्पड़ मारे जाएँ, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, मंत्री पद बरकरार रहना चाहिए ताकि घोटाला करने के अवसर प्राप्त होते रहें। थोड़ी बहुत बेइज्जती से 5 करोड़ की सांसद निधि अधिक होती है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–3

मन में एक प्रश्न उठा था कि अपने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से पूछूँ कि उनके मंत्रीमण्डल में सबसे ईमानदार मंत्री कौन सा है किन्तु इष्ट मित्रों ने राय दी कि यह प्रश्न पूछकर आप प्रधानमंत्री जी को धर्म संकट में क्यों डालना चाहते हैं। उनके लिए तो वैसे ही बहुत सी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। अतः इस नई परेशानी में उनको डालना उचित नहीं होगा। मैंने भी फिर यह सोचकर इस प्रश्न का पूछना टाल दिया कि इसको पूछकर ही क्या होगा। नित नये नाम लोकायुक्त के समक्ष प्रकट हो रहे हैं और नये–नये मंत्रियों को किसी न किसी मामले में लिप्त बताया जा रहा है। दैनिक जागरण के मुताबिक हमारे विदेशमंत्री भी खनन घोटाले में लिप्त बताये जा रहे हैं। गृहमंत्री पर पहले ही उंगली उठ चुकी है। ए. राजा, सुरेश कलमाडी, कनिमोझी आदि कई सांसद और मंत्री घोटालों में लिप्त हैं। कितने सांसद, कितने विधायक और कितने मंत्री प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के लोकायुक्त की जाँच के घेरे में आ चुके हैं, कितनों को हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने हटाया है और कितने हटने बाकी हैं। घोटाले चौतरफा हो रहे हैं। मुश्किल पड़ जाएगी किसी समय सरकार के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति क्योंकि पहले खुलेआम सबकुछ हो रहा था और कोई पूछने वाला नहीं था। कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले और चारा घोटाले जैसे मामले चल रहे हैं, किन्तु मुकदमे ठण्डे बस्ते में बँधे हुए हैं, यदि मंत्रियों के विरुद्ध दायर किए गए सभी मुकदमे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करके एक विशेष अदालत

का गठन कर दिया जाए और सबके विरुद्ध लम्बित मामलों को एक साथ तय कर दिया जाए तो तस्वीर कुछ साफ हो सकती है। इस धुंधली–धुंधली तस्वीर में देश की तस्वीर ही धुंधली पड़ गई है। ईश्वर शक्ति प्रदान करे श्री सुब्रह्मण्य स्वामी को जिनके प्रयास से नये–नये चेहरे सामने आ रहे हैं। भारत का भविष्य जिनके हाथों में टिका हुआ है, उन्होंने ने ही अपने हाथ गन्दे कर लिये हैं, आखिर कैसे भ्रष्टाचार का अन्त होगा, कैसे हम भ्रष्टाचार पर काबू पा सकेगे, यह समझना सम्भव नहीं है। जो पैसा किसी के काम नहीं आता, किसी के साथ नहीं जाता, दुर्घटनाओं को जन्म देता है, हृदय रोग पैदा करता है, सन्तान को बिगाड़ता है, समाज में छवि खराब करता है उस पैसे के लिए इतनी जिल्लत उठाना, इतनी शर्मिन्दगी उठाना और स्वयं को बेईमान कहलाकर उसे एकत्रित करना कैसे हो पाता है। जनता इन सबसे दुखी होकर आक्रोशित हो उठी है। धैर्य समाप्त होता जा रहा है। मंत्री जी के भरी सभा में गाल पर थप्पड़ मारना और मंत्री जी का सत्ता के मोह में थप्पड़ को सहन कर लेना। मंत्री जी के ऊपर जूता फेंकना और मंत्री जी का फिर भी पद से त्याग पत्र न देना, सांसद नामधारी पर नक्सलियों का हमला। नेताओं को काले झण्डे दिखाना यह सिद्ध करता है कि हम दलदल में कितने फँस चुके हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। देशहित और जनहित तो लुप्त हो चुके हैं। चरित्र कितना साफ हो चुका है यह भँवरी देवी के केस में रोज पढ़ रहे हैं। सम्भवतः अभी घोटालों का, चरित्र हनन का, बेईमानी का घड़ा नहीं भरा है। अभी सत्ता के अत्याचार, सत्ता के मद में घोटाले इतने नहीं हुए हैं कि विधाता को हस्तक्षेप करना पड़े, इसीलिए विधाता शान्त है और प्रतीक्षा कर रहा है घड़ा भरने की।

कई बार लिखने के बाद भी पानी सर से ऊपर गुजर जाता है और किसी को ध्यान नहीं आता। भारतवर्ष की जनता भोली है, अथवा लापरवाह है, जो यह सब देखकर भी खामोश है, राजनीति धीरे–धीरे पुराने सामन्ती तरीके पर चल रही है। सियासत पर विरासत हावी होती जा रही है और प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र को अपनी रियासत समझता है और क्यों न समझे जब प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने–अपने प्रदेश में विरासत को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं तो मंत्री लोग अपने– अपने क्षेत्र में ऐसा क्यों ना करें। काश्मीर स्व. शेख अब्दुल्ला साहब के परिवार की विरासत और रियासत बन चुका है। फारूख अब्दुल्ला साहब ने अपने यौवन काल में काश्मीर का मुख्यमंत्री बनकर पूर्ण आनन्द उठाया और अब उन्होंने गद्दी सौंप दी अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को। विरासत का और रियासत का इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा उदाहरण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अखबारी जानकारी के अनुसार श्री मुलायम सिंह जी भी यही कुछ दोहराने जा रहे हैं। वह भी अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी तो पूरे देश के लिए युवराज के नाम से मशहूर हो चुके हैं। वही परिवारवाद नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। बिजनौर टाइम्स दिनांक 4.12.2011 के अनुसार श्री बेनी प्रसाद वर्मा चाहते हैं कि राहुल आज ही प्रधानमंत्री बन जाए। चौधरी अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी भी विरासत की लाइन में खड़े हैं और अभी से माननीय कहलाने लगे हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि के पुत्र–पुत्री सभी सांसद और विधायक पद हथियाए हुए हैं और उनके उत्तराधिकारी पद के लिए अन्दर ही अन्दर तैयारियाँ हो रही हैं। कहाँ तक गिना जाए और कहाँ तक देखा जाए प्रजातंत्र तो भारतवर्ष में लुप्त हो चुका है,

परिवारवाद हावी हो रहा है। सांसद और विधायक पद पर देश की आजादी से लेकर अब तक 50 फीसदी से अधिक वही पुराने चेहरे नजर आते हैं और हर साल वही चुनकर संसद और विधानसभा में पधारते हैं। कुछ बाहुबल से, कुछ धनबल से और कुछ चाटुकारिता और अवसरवादिता के कारण राजनीति पर हावी हो रहे हैं। साफ–सुथरे व्यक्ति राजनीति में आना नहीं चाहते और जो आना भी चाहते हैं, उनके पास धनबल और बाहुबल नहीं होता, अतः कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं होती। जनता को जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, पार्टियाँ अपना–अपना प्रतिनिधि अपने–अपने मापदण्ड के अनुसार निश्चित करती हैं और इसी प्रकार देश पुनः उसी सामन्तवादी युग की ओर बढ़ रहा है, जहां से सरदार पटेल ने उसको निकालकर जनतंत्र–गणतंत्र और प्रजातंत्र के रूप में स्थापित किया था।

आज के अखबार में फिर छपा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मेरठ में आन्दोलन किया। यह माँग बहुत समय से चल रही है और सरकार जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा बनाई गई है, वह जनता की इस माँग को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसका स्वार्थ अटका हुआ है। क्या व्यवधान है। और अब तो इस समस्या का बहुत अच्छा हल निकल सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने प्रान्त को चार भागों में बाँटने का प्रस्ताव किया है। केन्द्र सरकार को यदि चार भाग में प्रान्त को बाँटने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो दो भाग में बाँट दिया जाना चाहिए। दो भाग में बाँटने से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे दो भाग हो जाएँगे। स्वतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई

कोर्ट प्राप्त हो जाएगी। दोनों भागों में अदालतें भी बढ़ेगी। लम्बित मुकदमों का निस्तारण भी शीघ्र होगा। प्रान्तों पर अपराधों के विरुद्ध नियंत्रण भी बढ़ जाएगा और प्रान्तों का विकास भी तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि लखनऊ में बैठकर झाँसी और आगरे पर नियंत्रण सम्भव नहीं हो पाता। बुन्देलखण्ड की समस्याओं से अनभिज्ञता रहती है। इसलिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के दो भाग कर दिए जाए– एक भाग की राजधानी आगरा हो जाए और एक भाग की राजधानी मेरठ हो जाए। जब आसाम को चार भागों में बाँटा जा सकता है। जब पंजाब को दो भागों में बाँटा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश को बाँटने में आनाकानी क्यों। क्या केन्द्र सरकार कुछ व्यक्तियों का बलिदान चाहती है, आखिर केन्द्र सरकार स्पष्ट करे कि उसे बाँटने में क्या कष्ट है। यह किसी के मकान के बँटवारे का प्रश्न नहीं है, किसी की धरती के बँटवारे का प्रश्न नहीं है। यह प्रान्त को दो हिस्से में बाँटने का प्रश्न है, जो विकास के लिए आवश्यक है। केन्द्र सरकार को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। यही निर्णय तेलंगाना के सन्दर्भ में भी लिया जाना चाहिए। किसी भी दृष्टि से उत्तर प्रदेश को दो भागों में बाँटने का प्रस्ताव हानिकारक नहीं है, बल्कि देशहित और जनहित में है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–4

कतिपय स्थानों पर देश में चुनाव घोषित हो चुके हैं। अधिसूचनाएँ जारी हो गईं हैं, तैयारियाँ पहले से चल रही थीं और तेज हो गईं हैं। कुछ प्रत्याशी जो पहले से ही आश्वस्त थे वो जनसम्पर्क में लगे हुए थे, जिनको अब टिकट मिला है, वह अब लग गए हैं। टिकट मिलने की प्रक्रिया भी विचित्र है। यदि आप किसी पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी हाईकमान के भक्त हैं तथा भामाशाह की तरह पार्टी कोष में चुनाव युद्ध लड़ने के लिए धन दे सकते हैं तो ले लीजिए टिकट। बोलिए कहाँ का लेंगे। जहाँ का आप चाहेंगे वहाँ का टिकट आपको मिल जाएगा। अब आपको स्वयं को देशभक्त सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको पार्टी हाईकमान के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है क्योंकि पार्टी हाई कमान स्वयं या अपने किसी को यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो उसे सांसद या विधायक अपने चहेतों और विश्वासपात्रों को बनाना आवश्यक है। क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मुख्यमंत्री पद अथवा प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो सकता है। अब जनता अपना प्रतिनिधि नहीं चुनती। सशक्त पार्टियों द्वारा जनता पर अपने प्रत्याशी थोपे जाते हैं। जिस पार्टी का वोट बैंक अधिक पक्का है उस पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए अधिक दान–दक्षिणा देनी पड़ती है क्योंकि टिकट महँगा है। जो पार्टी अभी अपना वोट बैंक नहीं बना पाई है अथवा जिसका वोट बैंक छितरा हुआ है और पक्का नहीं है। उसका टिकट आसानी से एक कमजोर से दानी व्यक्ति को भी मिल जाता है। 10–10 करोड़ खर्च हो जाते हैं, एम.एल.सी. बनने के लिए,

कई–कई करोड़ खर्च होते हैं, एम.एल.ए. का प्रत्याशी बनने के लिए। धन की मात्रा दल और उसके वोट बैंक के अनुसार निश्चित होती है। अहमदाबाद का व्यक्ति अपना पता देकर राशन कार्ड बनवाकर लखनऊ से प्रत्याशी हो सकता है। सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दिल्ली का व्यक्ति आसाम में जाकर अपना पता देकर वहाँ से प्रत्याशी हो सकता है। केवल मात्र कुछ जुगाड़ होना चाहिए। जुगाड़ का अपना महत्व है। आपका जुगाड़ पार्टी हाईकमान तक पहुँच जाए। जुगाड़ के फलस्वरूप आप आसाम में राशनकार्ड बनवा लें, एक मकान किराये पर लें लें। जुगाड़ के फलस्वरूप आप वोटरों को अपनी तरफ रिझाने में कामयाब हो जाएँ। सबकुछ इसी पर निर्भर करता है। सांसद और विधायक निधि आपकी प्रतिक्षा कर रही है। कुछ मत कीजिए यह तो आपको मिलनी ही है क्योंकि आप भारी–भरकम खर्चा करके, पार्टी हाईकमान को प्रसन्न करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बस आपके अन्दर हाईकमान के प्रति भक्ति की भावना इस तरह से प्रस्फुटित होनी चाहिए कि आपके आने से पहले ही हाईकमान आपको अपना दास, अपना सेवक, अपना भक्त मानने के लिए मजबूर हो जाए। देशभक्ति पुरानी बात है। देशभक्त मर चुके हैं और अब देशभक्तों की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि आजादी मिल चुकी है और अब सत्ता भक्तों की आवश्यकता है, जो देशभक्तो द्वारा लगाए गए आजादी के वृक्ष पर आ रहे फलों का सेवन करके स्वास्थ्य लाभ कर सकें और स्विस बैंकों का पोषण कर सके। बस केवल एक शर्त है कि अपने दल के हाईकमान के प्रति पूरी निष्ठा रखे और भामाशाह की तरह आवश्यकता अनुसार अपना कोष समर्पित करते रहें।

हाई कमान का जिक्र हुआ और साथ ही भक्तों की निष्ठा का

प्रश्न हुआ तो मन में प्रश्न उठा, यह दलबदलू किस श्रेणी में रखे जाएँ। टिकट बाँटते समय जिस पर भी हाईकमान की विशेष कृपा नहीं हुई, उसी ने दल बदल की घोषणा कर दी और शर्मरहित हैं वह दल, जो दलबदलुओं को अपने यहाँ स्वीकार कर रहे हैं और लज्जाहीन है वह व्यक्ति जो दल बदल करके केवल टिकट के लालच में दूसरे दल में सम्मिलित हो रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, कोई कभी भी पार्टी छोड़ सकता, कोई कभी भी किसी दल को छोड़ सकता है और दूसरे दल में सम्मिलित हो सकता है। सम्मिलित होने का कारण हास्यास्पद है। कल नेता जी कह रहे थे मैं तो अपने दल का सच्चा सिपाही हूँ, भले ही हाईकमान मुझे टिकट न दे, भले ही हाईकमान मुझे कोई पद न दे मगर मैं देश और अपने दल की सच्चे सिपाही की भांति सेवा करता रहूँगा। हाईकमान ने यह सुनकर उन्हें टिकट न देने का निर्णय लिया, बस नेताजी के तेवर बदल गए और उन्होंने तुरन्त दूसरे दल का पल्ला थाम लिया क्योंकि दूसरे दल ने उन्हें टिकट देने का वायदा जो कर दिया। अब नेता जी को पहले वाले दल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, धन का लालच आदि सभी दुर्गुण नजर आने लगे। ऐसे लोगों के चरित्र को किस आईने में देखा जाए। एक नेता जी चार दल बदल चुके हैं और इस बार फिर बदल दिया। पुराने वाले दल में पहुँच गए। भामाशाह की तरह टिकट लेने के लिए थैली खोल दी। टिकट मिल गया और अब वह इस दल के सच्चे सिपाही हो गए पहले वाले दल में साँप, बिच्छू, कीड़े, मकोड़े नजर आने लगे। क्या कोई कानून ऐसे लोगों के लिए नहीं बन सकता। क्या ऐसे निष्ठाहीन असत्यवादी, सत्ता लोलुप नेताओं के हाथ में ही देश की बागडोर रहेगी। प्रत्येक नेता जानता है कि सांसद या

विधायक बनने पर तीन से पाँच करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष मिलने का प्राविधान है, जो लगातार पाँच वर्ष तक मिलेंगे तो प्रत्येक नेता टिकट लेने के लिए और जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत तन, मन, धन से करता है। यहाँ उसकी निष्ठा देखने को मिलती है। जीतने के बाद यह निष्ठा कहाँ चली जाती है, इसका पता ऋषि, मुनि भी नहीं लगा पाए। कहा गया है– देवो ना जानाति कुतो मनुष्य। नेता जी के मन का हाल और कब बदलेगी उनकी चाल इसका पता ईश्वर भी नहीं लगा सकते। क्योंकि 12 बजे तक जब टिकट बँट रहे थे तब वह उस दल के सिपहसलार थे, जिसके बल पर वह 5 वर्ष तक सांसद निधि का उपयोग करते रहे और 12 बजे के बाद जब यह निश्चित हुआ कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी निष्ठा तुरन्त पाला बदल गई और वह उस दल के गुण गाने लगे, जिसने उन्हें टिकट देने का वायदा कर लिया। ऐसे नेता जो लगातार दल बदल रहे हैं और ऐसे दल जो दलबदलू नेताओं को अपने अन्दर स्वीकार कर रहे हैं, दोनों ही महान है। क्योंकि इन दोनों के सहारे ही देश चल रहा है। वर्तमान में तो दलबदलू नेताओं का बोलबाला है। जनता को जाग्रत होना चाहिए और यह जो दलबदलू नेता हैं इनका जलूस निकाला जाना चाहिए, जिससे सभी लोग उनकी निष्ठा से परिचित हो सके। दलबदलू नेताओं को वोट नहीं, चोट देनी चाहिए। तभी देश का भला हो सकता है। अन्यथा जिस गर्त में हम जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का जो रूप हमारे सामने है, घोटालों की जो लंबी लिस्ट उजागर हो चुकी है और जो उजागर होनी बाकी है। विदेशों का काला धन जानकारी में आ चुका है, स्वदेशों में एकत्रित काला धन जानकारी में आना शेष है, यह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति बाहुबलियों के और पुराने

नेताओं के डर से चुनाव प्रक्रिया में न प्रत्याशी बनते हैं, न मतदाता बनते हैं। घूम–फिर कर वही कुछ जाने–पहचाने चेहरे संसद और विधान सभा में आते रहते हैं। जनता नहीं जागेगी, जनता असत्यवादी, अनिष्ठावान नेताओं का बहिष्कार नहीं करेगी तो ऐसा ही होता रहेगा।

श्री अन्ना हजारे ने अनशन समाप्त कर दिया। पता नहीं किसके कहने से, पता नहीं अपनी अंर्तआत्मा की आवाज से अथवा किसी दबाव से। बहरहाल अच्छा हुआ। एक सच्चा व्यक्ति जितने दिन अधिक जीवित रहेगा, देश का भला ही सोचेगा। श्री अन्ना हजारे वास्तव में सच्चे व्यक्ति हैं, स्पष्टवादी हैं, लेकिन जिन नवरत्नों से वह घिरे हुए हैं। वह कैसे हैं, यह तो मैं नहीं जानता किन्तु डरता जरूर हूँ। श्री अन्ना हजारे को अपनी अंर्तआत्मा की आवाज पर चलना चाहिए। आवश्यकता अनशन की नहीं है। सरकार पर कोई असंर नहीं होता। सरकार चाहती है कि देशभक्त लोग इधर–उधर की बातों में उलझे रहे और सरकार अपने घोटालों में लिप्त मंत्रियों को बचाती रहे। आवश्यकता है जनता के जाग्रत होने की। नैतिक चरित्र के बलशाली होने की। ताकि हम भ्रष्टाचार से लड़ सके। आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तब आजाद हिन्द फौज और क्रांतिकारी देशभक्तों ने अँग्रेजों की जड़े उखाड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भूमि क्रांतिकारियों ने तैयार की थी। असहयोग आन्दोलन और अहिंसा आन्दोलन ने उस भूमि को सींच कर आजादी का पौधा रोपा। इसी प्रकार अब जनता को यह तय करना होगा कि वह घोटाला करने वाले असत्यवादी और अनिष्ठावान मंत्रियों को सहन कर सकती है अथवा नहीं। यदि सहन नहीं कर सकती तो शठे शाठयम् समाचरेत की नीति अपनानी होगी और अगर सहन

कर सकती है तो कान दबाकर पतली गली से निकल जाना होगा ताकि जैसा चल रहा है, वैसा चलता रहे, करोड़ों के घोटाले होते रहे, सांसद निधि का दुरूपयोग होता रहे। मंत्रियों के रंग रेलियों के किस्से सामने आते रहे। बलात्कार, अपहरण और हत्याएँ होती रहें और हम प्रतिक्षा करते रहे किसी ईश्वरजनित परिवर्तन की। क्योंकि हमारे बस में हम स्वयं नहीं हैं। नेताओं को कैसे बस में कर सकते हैं। जो अंगरक्षक लेकर चलते हैं, जो घर और बाहर हर समय अंगरक्षकों से घिरे रहते हैं, उनसे निहत्थी जनता भिड़ना नहीं चाहती किन्तु यह विश्वास है कि यदि निहत्थी जनता खड़ी हो गई तो अंगरक्षक भी भ्रष्टाचारी नेताओं को बचा नहीं पाएँगे और जब जनता खड़ी होगी तभी आमूलचूल परिवर्तन होगा। तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। किसी एक व्यक्ति के अनशन करने से अथवा शोर मचाने से न भ्रष्टाचार मिट सकता है, न भ्रष्टाचारी मिट सकते हैं। मेरा पुनः सुझाव है कि श्री अन्ना हजारे अनशन न करें बल्कि जनजागरण अभियान जारी रखें, जिससे नैतिक चरित्र जाग्रत हो, भ्रष्टाचारी बेनकाब हों और जनता सशक्त हो और अपना हिसाब नेताओं से स्वयं ले सके।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–5

आज दिनांक 11.1.2012 के दैनिक जागरण में मुखपृष्ठ पर लिखा है कि बुलन्दशहर में एक नेताजी को 6 लाख के नोटों की माला पहनाई गई। और वहीं पर जरा सा नीचे दूसरे कालम में लिखा है कि भारत में अफ्रीका से भी बुरी स्थिति है, यहां हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। पढ़कर मन कसैला हो उठता है। जहां पर जनता भूखे मर रही है वहां के जनप्रतिनिधि जनता के धन पर ऐशोआराम की जिन्दगी गुजार रहे हैं। जनता को सफर में रेल की छत पर या बसों में लटकर जाना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों के लिए वातानुकूलित रेल कोच में बर्थ आवंटित रहती है। रोडवेज की बसों में भी सांसद और विधायक सीट होती है। यह और बात है कि भारत जैसे विशाल देश के महामाननीय सांसद और विधायक बसों में यात्रा नहीं करते। या तो वातानुकूलित आरक्षित रेल कोच में यात्रा करते हैं या अपनी बड़ी वातानुकूलित स्कार्पियो कारों में। जनता एक समय खाकर गुजारा करती है और जन प्रतिनिधियों की रसोई में एक समय में इतना भोजन बच जाता है कि 10 भूखे और भोजन कर सकते हैं। जनता 5 पैसे का पोस्टकार्ड खरीदने के लिए लाइन में खड़ी होती है और तब अपना कुशल समाचार अपने घर भेज पाती है और जनप्रतिनिधि को टेलीफोन सुविधाएं, मोबाइल सुविधाएँ और यदि कहीं शीघ्र पहुँचना हो तो हैलीकॉप्टर सुविधाएँ मुफ्त में उपलब्ध रहती हैं। जनता स्थानीय कार्य के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाती है, बाबूओं की खुशामद करती है, अफसरों की चिरौरी करती है और जनप्रतिनिधि सारा काम टेलीफोन पर करा

लेते हैं। जनता कभी–कभी बिना जुर्म के ही थाने में पकड़कर बैठा ली जाती है और जनप्रतिनिधि दबंगई के बल पर बड़े से बड़े अपराधी को थाने से छुड़ाकर ले जाते हैं। जनता के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते सर्दी में ओढ़ने के लिए रिजाई या लिहाफ भी नहीं होता और जनप्रतिनिधियों के आवंटित प्रसादो में ओढ़ने बिछाने के कपड़े आवश्यकता से अधिक होते हैं। जनता महँगाई से पिसती है। कई–कई दिन फाके गुजर जाते हैं और जनप्रतिनिधियों पर महँगाई का कोई असर नहीं होता। उनका ड्राइवर भी 1 किलो जलेबी खरीदने के लिए कार से जाता है, जिसमें जलेबी की कीमत से दुगुना पेट्रोल खर्च होता है। जनता के बच्चे या तो चुंगी स्कूलों में पढ़ते हैं अथवा बिना पढ़े रह जाते हैं। जबकि जनप्रतिनिधियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कॉलेज भी कार और स्कूटर से जाते हैं। जनता शादी–ब्याह में कर्जा लेकर खर्च करती है और अपनी हैसियत के मुताबिक वर पक्ष को उपहार भी देती है। जबकि जनप्रतिनिधियों के विवाहोत्सव में प्रत्येक बाराती को उपहार दिए जाते हैं। वर पक्ष को इतने उपहार दिए जाते हैं कि जिसमें 10 विवाह और हो जाए। महँगे भोजन की व्यवस्था, ठहरने के लिए महँगे होटल यह सभी कुछ जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध रहता है जबकि जनता की बारात धर्मशालाएँ ढूँढती रहती है। जनता की गरीबी दिनो–दिन बढ़ती जा रही है और जनप्रतिनिधि एक बार सांसद या विधायक बनकर कई करोड़ के स्वामी हो जाते हैं। जनता की जमीनें, उसके मकान महँगाई से तंग आकर अथवा कन्या के विवाह के लिए प्रबंध करने हेतु बिक जाते हैं अथवा गिरवी रखे जाते हैं और जनप्रतिनिधियों के मकान और जमीने फार्मो की शक्ल में कई–कई गुना बढ़ जाते हैं। गरीब जनता को चलने के लिए साइकिल भी उपलब्ध नहीं होती जबकि जनप्रतिनिधि को सरकारी कार उपलब्ध

रहती है और निजी कार के प्रयोग का भत्ता मिलता है। यह खाई कैसे पटेगी, कब पटेगी कोई नहीं जानता। झूठे नारे और खोखले आश्वासन के सहारे जो भी एक बार जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक के रूप में सत्तासीन हो जाता है। वह कुलांचे भरता है। धन उसके यहाँ वर्षा की मानिंद बरसता है। सब सुविधा सम्पन्न जनप्रतिनिधि एक ही सत्र में कई पीढ़ियों के लिए कमा लेता है जबकि जनता की कभी–कभी पूरी पीढ़ी भूख से मर जाती है। कौन देखेगा इस ओर। यह चिन्तन का विषय है।

चुनाव प्रक्रिया में आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। जिन लोगों ने पहले थाने पर हमले किए हैं, जिनकी शय पर डाक्टर पर हमले हुए हैं। कत्ल और अपहरण हुए हैं। उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। रोड शो हो रहे हैं। रोकने पर प्रशासन से उलझाव हो रहा है। दबंगई पूरी तरह हावी है और पार्टियाँ दबंगों को ढूँढ रही हैं, ताकि उन्हें टिकट दिया जा सके और जीत सुनिश्चित हो सके। क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी की जीत से पार्टी मुखिया की शक्ति बढ़ती है। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि प्रत्याशी का पिछला इतिहास क्या रहा है। एक पार्टी यदि किसी कारण से अपने पुराने सदस्य को प्रत्याशी नहीं बनाती है तो वह तुरन्त दूसरी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर लेता है। पहले गद्दार ढूँढने से भी मुश्किल से मिलते थे, अब जनप्रतिनिधियों के रूप में अपनी पुरानी पार्टी से गद्दारी करने वाले करोड़ों की तादाद में उपलब्ध हैं। जो प्रत्याशी दल–बदल कर रहे हैं, वह अपनी पार्टी के प्रति गद्दार हैं और जो पार्टियाँ ऐसे दलबदलुओं को टिकट दे रही हैं। वह देश के प्रति गद्दार हैं। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकता, केवल टिकट न मिल पाने के कारण बरसों से जिस पार्टी में सदस्य रहा है, उसको छोड़कर नई पार्टी में पहुँच जाता है। कल

तक जिस पार्टी का वफादार सिपाही बनने का दावा करता था, आज पार्टी के टिकट के लालच में दूसरी पार्टी का वफादार सिपाही बन जाता है और पहली पार्टी की आलोचना शुरू कर देता है। क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में वफादार है। क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं हुआ। वह देश के लिए वफादार कैसे हो सकता है। वह उस जनता के लिए कैसे वफादार हो सकता है, जिस जनता ने उसको पहली पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया था। जो व्यक्ति मित्र से गद्दारी करता है, वह समाज से भी गद्दारी कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी से गद्दारी करता है, वह देश के प्रति भी गद्दार है। जनता को ऐसे गद्दारों से सावधान रहना चाहिए। केवल निष्ठावान व्यक्तियों को ही चयनित करना देशहित और जनहित में है। जिस व्यक्ति की निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति ही नहीं रही, उसकी निष्ठा विश्वसनीय हो ही नहीं सकती। अतः सावधानी आवश्यक है।

देश को आजाद हुए 65 वर्ष हो चुके हैं। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आजादी की वर्षगांठ मनाई जाती है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इन 65 वर्षो में हमने देश के लिए क्या किया है। देश की जनता के लिए हमने क्या किया है। यदि किसी एक क्षेत्र को ले लें तो उसी में यह परिलक्षित होता है कि जितना कुछ आजादी से पहले था, उसमें कुछ बढ़ोत्तरी नहीं हुई। भले ही जनप्रतिनिधियों की निजी सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी हो लेकिन देश की सम्पत्ति अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ी है। आज यातायात व्यवस्था को ले लिया जाए तो देखने में आता है कि रेलों में इतनी भीड़ चलती है कि यात्रियों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। आरक्षित सीटों पर भी झगड़े होते हैं, लोग पायदान पर खड़े होकर सफर करते हैं। रेल के डिब्बों

की छतों पर सफर करते हैं। दुर्घटनाएँ होती हैं। रेल–प्रशासन कुछ दिन तक चैतन्य होने का प्रयास करता है किन्तु कुछ समय बाद फिर सामान्य हो जाता है। आजादी से पहले जितनी रेलवे लाइन थी। जितने स्टेशन थे, उनमें इन 65 वर्षो में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। बल्कि रेलें टूटी और खस्ताहाल पटरियों पर दौड़ रही हैं। नक्सवादियों के डर से रेले रात्रि में रोक दी जाती हैं। रेलों में चोरी डकैती आम बात हो गई है। जो रेले चल रही हैं। उनमें सुरक्षा व्यवस्था नाममात्र की है। नई रेल की पटरियाँ बिछाना तो दूर, पुरानी रेलों का रख–रखाव भी नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी श्रेणी के डिब्बों की खिड़कियां पूरी तरह बंद नहीं होती, सर्दी में हवा फर–फर आती है। गरमी में पंखे नहीं चलते। बाथरूम में पानी की किल्लत रहती है। बिना टिकट सवारियाँ दबंगई के बल पर टिकटधारकों को परेशान करती हैं। भीड़ इतनी होती है कि टिकट चैकिंग नहीं हो सकता। यदि आजादी के बाद नई रेल लाइन समुचित मात्रा में बिछाई गई होती और नई रेलगाड़ियाँ चलाई गई होती तो दुर्घटनाओं पर भी प्रतिबंध लग सकता था। बिना टिकट यात्रियों को भी पकड़ा जा सकता था और यात्रियों को भी सुविधा मिल सकती थी। लेकिन हम जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं। क्या कमी है कि जब हम गुलाम थे तब सत्तासीन व्यक्तियों ने रेलों की पटरियाँ पहाड़ों तक पर बिछा दी थी। दूर–दराज तक रेलें आती जाती थीं। नदियों पर पुल बना दिए गए थे, जो आज तक चल रहे हैं। हम समुचित संख्या में न तो रेल पटरियां बिछा पाए न नई रेलगाड़ियाँ चला पाए और न नदियों पर पुल बना पाएँ। जो पुल बने भी वह एक वर्ष में ही खस्ताहालत में आ गए। शहरों में रेलमार्ग पर पुल बनने बहुत आवश्यक थे किन्तु इन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यही स्थिति बस यातायात की भी है। बसें पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

यात्री/छात्र/महिलाएँ खड़े–खड़े यात्रा करते हैं, अथवा बसों की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं, कुछ पायदान पर लटककर यात्रा करते हैं। यातायात की सुविधा मूलभूत सुविधा है। जब हमने यातायात को निजी क्षेत्र से हटाकर सरकारी क्षेत्र में लिया तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह बसों की समुचित व्यवस्था करे ताकि यात्रियों को आने–जाने में सुविधा रहे। किन्तु राजकीय परिवहन इसमे असफल रहा है। सम्भवतः सत्तासीन व्यक्तियों में राष्ट्रीय चरित्र की कमी आ गई है, जिसके कारण यातायात की समुचित व्यवस्था सम्भव ही नहीं है।

देश में नैतिकता का अभाव हो गया है। धर्म की हानि हो रही है। अपहरण, लूट, व्यभिचार और अराजकता व्याप्त है। अधिकांश नेता घोटालों में लिप्त हैं। अधिकांश का चरित्र हनन हो चुका है, कविता, सविता और भंवरी देवी जैसे काण्ड नित्य हो रहे हैं। राजनैतिक दखलन्दाजी पुलिस और प्रशासनिक कार्यो में बढ़ गई है। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि भगवान श्रीकृष्ण गीता के इस श्लोक को पुनः सार्थक करे अन्यथा तुष्टिकरण और आरक्षण देश को, देश की अस्मिता को डसने के लिए तैयार बैठे हैं। चुनाव में भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही उतनी त्वरित और सार्थक नहीं है, जितनी होनी चाहिए। अतः आवश्यक है कि–

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–6

इग्लैण्ड में और आस्ट्रेलिया में लगातार क्रिकेट में हार हुई। क्रिकेट के भगवान का महाशतक भी नहीं बना, जिसके लिए वह कई अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। क्या विश्व के सभी गेंदबाजों ने यह तय कर लिया है कि वह महाशतक नहीं बनने देंगे या हमारे खिलाड़ी जब विदेश में खेलने जाते हैं तो अपनी ऊर्जा अन्यत्र नष्ट करते हैं। क्या अब तक हम जो जीतते रहे हैं। उसमें मैच फिक्सिंग का कोई प्रभाव रहा है अथवा हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज थक गए हैं और चुक गए हैं। इनको आराम की आवश्यकता थी, जो नहीं दिया गया। क्योंकि क्रिकेट के खेल में आयोजक से लेकर चयनकर्ता और खिलाड़ियों तक सभी की पौबारह रहती हैं। करोड़ों का वारा–न्यारा होता है। खेलमंत्री अथवा भारतीय क्रिकेट कमेटी कभी नहीं चाहते कि किक्रेट के खिलाड़ी आराम से बैठे, वह चाहते हैं कि हर महीने खेल चलता रहे, क्रिकेट के खिलाड़ियों के दौरे लगते रहे। हारने से क्या नुकसान होता है। फक़त चन्द दिन का मातम और फिर अगले मैच की तैयारी। हर मैच की तैयारी में करोड़ों का हिसाब–किताब हारें तो भी जेब भारी और जीतें तो सोना ही सोना। कम से कम बाहर के दौरे पर खिलाड़ियों को, मैनेजर को, भारतीय क्रिकेट कमेटी के स्वामी को, खेलमंत्री को सबको विदेशी दौरे का लाभ तो मिलता है। कई खिलाड़ी तो बाकायदा सपत्नीक विदेशी दौरे पर आनन्द उठाने के लिए जाते हैं। यदि जीवन में आनन्द है तो हार से क्या फर्क पड़ता है। एक बात और है। हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विज्ञापनों के माध्यम से इतना धन कमा रहे हैं कि

वह बौरा गए हैं और बौराया हुआ व्यक्ति पागल हाथी के समान होता है, जो अपनी ही फौज को कुचल देता है। स्थिति यह है कि अधिक धन का होना मस्तिष्क को खराब कर देता है, कहा गया– 'कंचन–कंचन सौ गुनी मादकता अधिकाय– यह खाये बौरात है, वह पाये बौरात।' स्थिति यह हो गई है कि दस–दस करोड़ रूपये साल विज्ञापनों से मिल रहे हैं, तो खेल की ओर ध्यान किसे है और अगर हम हार गए तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कारें हमारे पास हैं, जो मुफ्त में उपहार में मिली हुई हैं, बंगले हमारे पास हैं, जो सरकार की तरफ से मिले हैं। क्रिकेट से और विज्ञापन से कमाकर इतना बैंक बैलेंस बना लिया है कि अगर सात पुश्ते भी उसका ब्याज खाएगी तो खत्म नहीं होगा। अतः हारने से क्या फर्क पड़ता है, जीवन का आनन्द तो हम भरपूर ले रहे हैं। क्रिकेट का खेल जो षडयंत्र के तहत अंग्रेजों ने भारत पर थोप दिया है, यह दीमक की भांति देश का तन–मन–धन खा रहा है। जिस दिन क्रिकेट खिलती है कार्यालयों में काम नहीं होता, दुकानदार टी.वी. पर खेल देखने में व्यस्त रहतें हैं, ग्राहकों पर ध्यान नहीं देते। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। बड़े घर का काम भूल जाते हैं। मौहल्ले–मौहल्ले, शहर–शहर क्रिकेट का बोलबाला है। जो पैसा क्रिकेट जैसे निकृष्ट खेल पर खर्च होता है, उससे यदि देश में विकास कार्य कराएं जाए, बन्द उद्योगों को चलाया जाए, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाए तो कम से कम देशवासी भूख से नहीं मरेंगे। लेकिन तब उन व्यक्तियों की जेबें खाली रह जाएगी, जो क्रिकेट के माध्यम से अरबपति होने की ओर अग्रसर हैं। आवश्यकता है क्रिकेट पर प्रतिबन्ध की लेकिन इससे इग्लैण्ड नाराज हो जाएगा और हम जो अभी भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, वह अपने पूर्व

स्वामियों को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी स्वामिभक्ति विश्व प्रसिद्ध है। धन्य हैं हम।

कल दिनांक 28.1.12 के दैनिक जागरण में समाचार छपा है कि स्टिंग आपरेशन में 11 प्रत्याशियों को उद्योगपतियों से अपने चुनाव के लिए धन माँगते हुए देखा गया है। हर प्रत्याशी ने कई–कई करोड़ रुपये उद्योगपतियों से इस आश्वासन पर माँगे हैं कि जीतने के बाद वह उनका काम करेंगे। यह कई करोड़ रुपये चुनाव में खर्च के लिए माँगे जा रहे हैं। प्रत्याशियों ने साइट कैप्चरिंग का भी करना स्वीकार किया है। प्रत्याशियों ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। वह औद्योगिक घरानों का राज्य स्तर पर समर्थन करेंगे और इस आश्वासन के बदले करोड़ों रूपये मांगे हैं, बिजनौर से विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने के लिए 27 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस स्टिंग आपरेशन का क्या प्रभाव होगा। चुनाव आयोग इसे किस रूप में लेगा और प्रत्याशियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी। यह तो समय पर निर्भर करता है क्योंकि भारतवर्ष में तो सबकुछ सम्भव है। आतंकवादी घटनास्थल से पकड़ा जाता है लेकिन नाटक मुकदमे का होता है और उस आतंकवादी के रख–रखाव पर लगभग 1 अरब रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। उसकी मेहमाननवाजी दामाद से भी ज्यादा की जाती है। एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फाँसी की सजा बहाल कर देने के बाद भी आरोपी को फाँसी नहीं दी जाती, बल्कि मामले को लटकाया जाता है। राज्य स्तर पर उसकी क्षमा याचना की पत्रावली भी वर्षो बरस दबी रहती है और जब उस पर आदेश हो जाता है तो पुनः अन्य कार्यवाही

आरम्भ कर दी जाती है, इस प्रकार पूरा प्रयास होता है कि आरोपी को फाँसी न दी जाए भले ही किसी वक्त, किसी हवाई जहाज के हाईजैक होने पर उसे छोड़ना पड़े, तो ऐसे में इन प्रत्याशियों के विरुद्ध ही क्या कार्यवाही होगी इसमें संदेह है। स्वीकारोक्ति के बाद भी यदि सजा नहीं मिलती है, यदि चुनाव आयोग कोई कार्यवाही नहीं करता है तो यह कितनी बड़ी त्रासदी है। जिस प्रत्याशी के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में 27 करोड़ रुपये खर्च होने की स्वाकारोक्ति उपलब्ध है, उसका चुनाव रद्द हो जाना चाहिए, किन्तु नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। हमें अपनी कुर्सी की चिन्ता है, देश की, न्याय की, विधान की कोई चिन्ता नहीं है, यही कारण है कि विधानसभा और संसद में मारपीट के नजारे देखने को मिलते हैं। क्योकि वहां संख्या बाहुबलियों और अपराधियों की अधिक है। हमारी कमजोरी ही देशभक्ति के आड़े आती है जबकि कमजोरी को देशद्रोह माना जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को सभी छेड़ते हैं, सभी दबाते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष की भूमि पर आज भी विदेशियों का कब्जा है, यदि स्टिंग आपरेशन में पाए गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसमें चौंकने या आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होगी, बल्कि यह देश का दुर्भाग्य होगा और हम देश के दुर्भाग्य को और नाकारा, स्वार्थी, सत्तालोलुप, घोटालेबाज और कटपुतली नेताओं को बहुत समय से झेल रहे हैं और जब तक धर्म संस्थापनार्थाय: कोई अवतार नहीं होगा तब तक दुष्टों को झेलना ही पड़ेगा।

अश्लीलता सभी सीमाएँ पार कर चुकी है। सिनेमा और टी0वी0 पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। खुलेआम अश्लील और कामुक हरकते सिनेमा के पर्दे पर और टी0वी0 पर दिखाई जाती हैं।

अभिनेता–अभिनेत्री खुलेआम एक–दूसरे का चुम्बन लेते दिखाए जाते हैं। कम से कम कपड़े पहने हुए अभिनेत्रियाँ थिरकती हुई नजर आती हैं। अभिनेता ऐसी कामुक हरकते करते हैं, अंग को इस प्रकार मटकाते और हिलाते हैं कि देखकर शर्म आती है द्विअर्थी संवाद आम बात हो गए हैं। आने वाली नस्ले पूरी तरह से खराब करने का षडयंत्र चल रहा है। पुरातन काल में अभिनेत्रियाँ मर्यादा में रहती थी। मीना कुमारी को कभी नंगी बाँहों में नहीं देखा गया। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना उनकी शान थी। सुरैया, मधुबाला, नरगिस, माला सिन्हा, यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी कभी कम वस्त्रों में नजर नहीं आई, लेकिन आज वर्तमान अभिनेत्रियाँ कम से कम कपड़े पहनकर अपने जिस्म का प्रदर्शन करती हैं, अभिनेता भी कमीज उतारकर परदे पर प्रकट होते हैं। दस–दस करोड़ रुपये एक फिल्म में काम करने के लेने वाले अभिनेता ऐसी कामुक हरकते करते हैं कि आप बच्चो के साथ तो फिल्म देख नहीं सकते अगर पति–पत्नी भी देख रहे है, तो दोनों का वहां बैठे रहना अथवा चले आना दूभर हो जाता है। कितना बड़ा अपराध है नग्नता को सार्वजनिक करना। कानूनन अश्लील हरकते करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एकांत में किसी झाड़ी के पीछे अथवा कार में अश्लील हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून कार्यवाही करता है किन्तु सिनेमा के पर्दे पर खुलेआम जो कामुक हरकते होती हैं, उनको नजरअन्दाज कर दिया जाता है। मनोरंजन का नाम देकर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। आश्चर्यजनक है और अफसोसनाक भी। अश्लीलता किसी भी देश में अच्छी नहीं मानी जाती। अंग्रेजी फिल्मों में भी ऐसी कामुक हरकते

सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई जाती, जैसी हमारे यहां हो रही हैं। अरबों रुपया जो देश के विकास में खर्च होता वह इन फिल्मी सितारों के ऊपर बर्बाद कर दिया जाता है। अभी एक फिल्म में एक अभिनेता को पुलिस की वर्दी में औरतों के साथ ठुमके लगाते देखा गया, मैने देश की सरकार को लिखा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए उसने पुलिस की वर्दी का अपमान किया है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार फिल्मों में बलात्कार के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिन्हें वास्तविकता के नाम पर सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है। लगता है हमारा कोई नियंत्रण सिनेमा या टी0वी0 पर नहीं है। एक सीरियल में पुलिस ए0सी0पी0 पब्लिक प्रोसीक्यूटर अधिवक्ता को थप्पड़ मारता है, मैंने इस संबंध में बार काउंसिल को भी लिखा, न्याय मंत्री को भी लिखा और पुलिस के उच्चाधिकारी को भी लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने एक बार सुझाव दिया था और मेरा आज भी यही कहना है कि सिनेमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। यदि सिनेमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा तो अश्लीलता पर पाबन्दी लग सकती है। सरकार का नियंत्रण हो सकता है। साथ ही जो अरबो रुपया अभिनेता और अभिनेत्रियों पर एक फिल्म के निर्माण में खर्च होता है वह भी बच सकता है और उसे देश के विकास कार्यो में खर्च किया जा सकता है। बेरोजगारों के लिए नए–नए रोजगार आरम्भ किए जा सकते हैं, बन्द पड़े उद्योगों को चलाया जा सकता है। हमें सिनेमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक स्वर से आवाज उठानी चाहिए। सिनेमा का राष्ट्रीयकरण और अश्लीलता पर प्रतिबन्ध देशहित में होगा ऐसा मेरा मानना है।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–7

रात टी0वी0 पर भी देखा और अखबार में भी पढ़ा एक नवोदित अभिनेता और एक एन0आर0आई0 भारतीय में मारपीट हुई और अनिवासी भारतीय की नाक पर चोट आई। एन0आर0आई0 जो एक प्रकार से अतिथि होते हैं और भारत में अतिथि देवो भवः की उक्ति का महत्व है, उसके साथ मारपीट होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही लज्जाजनक भी है। अभिनेताश्री को बड़ी ऐहतियात से एन0आर0आई0 की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और पिछले दरवाजे से कोतवाली में लाया गया और आधे घण्टे में ही तीन हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देकर छोड़ दिया गया। कोई जाँच नहीं की गई, कोई पूछताछ नहीं दिखाई गई। यह जाँच की जानी आवश्यक थी कि दोष किसका है। झगड़ा किसने शुरू किया। दोनों से समान व्यवहार होना चाहिए था। टी.वी. पर यह प्रकट नहीं हुआ कि अनिवासी भारतीय से क्या पूछताछ की गई। उसका दोष था या नहीं। जहाँ तक अभिनेताश्री का प्रश्न है क्या विशेषता है उनमें। क्या आपने अभिनेताश्री को अमूल माचो के विज्ञापन में दौड़ के दौरान ठुमके लगाते हुए देखा है। क्या किसी फिल्म विशेष में उनकी कोई विशेष उपलब्धि रही है। अल्पसंख्यक होने का उपहार तो उन्हें पद्मश्री के रूप में दे दिया गया। अब अगर पद्मश्री प्राप्त होने के बाद वह इस तरह मारपीट करते हैं और विज्ञापन में अशोभनीय हरकत करते हैं। तो मेरे विचार से उचित नहीं है मुझे कभी–कभी जनता की हरकतों पर भी हँसी आती है, इन अभिनेताओं को जो केवल जनसामान्य की नकल करते हैं, जिनमें वास्तविक कुछ नहीं होता, उनको

विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है। ऐसा उनमें क्या है, जिसे देखने के लिए भीड़ दौड़ती है और भीड़ में जो लोग गिर जाते हैं वो चोटिल भी होते हैं। फिल्म अभिनेता कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता। वह केवल नकल करता है उसमें असल कुछ नहीं होता, केवल पैसे के बल पर स्वयं को किंग खान कहलाना। या नंगे होकर अभिनय करने पर मिस्टर दबंग कहलाता अथवा बिग बी कहलाना। यह सब एक प्रकार से मीडिया की उपज हैं। मीडिया समाचार पत्र को चटकारेदार बनाने के लिए नई–नई प्रकार के उपनाम गढ़ती रहती है और जनता पता नहीं क्यों उन लोगों के पीछे दौड़ती हैं, जो विशिष्ट तो है ही नहीं, साधारण से भी नीचे हैं। पुराने समय में बड़े–बड़े दिग्गज और वास्तविक अभिनेता हुए हैं, जैसे दिलीप कुमार, देवानन्द, अशोक कुमार, राजकुमार, राजकपूर, जयन्त जैसे व्यक्तित्व किन्तु वह कभी भी झगड़ते नहीं देखे गए, मारपीट में लिप्त नहीं पाए गए। कभी भी अश्लील नहीं हुए। शालीनता की सीमा में रहते हुए मर्यादित अभिनय किया। आज द्विअर्थी संवाद, अश्लीलता और नग्नता सर पर हावी है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, संस्कृति लुप्त हो रही है और हम चुपचाप देख रहे हैं। सिनेमा के अन्दर हिंसा और नग्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाया जाता। बागवान जैसी पिक्चर वर्षो में कोई एक आती है। एक फिल्म में काम करने के दस–दस करोड़ एक अभिनेता ले लेता है। भारतवर्ष की औसत व्यक्ति की आय एक हजार रुपये मासिक के लगभग है, जबकि अभिनेताओं को एक साल में बीस–बीस करोड़ मिल जाते हैं। आवश्यकता है सिनेमा के राष्ट्रीयकरण की, जिससे अश्लीलता पर प्रतिबन्ध लग सके। कालेधन का प्रचलन रूक सके और महँगाई पर रोक लग सके। क्योंकि यह अभिनेता जो दस–बीस करोड़ रुपये साल में कमाते

हैं, वह महँगाई बढ़ाते हैं। यदि सिनेमा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो देश की संस्कृति लुप्त हो जाएगी, आनेवाली नस्ले भ्रष्ट और कमजोर हो जाएगी तथा झगड़े और मारपीट बढ़ जाएंगे।

और काफी मैच खेलने के बाद भी क्रिकेट के भगवान अपना सौंवा शतक नहीं बना सके। क्या खेलना भूल गए या विश्व के सभी गेंदबाजों ने यह तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर सौंवा शतक नहीं बनने देंगे। अब तक जो शतक बने वह कैसे बने? क्या उस समय विश्व के गेंदबाज क्रिकेट के भगवान के पक्ष में थे अथवा क्या कारण था, जो गेंदबाज बड़ी आसानी से शतक बनवा रहे थे। जनता की सोच कितनी विकृत हो चुकी है कि एक क्रिकेटर के साथ भगवान शब्द का प्रयोग कर रही है। और वह क्रिकेटर भी कौन, जिसने सदैव अपने व्यक्तिगत मापदण्ड स्थापित किये। देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप क्रिकेट की टीम ने प्रदर्शन नहीं किया, केवल एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मापदण्ड स्थापित करने में पूरी टीम लगी रहती थी और यही हुआ कभी शतक बना, कभी रनों का रिकार्ड बना और कभी कैच का रिकार्ड बना, लेकिन बने एक ही व्यक्ति के, पूरी टीम की कोई उपलब्धि नहीं रही। इस बिन्दु पर मंथन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ? और यह भी विचारणीय है कि अब ऐसा क्या हो गया कि वह व्यक्ति जो धुरंधर चौके–छक्के लगाता था वह अब 10 रन से पहले ही आऊट होने लगा। मन में विचार आता है हो सकता है गलत हो कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की बात चलती है। क्या अब फिक्सिग होना बंद हो गया, क्या पहले फिक्सिंग बहुत होता था। क्रिकेट के भगवान को लोगों ने भारतरत्न देने की मांग कर डाली। भारतरत्न जो उन लोगों के

लिए बनाया गया था, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश के नाम पर कमाया कुछ नहीं, बल्कि अपना परिवार, अपनी सम्पत्ति, अपना व्यक्तित्व सभी कुछ दाँव पर लगा दिया। भारतरत्न उन क्रिकेटरों अथवा अभिनेताओं के लिए नहीं है, जो एक वर्ष में प्रदर्शन मात्र से करोड़ों रुपये साल कमाते हैं। जिन्होंने देश को दिया कुछ नहीं, देश से केवल लिया है। ऐसे व्यक्तियों को भारतरत्न देने की सिफारिश करना कुछ नासमझ व्यक्तियों की सोच हो सकती है। समझदार व्यक्ति स्व. राजेंद्र प्रसाद, स्व. राजीव गांधी, स्व. जवाहरलाल नेहरू, स्व. इन्दिरा गांधी के समकक्ष उन लोगों को नहीं बैठाना चाहेगा, जो मात्र प्रदर्शन करके बिना कुछ किए करोड़ों रुपये साल कमा रहे हैं, जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, वह किसी पद्म सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्गीय दादा साहेब फालके भारतरत्न के सही हकदार हैं, जिन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चन्द्र के नाम से बनाई और मनोरंजन को एक नई दिशा दी। दादा साहेब फालके सिनेमा के जनक हैं। यदि सिनेमा के क्षेत्र में भारतरत्न किसी को दिया जाना चाहिए तो वह केवल दादा साहेब फालके ही हैं।

अभी रेल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एक लाख से अधिक स्थान रिक्त होना बताया गया है। यह भी कहा गया है कि रेल हानि में चल रही है। रेल का किराया बढ़ना चाहिए, इस बात की भी सिफारिश की गई है। रेल उन्हीं पटरियों पर दौड़ रही है, जो शुरू में लगाई गई थी और जो समय के साथ–साथ विश्वसनीय नहीं रह गई हैं। रख–रखाव भी उचित नहीं है। रेलवे कोच और मालवाहक डिब्बे गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बन रहे हैं। रेलों में दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। यह सब सत्य है। रेलों में किराया

बढ़ना चाहिए। यदि एक रुपया प्रति टिकट बढ़ा दिया जाए तो अरबों रुपये का फायदा हो सकता है। बगैर घोटाला किए हुए इस बढ़े हुए किराये से रेलों का रख–रखाव सुधारा जा सकता है। रेलो की आय गिरने का कारण मुख्यतः स्टाफ की कमी है। यदि स्टाफ पूरा हो और ईमानदार हो तो आज भी रेल वर्तमान किराये पर भी हानि में नहीं चल सकती। किसी भी ट्रेन को, किसी भी स्टेशन पर रोककर अगर चैक कर लिया जाए तो बीस प्रतिशत सवारियाँ बगैर टिकट मिलती हैं, जो या तो स्टाफ की कमी के कारण सफर करती हैं अथवा स्टाफ की मिलीभगत के कारण सफर करती हैं और यह बगैर टिकट यात्री ही रेलों की हानि का कारण हैं, रेले लाभ में जा सकती हैं यदि स्टाफ पूरी ईमानदारी से चैंकिग करे और यात्री पूरी निष्ठा और सद्‌भावना के साथ टिकट लेकर यात्रा करें। जिम्मेदारी यात्रियों की भी है। बिना टिकट यात्रा करना कोई गर्व की बात नहीं है। जब आप अपनी दुकान का कोई सामान बगैर पैसे लिए नहीं दे सकते आप नौकरी में जिस सीट पर कार्य करते हैं, वहाँ बगैर सुविधा शुल्क लिये कोई कार्य नहीं करना चाहते तो रेल में ही बगैर टिकट सफर क्यों किया जाए और रेल भी कौन सी जो आपकी अपनी है। नैतिकता का तकाजा यह है कि न तो आप स्वयं बगैर टिकट सफर करे और न अन्य यात्रियों को करने दें। रेलों को हानि पहुँचाने वाले तत्वों को पकड़वाने में सहायता करें। रेलवे स्टाफ पी.डब्ल्यू. आई. आदि को ट्रैक की जाँच ईमानदारी से करनी चाहिए। घर बैठकर ट्रैक सही की रिपोर्ट देना नैतिकता के विरुद्ध है। बगैर टिकट यात्रियों को ले जाना नैतिकता के विरुद्ध है। रेल के डिब्बों में लगे हुए सामान को चोरी करना अथवा क्षति पहुँचाना नैतिकता के विरुद्ध है, अकारण ही रेल को जंजीर

खीचकर रोकना दण्डनीय अपराध है। रेलों में पुलिस फोर्स बढ़ाया जाना चाहिए, जो अनावश्यक रूप से हाल्ट न होने पर भी अपना गाँव ट्रेन के सामने आने पर जंजीर खींचकर रेल को रोकने वाले के साथ सख्ती से कार्यवाही करने में सक्षम हो। यदि ऐसे व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो उनसे निबटने के लिए पुलिस फोर्स काफी संख्या में उपलब्ध रहे। विशेष कर उन ट्रेनों पर जो अधिकतर रोकी जाती हैं। हमें अनैतिक कार्य से बचना चाहिए तथा रेल को हानि पहुँचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। केन्द्र सरकार को भी चाहिए कि रेलवे में स्टाफ की तुरंत आपूर्ति करें। जिस विभाग में एक लाख से अधिक रिक्त स्थान हैं वहाँ आपूर्ति क्यों नहीं की जाती। इससे बेरोजगारी दूर होगी। अराजक तत्वों पर रोक लगेगी और जब चैकिंग स्टाफ पूरा होगा तो रेल किसी भी दृष्टि से हानि में नहीं जाएगी और जब रेल हानि में नहीं जाएगी तो उसका रख–रखाव भी उत्तम होगा और दुर्घटनाएँ भी घटेंगी। यात्रा हम–आप करते हैं। दुर्घटना से हानि भी हमें और आपको ही होती है। रेलवे से लाभ भी हम–आपकों ही है। अतः हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसी कार्य से रेल को हानि न हो। सरकार को रिक्त स्थान भरने के लिए विवश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। रेल मंत्री को विवश किया जाना चाहिए कि वह रिक्त स्थानों पर आपूर्ति करें तभी रेल का कल्याण है, तभी जनता का कल्याण और तभी देश का कल्याण है।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–8

भारतवर्ष जहाँ पर अनेक देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ कदम–कदम पर मन्दिर बने हुए हैं। जहाँ धर्म के नाम पर लोग झगड़ने को तैयार रहते हैं, जहाँ मन्दिर अथवा मन्दिर की मूर्ति खण्डित होने पर विवाद खड़ा हो जाता है। जहाँ अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है। जहाँ भगवान का नाम लेकर लोग सुबह को उठते हैं और शाम को सोते हैं, आरती, भजन, पूजन, जागरण दिनचर्या में आ गये हैं। जहाँ गाय को माता, गंगा को माता, सूर्य को भगवान के रूप में देखा जाता है। वहाँ पर भगवान के नाम का दुरुपयोग नहीं बल्कि खुलेआम अपमान होता है और बुद्धिजीवी, धर्मभीरु और धर्मपरायण सभी लोग इसको सह जाते हैं। एक क्रिकेटर को भगवान कहना, भगवान का तो अपमान है ही, किन्तु उन भक्तों का भी अपमान है, जो भगवान में अटूट श्रद्धा रखते हैं। उस क्रिकेटर का भी अपमान है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहकर बुलाया जाता है। जिस क्रिकेटर को एक साल से अधिक अपना सौवां शतक लगाने में लग गया, उसे क्रिकेट का भगवान कहना हास्यास्पद भी है और अपमानजनक भी। फाड़ दिये जाने चाहिए वह अखबार, जिसमें क्रिकेट का भगवान कहकर सम्बोधन किया जाता है। उन समारोहों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, जिनमें एक क्रिकेटर को क्रिकेट का भगवान कहकर सम्मानित किया जाता है। केवल कुछ चाटुकार, कुछ चटपटी खबरे छापने वाले अखबार ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे ही कुछ चाटुकार किस्म के लोग क्रिकेटर को भारतरत्न देने की बात करते हैं। मैं

पहले भी लिख चुका हूं कि भारतरत्न केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने देश हित में प्राण उत्सर्ग किये हैं, जो देश के नाम पर खेल–खेल में करोड़ों कमा रहे हैं, उनका भारतरत्न से क्या काम। भारतरत्न की बात कहने वाले लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जितने मैच में क्रिकेटर महोदय ने शतक बनाये हैं, उनमें से कितने मैच देश हारा है और कितने मैच देश जीता है। यह जानकारी भी आवश्यक है। यदि देश हारता है और क्रिकेटर महोदय का शतक लगता है तो ऐसे शतक का क्या लाभ। ऐसा खेल देश के लिए नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्तिगत हो सकता है। ऐसा खेल जिसमें मैच फिक्सिंग के कई उदहारण सामने आये हैं, जिनमें आज भी मैच फिक्सिंग की चर्चा होती रहती है। उस खेल के खिलाड़ी को भगवान कहकर सम्बोधित किया जाना कितना उचित है, कितना अनुचित यह निर्णय मैं भग्वान के भक्तों पर छोड़ता हूं। भगवान के लिए भगवान का अपमान बन्द किया जाना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को भगवान कहकर पुकारना भगवान का अपमान ही है।

भारतवर्ष में किस प्रकार एक तंत्र हावी है, इसका एक उदाहरण अभी हाल में रेल मंत्री महोदय के सम्बन्ध में देखने को मिला। रेल मंत्री महोदय ने अपना बजट प्रस्तुत किया। बजट में कुछ नये काम करने के लिए धन की व्यवस्था हेतु किराया बढ़ाया गया। जनता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि जनता जानती है कि यह जो किराया बढ़ाया गया था, इससे नई रेल लाइन बिछ सकती थी। नये स्टेशन बन सकते थे। नये रेलवे कोच बन सकते थे। किन्तु जिस दल से संबंधित रेल मंत्री थे उस दल की हाईकमान को यह पसन्द नहीं आया और उनके एक इशारे पर रेलमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया। यदि जनता

को ऐतराज नहीं था तो किराया बढ़ाने के मुद्दे पर सम्बन्धित दल की मुखिया को परेशानी क्यों हुई। ऐसा लगता है जैसे भारतवर्ष में जनतंत्र प्रजातंत्र और गणतंत्र सभी कुछ केवल किताबों में सिमट कर रह गया है, जब भी कोई कार्य होता है, तो उसमें स्पष्ट झलक एकतंत्र की दिखाई देती है, कदम–कदम पर एकतंत्र हावी है। देश के ठेकेदार केवल कुछ नेता है, जो आजीवन पट्टा प्राप्त हैं। उनके जीवन में कोई भी निर्णय उनकी मर्जी के बगैर नहीं लिया जाना चाहिए। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी संस्तुति के बगैर नहीं होना चाहिए। वह जनप्रतिनिधि जो बीस–बीस साल से देश की ठेकेदारी कर रहे हैं, वह जनता पर भी हावी हैं और देश पर भी हावी हैं। रेलमंत्री का इस्तीफा मांगने से पहले उचित होता कि जनता की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाती। अँग्रेज जितनी रेल लाइन बिछा गया था, उतनी लम्बाई की रेल लाइन भी आजादी के पैसठ वर्षो में नहीं बिछ सकी हैं। जहाँ रेलवे लाइन बिछाने से रेलवे को लाभ होता, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। जो भी रेलमंत्री बना उसने केवल अपने प्रान्त में रेलों को आवाजाही सुनिश्चित की, केवल अपने प्रान्त की जनता की सुविधाओं पर दृष्टिपात किया। शेष किसी बात पर विचार नहीं किया। रेलमंत्री एक अच्छा कार्य करने जा रहे थे। उनसे इस्तीफा मांगना देश का दुर्भाग्य है। विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंची है। विरोध इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि सत्तापक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो विपक्ष का धर्म है विरोध करना। विरोध केवल जनविरोधी कार्यो के लिए होना चाहिए। रेलमंत्री महोदय का रेलवे में सुधार करने हेतु, नये कार्य

चलाने हेतु किराया बढ़ाने का प्रस्ताव अनुचित नहीं था। सत्ता की भूख में मिली जुली सरकार बनाकर सहयोगी दल की उचित–अनुचित बातें मानना देशहित में नहीं है।

आजकल का ज्वलंत प्रश्न है सेना प्रमुख और सरकार का आमने–सामने आना। सेना प्रमुख ने सेना में जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा जिन अस्त्र–शस्त्र की आपूर्ति के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर विचार करने की बजाय सेना प्रमुख की इसलिए खिचाई की जा रही है कि उन्होंने सरकार का इन कमियों की ओर ध्यानाकर्षण क्यों किया। सेना प्रमुख का दोष यह है कि उन्होंने यह स्थिति स्पष्ट की कि गोला बारूद कम है, अस्त्र–शस्त्र कम हैं, हवाई सेना और नौ सेना पर उनकी आवश्यकतानुसार अस्त्र–शस्त्र नहीं हैं। यह क्या गलत किया यदि हमारे देश के कर्णधार तथाकथित नेतागण इस ओर उदासीन हैं तो सेना प्रमुख का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार का ध्यानाकर्षण करे। छानबीन इस बात की होनी चाहिए कि सेना प्रमुख ने जिन आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु लिखा है, वह सही हैं अथवा गलत। यदि वह सही हैं, तो उनकी आपूर्ति हेतु सरकार को प्रयास करना चाहिए और सेना प्रमुख को इस ध्यानाकर्षण हेतु सम्मानित किया जाना चाहिए। किन्तु यदि उन्होंने भ्रामक स्थिति पैदा की है, केवल हीरो बनने के लिए गलत खबर छाप दी है तो ऐसे सेना प्रमुख को नियमानुसार कार्यवाही के लिए तत्पर रहना चाहिए। जहाँ तक सेना प्रमुख द्वारा लिखे गये पत्र के लीक होने का प्रश्न है यदि यह पत्र लीक हुआ है। तो तीन लोग जिम्मेदार हैं। प्रथम जिसने पत्र लिखा, द्वितीय जिसे पत्र लिखा गया और तृतीय जिसने इस खबर को प्रथम बार छापा कड़ाई से पूछताछ करने पर यह जानकारी हो सकती है कि

जिस व्यक्ति को इस पत्र के बारे में प्रथम बार पता चला तो उसे यह सूचना किसने दी। वही बता सकता है कि उसे यह पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ। अथवा यह पत्र उसे कहाँ से लीक हुआ। अन्धेरे में एक–दूसरे पर आक्षेप लगाना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा हो सकता है। अतः यह जानकारी आवश्यक है कि खबर लीक हुई तो कहाँ से हुई। खबर की सच्चाई के साथ–साथ लीक होने का माध्यम भी जानना महत्वपूर्ण है। इस पत्र में जो सेना की कमजोरियों के बारे में लिखा है। मैं मीडिया से भी यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी खबरे ना छापे क्योंकि इससे शत्रु देश को बढ़ावा मिलता है और उसे घर बैठे हमारी कमजोरियों को पता चलता है। हमें सतर्क और संयत रहना चाहिए। जो खबर देशहित में नहीं है, उसका प्रकाशन या प्रसारण नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रसारण या प्रकाशन देशहित में नहीं होता। यदि देश में सेना को आवश्यकता अनुसार अस्त्र–शस्त्र उपलब्ध नहीं है तो स्थिति वही हो सकती है, जो पूर्व में चीनी हमले के समय हुई थी, उस समय भी हमारे पास सैनिक संसाधान हमलावर देश के मुकाबले कम थे। और पुराने थे। सेना को आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों से सुसज्जित करना देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए आवश्यक है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–9

प्रत्येक देश का अपना कानून होता है और वह अपने कानून के हिसाब से चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को उस कानून को मानना भी चाहिए। अमरीका में प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्ति की जांच करने का नियम है। यदि शाहरूख खान की जांच की गई और उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। शाहरूख खान को भले ही अपने देश में लोग किंग खान कहते हों लेकिन हैं तो वह एक साधारण अभिनेता ही उनमें ऐसा विशेष क्या है कि उनकी जांच या उनसे पूछताछ विदेश के किसी हवाई अड्डे पर नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जहां पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है और रबर के मुखौटों का भी चलन है अतः कौन व्यक्ति किसका मुखौटा पहनकर आया है इसका पता तो जांच पर ही चलता है। जांच–पड़ताल होनी आवश्यक है और हमें प्रत्येक देश के नियमों का पालन करना चाहिए। शाहरूख खान कोई ऐसे विशेष व्यक्ति नहीं है कि उनकी जांच करने से देश का अपमान हो या उनका अपमान हो। मुझे याद है कि एक बार सबसे प्रथम प्रधानमंत्री को एक रेलवे फाटक पर रोक दिया गया था क्योंकि फाटक बंद हो चुका था और गाड़ी आने वाली थी, प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्न होकर उस गेट मैन को शाबासी दी थी। अमरीकन हवाई अड्डे पर जो जांच–पड़ताल की गई वो नियमानुसार थी। किसी द्वेष भावना से नहीं थी। इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। एक अभिनेता का स्टेटस क्या होता है यह जानने की बात है, जो केवल कुछ करोड़ रुपये के लिए अभिनय करता है वह विशिष्ट

व्यक्ति कैसे हो सकता है। मैं सहमत हूं काश्मीर के मुख्यमंत्री से जिन्होंने कहा कि इस बात को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक नियम के अन्तर्गत किया गया कार्य है। हमारे देश में मीडिया को बीमारी है किसी को किंग कह देते हैं, किसी को बिग कह देते हैं, किसी को परफैक्ट और किसी किसी को तो भगवान की उपाधि दे देते हैं लेकिन यह सब हैं तो साधारण मनुष्य ही, इनमें असाधारण क्या है। अतः मीडिया द्वारा इस जांच पड़ताल को गलत बताना और मामले को तूल देना मेरे अनुसार उचित नहीं था।

नक्सलवाद काबू से बाहर हो चुका है। रोज व्यक्तियों के अपहरण, उनकी हत्या और फिरौती के लिए शर्ते सामने आती हैं। किन्तु इसको समूल नष्ट करने का विचार किसी को नहीं आता। नक्सलवाद का कारण बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता है। सरकार का एक अंग नक्सलवाद के विरोधी है तो दूसरा अंग नक्सलवाद के पक्ष में है। नक्सली कौन हैं, यदि जांच पड़ताल की जाए तो अधिकांश नक्सलवादी सरकारी कर्मचारियों के, नेताओं के, अधिकारियों के रिश्तेदार निकल सकते हैं और यही कारण है कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ नेताओं की तो पूछ ही इस कारण है कि वह नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं। यदि सरकार चाहे और एक प्रकार से मिलिट्री को आज्ञा दे तो नक्सलवाद समाप्त हो सकता है, नक्सलवादी समाप्त हो सकते है तथा मुख्यधारा में आकर जुड़ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये, नक्सलवादियों को रोजगार से जोड़े। यदि नक्सलवादियों को रोजगार से जोड़ दिया गया तो देश नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है। किन्तु ऐसे लोग भी हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते और मुफ्त की शराब, शबाब और रोटी के चक्कर में नक्सलवादी बने हैं। उनसे सख्ती से

निपटना भी सरकार के लिए आवश्यक है। राजनीति में समझाने–बुझाने से यदि काम न चले तो दण्डात्मक प्रक्रिया भी अपनानी आवश्यक है, शास्त्र भी यही कहते हैं कि साम, दाम, दण्ड, भेद का प्रयोग करके समस्या का समाधान करना चाहिए। अर्थात यदि समझाने से और रोजगार देने का अवसर प्रदान करने से नक्सलवादी नहीं मानते हैं तो दण्ड आवश्यक है किन्तु इस नक्सलवाद के कलंक से देश को मुक्त कराना ही चाहिए। प्रजातंत्र में प्रजा की रक्षा सर्वोपरि है और नक्सलवादी प्रजा को मार रहे हैं अतः उनसे साम, दाम, दण्ड, भेद की प्रक्रिया द्वारा व्यवहार करना अनुचित नहीं होगा। प्रजा के एक व्यक्ति की रक्षा के लिए यदि प्रजा के 100 शत्रुओं को भी मारना पड़े तो उचित है।

अभी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली और इस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या 85 हो गई। जबकि वहां पर 160 न्यायाधीश की संख्या स्वीकृत है। उत्तर प्रदेश में योग्य अधिवक्ताओं और ईमानदार न्यायाधीशों की कमी नहीं है। केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को ही न्यायाधीश नियुक्त न किया जाए बल्कि अन्य प्रान्तों के उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले तथा जिला स्तर पर वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को भी न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। केवल मात्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को इलाहाबाद में ही न्यायाधीश नियुक्त करना न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, स्थानीय अधिवक्ता की अपने साथी अधिवक्ताओं से मतभेद हो सकते हैं, जिसका असर इस न्याय प्रणाली पर पड़ सकता है। क्योंकि जो अधिवक्ता न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा वह साथी अधिवक्ता से प्रसन्नता और अप्रसन्नता

के आधार पर व्यवहार कर सकता है। अतः अन्य प्रान्तों के अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। उसी प्रान्त के अधिवक्ताओं को उसी प्रान्त के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करना सारभौम सिद्धांत के विरुद्ध है। जब हम न्यायिक अधिकारियों को उनके गृह जनपद में नियुक्त नहीं करते हैं तो अधिवक्ताओं को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर देना जहां वह अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे हैं सिद्धांततः गलत है। एक बात और है जिस पर सरकार को और उच्च न्यायालयो को ध्यान देने चाहिए। वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर देना नैर्सिंगक न्याय की आवश्यकता है जबकि उच्च न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई का नोटिस नहीं भेजा जाता केवल एक सूची प्रकाशित की जाती है, जो अधिवक्ताओं में बंट जाती है। अब यदि अधिवक्ता अपने वादी अथवा प्रतिवादी को सूचित न करें और स्वयं ही उसकी अनुपस्थिति में बहस कर दें तो यह वादी एवं प्रतिवादी को अवसर देना नहीं कहा जा सकता। वादी एवं प्रतिवादी एक प्रकार से उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के बन्धुआ बनकर रह जाते हैं। होना यह चाहिए कि प्रत्येक सुनवाई का नोटिस वादी एवं प्रतिवादी को सीधे भेजा जाए ताकि उसे अपने मुकदमे की तैयारी कराने का पूरा अवसर मिल सके और मुकदमें की बहस भी उसके सामने हो सके तथा यदि वह कुछ कहना चाहे तो अदालत में कह सके अथवा अपने स्थानीय वकील को लाना चाहे तो ला सके। सुनवाई का नोटिस न भेजना केवल मात्र सूची टाइप कराकर बांट देना दासत्व काल की परम्परा हो सकती है। प्रजातांत्रिक युग में प्रजा को सुअवसर देना नैर्सिंगक एवं विधिक न्याय के अनुसार आवश्यक है।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–10

नक्सवादियों ने जिला कलैक्टर का अपहरण कर लिया। अंगरक्षकों को मार दिया और अब कई मांग कर रहे हैं जैसे कि नक्सलियों को छोड़ दिया जाए, आपरेशन ग्रीन हन्ट बंद कर दिया जाए तथा अन्य और भी दो मांगे हैं। भारतवर्ष पहले से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता रहा है, जिसमें बदले में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। विचार कर रहा हूँ कि नक्सलवादी निरीह जनता को, बैंक अधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों को ही क्यों अपहृत कर रहे हैं। राजनेताओं का अपहरण क्यों नहीं करते। क्यों नहीं उनको अंगरक्षकों से छुड़ाकर ले जाते। सोचिए! मेरे साथ आप भी सोचिए कि केवल सी.आर.पी.एफ. के जवान मर रहे हैं, उनकी बसें उड़ाई जा रही हैं, अन्य सुरक्षा बल भी उनके निशाने पर हैं। राजनेता क्यों नहीं हैं। मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन सोच तो सोच ही है, मेरी सोच के अनुसार राजनेताओं के सम्बन्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नक्सलियों से हैं, जिसके कारण नक्सली उनका अपहरण नहीं करते। जिन लोगों के सम्बन्ध नक्सलियों से नहीं है, उनका अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। राजनेताओं से सम्बन्धों के कारण ही सशक्त नक्सल विरोधी अभियान आरम्भ नहीं हो पाता। नक्सलियों की कोई जानकारी सरकार को नहीं मिलती, जबकि सरकार के बलों की आवाजाही की जानकारी उनको मिल जाती है। कई लाख सैन्य शक्ति वाला देश केवल नक्सलवादियों के सामने घुटने टेक रहा है। क्योंकि नक्सली कौन हैं? नक्सली वह बच्चे हैं, जो मुख्यधारा से हट चुके हैं। जिनके माता पिता या तो सरकारी सेवा में हैं,

या राजनेता हैं। किन्तु वर्तमान पारिवारिक ढाँचे के कारण बच्चे माता–पिता के प्यार के अभाव में, पालन पोषण के अभाव में नक्सली बन गये। अथवा नक्सलवादी वह लोग हैं, जो मुफ्त की शराब, खाना और शबाब चाहते हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते, जो परिश्रम से कमाना नहीं चाहते। उन्हें केवल एक बन्दूक लेकर नक्सलवाद से जुड़ना आसान लगता है। कुछ नक्सलवादी ऐसे भी हैं, जो बेरोजगारी के कारण नक्सलवादी बने हैं। बेरोजगारी दूर की जा सकती है तथा अन्य नक्सलवादियों को सुधारा जा सकता है यदि नौजवानों को रोजगार दे दिया जाए तो सम्भवतः नक्सलवाद में कुछ कमी आएगी। उन परिवारों को चिन्हित किया जाना चाहिए। जिनके बच्चे नक्सलवाद से जुड़ गए हैं। उनको अपने बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार समस्या के सुलझाने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाया जा सकता है। सर्वप्रथम समझाने से यदि मानते हैं तो नक्सलवादियों को मनाया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर यदि रोजगार देने से, धन की सहायता करने से वह मुख्यधारा में आते हैं तो स्वागत करना चाहिए। तीसरे स्थान पर माता पिता के दबाव से यदि वह नक्सलवाद छोड़ना चाहते हैं तो अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और अंत में यदि किसी प्रकार से भी नक्सलवाद को शून्य करना सम्भव न हो तो दण्ड प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। भले ही गेहूं के साथ घुन भी क्यों ना मारा जाए किन्तु नक्सलवाद समूल नष्ट होना आवश्यक है। अन्यथा उस क्षेत्र की तरक्की नहीं हो सकती, जहाँ नक्सलवाद जीवित है। वहां अपहरण होते रहेंगे, हत्याएँ होती रहेंगी और हम किंकर्त्तव्यविमूढ़ बने देखते रहेंगे और एक अपहरण के बदले नक्सलवादियों की कई मांग मानने के लिए मजबूर होते

रहेंगे। हमारे घुटने नक्सलवाद के सामने टिके हुए हैं और यह टिके ही रहेंगे यदि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने का बीड़ा नहीं उठाया। समाप्त कर दीजिए उन नेताओं को जिनके सम्बन्ध नक्सलवादियों से हैं, जिन जंगलों में नक्सलवादी हैं उनको चारों तरफ से घेरकर उनमें आग लगा देनी चाहिए, जिससे या तो नक्सलवादी जलकर मर जाएं अथवा बाहर निकलते ही भून डाले जाए। किन्तु एक निरीह व्यक्ति के बचाने के लिए यदि 100 दुष्टों का संहार भी करना पड़े तो भी वह पाप नहीं पुण्य है।

पुण्य का जिक्र हुआ तो पुण्य सलिला गंगा माता का ध्यान आ गया। गंगा बचाओ अभियान में एक व्यक्ति ने अपना बलिदान दे दिया और भी कई व्यक्ति इस अभियान से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष के हिन्दुओं की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है, दूर–दूर से लोग गंगा में स्थान करने के लिए, गंगा दर्शन के लिए, गंगा जल आचमन के लिए गंगा के किनारे हरिद्वार आते रहते हैं। जब समस्त हिन्दुओं की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है तो गंगा का उद्धार क्यों नहीं हो रहा। गंगा को गहरा करने के लिए कोष आवंटित होता है और वह किस गहराई में चला जाता है, इसका पता नहीं चलता। गंगा को यदि गहरा कर दिया जाए तो गंगा बाढ़ग्रस्त कभी नहीं होगी। गंगा में बाढ़ जब ही आती है जब वह उथली हो गई है और जल किनारों को तोड़कर आसपास के गावों में, मकानों में घुस जाता है। बाढ़ राहत कोष के लिए पैसा आवंटित होता है, वह कौन सी राहत के काम आता है जब हर साल आने वाली बाढ़ को हम नहीं रोक सकते। एक नदी को हम नियंत्रित नहीं कर सकते जबकि हमारे पास असीमित साधन उपलब्ध हैं। गंगा के किनारे बसे गाँवों को स्थायी रूप से कुछ दूरी पर पुर्नस्थापित किया जा सकता है। किन्तु हम नहीं करते,

हम प्रत्येक वर्ष बाढ़ का नजारा देखने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं और बाढ़ राहत कोष का जो जल आता है, उसका आचमन करते रहते हैं। जाड़ों में गंगा में जल कम हो जाता है, तब उसको गहरा करने का कार्य आसानी से हो सकता है, किन्तु हम गहरा करना नहीं चाहते क्योंकि यदि गंगा गहरी हो गई तो बाढ़ राहत कोष नहीं आएगा और यदि कोष नहीं आएगा तो हमारे कोष का क्या होगा? अपने कोष को भरने के लिए बाढ़ का आना आवश्यक है। गंगा में निरन्तर गन्दी फैक्ट्रियों का दूषित जल गिराया जा रहा है, गन्दी नालों और नालियों को गंगा में गिराया जा रहा है। गंगा के किनारे हजारों की तादाद में पूरे देश में चिताएं जलती हैं और उसकी राख, कोयला तथा अवशेष गंगा में बहा दिए जाते हैं। इन सब पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। हिन्दूओं की आस्था मृत शरीर को जलाने में हैं। इसका प्रबन्ध बिजली के शव दाह गृह बनाकर किया जा सकता है, जहां पर दाह संस्कार के बाद अस्थियों/फूलों को ले जाकर बहाया जा सकता है, उससे प्रदूषण कम होगा और वह मात्रा में भी कम होंगी। अधिक अच्छा तो यह है कि गंगा में ना नाले पड़े, ना फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल पड़े और न किनारे पर शव दाह हो। जिसको हम मां कहते हैं उसके अन्दर मृत शरीर को जलाकर उसकी राख को बहाना पुण्य का कार्य नहीं है और न ही इससे मोक्ष प्राप्त होगा। गंगा को बचाना हमारा धर्म है। शास्त्रों के अनुसार, बुद्धिजीवियों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार तथा विदेशियों के अनुसार भी गंगा के जल में जीवनी शक्ति उपलब्ध है और जिसमें जीवनी शक्ति है, उसके जल को प्रदूषित करना मानवता के साथ एक अपराध करना है और हमें अपने–आपको इस अपराध को करने से रोकना होगा। सरकारी हस्तक्षेप भी

आवश्यक है और गंगा का गहरा किया जाना उससे भी अधिक आवश्यक है। गंगा के किनारे लगने वाले मेलों पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए, जिससे मेलों में होने वाली गन्दगी गंगा को प्रदूषित न करें।

कई सन्त, महात्मा गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। गंगा स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। किन्तु यह सन्त महात्मा क्या वास्तव में तपस्वी हैं, क्या वास्तव में धार्मिक कार्यो में व्यस्त हैं। इनके आश्रमों में क्या केवल धर्म की गंगा बहती है। क्या इनका सारा समय भजन–पूजन में व्यतीत होता है, क्या यह वास्तव में जग कल्याण चाहते हैं। भारतवर्ष का हर व्यक्ति सन्त महन्तों का आदर करता है, इनको खुलेहाथ दक्षिणा देता है। प्रत्येक सन्त ने, महात्मा ने बड़े–बड़े आश्रम बना लिये हैं। आश्रमों में लोग ठहरते हैं और अपनी सामर्थ्यानुसार दान देते हैं किन्तु कितने सन्त वास्तव में सन्त हैं, कितने महात्मा वास्तव में महात्मा हैं आज जब इस पर विचार करने को मन करता है तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश सन्त–महात्मा अपने आश्रमों में व्यापार कर रहे हैं। दवाएँ बनाते हैं, पुस्तकें छापते हैं, आश्रमों में ठहरने वाले यात्रियों से किराया भी लेते हैं, ऐसे व्यवसायी सन्त–महात्माओं को हम कैसे वह दर्जा दे सकते हैं, जो पहले ऋषियो–मुनियों को दिया जाता था जो संसार से विरक्त होकर सांसारिक सुख सुविधाओं को त्यागकर जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, चटाई पर सोते थे और सात्विक भोजन करते थे। आज आश्रमों में क्या हो रहा है यह सब जानते हैं। अधिकारियों के, नेताओं के कालेधन को दक्षिणा/दान के रूप में स्वीकारने वाले सन्त–महन्त कितने धार्मिक हैं और कितने जनकल्याणी हैं, यह अनुसंधान का विषय है। कुछ सन्त–महन्तों ने स्कूल भी खोल लिए हैं, जहां अच्छी

खासी फीस बच्चों से ली जाती है। भोजन का शुल्क भी लिया जाता है, जो उस दान से अलग है, जो उन्हें अपने विशिष्ट भक्तों से प्राप्त होता है। कालेधन की परम्परा यहीं से आरम्भ हुई है। अधिकांश भक्त गुप्त दान करते हैं, यह गुप्त दान केवल काले धन का होता है। जो काले धन में विश्वास नहीं रखते वह चैक द्वारा भुगतान करते हैं अथवा अपने नाम से दान देते हैं। किन्तु कालाधन दान देने वाले व्यक्ति आंख बंद करके हुण्डियों में पैसा डालते हैं। इसका पुण्य उन्हें कितना मिलता है, यह तो ईश्वर जाने और दानदाता जाने किन्तु यह अवश्य है कि बड़े–बड़े आश्रमों में केवल मात्र व्यवसाय हो रहा है। कुछ आश्रम के सन्त–महन्तों पर मुकदमे भी चल रहे हैं। कुछ पर कलंक भी लगे हैं किन्तु हम पहचानने में असमर्थ हैं। अंधी श्रद्धा और अंध विश्वास के चलते हम इन आश्रमों में जाते हैं, इन सन्त महन्तों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बदले में गुप्तदान देकर विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में सच्चे सन्त महन्तों की पूर्णतया कमी हो गई है, केवल मात्र व्यापारिक सन्त–महन्त ही वर्तमान में विद्यमान है, जिनसे देश या जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ निष्क्रिय लोगों को आश्रमों में जाकर बिना कुछ करे धरे तथाकथित पुण्य कमाने का अवसर अवश्य मिल जाता है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–11

प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय अपना–अपना संगठन बनाने की बात करते हैं किन्तु संगठन और एकता केवल अल्पसंख्यक समुदाय में ही देखने को मिलती है और यही कारण है कि प्रत्येक दल अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में से ही प्रत्याशी खड़ा करना चाहता है और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटो को लुभाने और रिझाने के लिए तरह–तरह के प्रलोभन देता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात करते हैं। प्रत्येक नेता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए चिन्तित है किन्तु अन्य संप्रदाय के लोगों के बारे में सब उदासीन हैं। इसका कारण केवल मात्र एकता और संगठन की कमी है। ब्राह्मण वर्ग में तो संगठन या एकता हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको परशुराम का अवतार समझता है और एक झूठे अहम् में डूबा रहता है कोई किसी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। कोई एक–दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग की कोई पूछ नहीं है। एकता के जो उदाहरण अल्पसंख्यक वर्ग में मिलते हैं, उनसे प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। चुनाव में यदि अल्पसंख्यक वर्ग के चार व्यक्ति खड़े हैं, तो सबका प्रयास यह रहता है, कि कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़े और कोशिश करके तीन व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है। यदि कहीं कोई विवाद है तो समस्त अल्पसंख्यक वर्ग के लोग एकत्रित हो जाते हैं। रात–दिन अखबारों में पढ़ते

रहते हैं। अभी दिनांक 29.4.2012 को बिजनौर में शहर कोतवाली पर हंगामा हुआ और अखबारों के अनुसार वहाँ पुलिस पर हमला भी हुआ और अन्त में पुलिस को ही झुककर समझौता करना पड़ा। दैनिक जागरण के अनुसार " कोतवाली शहर पुलिस जंदरपुर गांव से अगवा युवती की बरामदगी के मामले में उसके अपहर्ता मुरसलीम के एक रिश्तेदार को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। सपा जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, डॉ. जमीरूद्दीन उस्मानी, डॉ. फिरोज आलम अंसारी समेत कई कार्यकर्ता करीब आठ बजे थाने पहुंचे। उन्होंने कोतवाल रामप्रसाद दुबे पर रिश्तेदार को छोड़ने का दबाव बनाया। कुछ कार्यकर्ताओं ने कोतवाल से अभद्रता कर दी और सिपाहियों को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठी लगने से अखलाक उर्फ पप्पू घायल हो गया। कोतवाल के निलंबन की मांग को लेकर सपाइयों ने थाने में हंगामा व नारेबाजी की। एसपी दलबीर सिंह यादव, एएसपी सिटी संजय सिंह, सीओ सिटी त्रिगुन बिसेन कई थानों की पुलिस व पीएसी के साथ थाने में पहुंच गए। कार्यकर्ता कोतवाल के निलंबन की मांग पर अड़ गए। एसपी के कोतवाल को हटाने के आश्वासन पर शांत हुए। साथ ही एसपी ने रिश्तेदार को भी पूछताछ के बाद छोड़ने का आश्वासन दिया।" यह एकता का प्रतीक है। मैं इस एकता को सलाम करता हूँ। यही एकता है, जिसके कारण प्रत्येक दल अपना प्रत्याशी अल्पसंख्यक वर्ग को बनाना चाहता है और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को रिझाना चाहता है। भले ही वह केन्द्र की सरकार हो अथवा प्रान्त की सरकार हो। हमें यदि एकता और संगठन सीखना है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से सीखना चाहिए तभी देश में सत्ता का संतुलन रह

सकता है।

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा एक बार दिया गया था। एक विशेष अभियान चलाया गया था और एक फिल्म अभिनेता को यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्तु उसका लाभ तत्कालीन सत्ता को नहीं मिला। अगले चुनाव में उत्तम प्रदेश का नारा देने वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई और ब्राह्मण एकता के प्रतीक एक सुविज्ञ व्यक्ति के प्रयास से नई सरकार बनी। अब फिर उत्तम प्रदेश का नारा देने वाली सरकार सत्ता में आई है और फिर से फिल्म अभिनेता के परिवार की वंदना आरम्भ हो गई है। पहली बार वह स्वयं चर्चा में थे अबकी बार उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य बनाईं गई हैं। प्रदेश तो उत्तम प्रदेश जाने कब बनेगा किन्तु राज्यसभा में अवश्य ही कुछ उत्तमता प्रकट होगी। पता नहीं क्यों हम फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों को इतना महत्व देते हैं जबकि न तो यह राजनीति जानते हैं और न ही जनता का कोई भला कर सकते हैं। केन्द्र सरकार में भी एक बार एक अभिनेताश्री को सांसद बनाया गया। उनके काल में बोफोर्स का मुद्दा चला और वह आज तक जीवित है। एक और अभिनेताश्री को सांसद बनाया गया और वह जिस प्रान्त से सांसद बनाये गये वहाँ सत्ता ही हाथ से निकल गई। जनता का भी यही हाल है, कहीं कोई फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री शूटिंग करने आते हैं, तो जनता अपने सारे काम छोड़कर उनके पीछे भागती है। जबकि उनमें विशेष कुछ नहीं है, वह आपके घर–परिवार के सदस्यों से बेहतर नहीं हैं। घर–परिवार के सदस्य वास्तविकता में जीते हैं जबकि फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री कृत्रिमता का अभिनय करते हैं। अभिनेताओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति छूटनी चाहिए। हमें

वास्तविकता में जीना चाहिए। नेताओं के भाषण सुनने की बात तो समझ में आती है, कि उनकी सभाओं में भीड़ एकत्रित हो किन्तु अभिनेताओं की शूटिंग देखने के लिए अथवा उनके दर्शन करने के लिए भीड़ का एकत्रित होना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना और कभी–कभी भगदड़ होने पर दो–चार हादसों का हो जाना चिन्ताजनक है। स्वच्छ छवि वाले बुद्धिजीवी व्यक्ति यदि राज्यसभा में लाए जाए अथवा सांसद मनोनीत किये जाए तो बात समझ में आती है। जो राजनीति को भी जानते हो और प्रजा की बात को संसद में भी रख सके। किन्तु राजनीति से अनभिज्ञ व्यक्ति केवल संसद में सौन्दर्य का प्रवेश कराने के लिए यदि सांसद मनोनीत किए जाते हैं तो यह देशहित में नहीं है।

अखबारों में पढ़ने को मिला कि केन्द्र सरकार अब भगवान भरोसे। उत्सुकता हुई और आखिर तक पढ़ने की इच्छा हुई, इस कल्पना से मन प्रसन्न हुआ कि शायद भगवान का अवतार हो गया है और देश के नेताओं ने बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी है। किन्तु आखिर में पढ़ने पर पता चला कि भगवान नाम का अपमान करना बंद नहीं हुआ है। एक साधारण मनुष्य को भगवान कहकर पुकारना भगवान का अपमान ही है। चिन्तन का विषय यह है कि एक व्यक्ति ने यदि क्रिकेट में 100 शतक बनाए तो वह महान है या जिस साहित्यकार ने 100 पुस्तकें लिखी वह महान है। इतिहास उठाकर देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत से पहले क्रिकेट का खेल नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिकेट का खेल हिन्दुस्तान को तोहफे में दिया है। जहाँ–जहाँ ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, वहाँ–वहाँ यह खेल आज भी नहीं खेला जाता। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका कहीं भी इस खेल का

प्रचलन नहीं है और यह सभी देश तरक्की कर रहे हैं। किन्तु भारतवर्ष आज तक दासत्व भाव से ग्रस्त है और वह अँग्रेजों के इस तोहफे को नकारना नहीं चाहता। बात क्रिकेट के भगवान से आरम्भ हुई थी अतः वहीं पर खत्म होगी। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जनता से कि– क्रिकेट के भगवान ने जिन मैचों में शतक बनाये हैं, उनमें देश कितने में हारा है कितने में जीता। सबसे आखिरी शतक बंग्ला देश से खेलते हुए लगा था, जिसमें देश हार गया था। जिस टीम की तरफ से क्रिकेट के भगवान स्वयं खेल रहे हों उसका हारना आश्चर्यजनक लगता है। क्या भगवान की मर्जी के बिना हार जीत हो सकती है जब सभी शास्त्र यह कहते हैं, कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो क्या इसमें भी भगवान की मर्जी निहित है कि देश भले ही हार जाए किन्तु मेरा शतक लगना चाहिए। देश के जितने भी सम्मान हैं सभी भगवान को दिए जाने का अनुरोध हो रहा है। जब स्वयं विशेषण भगवान का लग गया तब फिर और किसी सम्मान की आवश्यकता ही क्या है। वैसे भी वर्तमान में केन्द्र सरकार में सत्तासीन दल किंकर्त्तव्यविमूढ़ वाली स्थिति में आ गए हैं इसीलिए उन लोगों को संसद में लाया जा रहा है, जो राजनीति, देशहित, जनहित अथवा प्रजातंत्र के अर्थ से वाकिफ नहीं हैं। वास्तव में भारतवर्ष भगवान भरोसे ही है लेकिन क्रिकेट के भगवान के नहीं वास्तविक भगवान के। वैसे भी एक विद्वान विदेशी यात्री ने भारतवर्ष की स्थिति देखते हुए कहा था कि भारतवर्ष भगवान के भरोसे है। उसने क्या देखा था यह तो मैं नहीं जानता किन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था को यदि देखा जाए तो देश भगवान के भरोसे ही है।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–12

टू–जी स्पैक्ट्रम घोटाले के मुख्य अभियुक्त ए॰राजा की जमानत हो गई। कनिमोझी की जमानत पहले ही हो चुकी है। सुरेश कलमाड़ी जेल से बाहर हैं। किस–किसका नाम लिया जाए, जितने भी प्रमुख लोगों ने घोटाले किये हैं वह सभी धीरे–धीरे जमानत पर रिहा हो रहे हैं और धीरे–धीरे इतना लम्बा समय खिचेंगा कि गवाह मर जाएँगे, साक्ष्य मिट जाएँगे और सभी घोटालेबाज बड़े आराम से बाइज्जत बरी हो जाएँगे और पुनः उन्हीं पदों पर स्थापित हो जाएँगे, जिन पदों पर वह घोटाला करते रहे हैं। हाऊसिंग सोसायटी घोटाला, खाद्यान्न में घोटाला, खेल में घोटाला और आज के अखबार (दैनिक जागरण दिनांक 16.5.2012) के अनुसार मायाराज में चालीस हजार करोड़ का घोटाला सम्भावित है। यदि कुल घोटालों का जोड़ लगाया जाए तो पूरे देश की जनसंख्या कम पड़ जाएगी। कुल घोटालों की रकम जोड़ी जाए तो एक नया हिन्दुस्तान खड़ा हो सकता है और देश की गरीबी दूर हो जाएगी। घोटाला करोड़ों में, अरबों में है और अगर वास्तविक जोड़ लगाया जाए तो खरबों में भी हो सकता है। चूँकि बड़े–बड़े दिग्गज घोटालों में हिस्सेदारी रखते हैं अतः घोटालाबाजों का कुछ बिगड़ना सम्भव ही नहीं है। इतिहास गवाह है अधिकांश घोटालेबाज येन–केन प्रकारेण छूट ही जाते हैं। कुछ तो इतने होशियार हैं कि अपने जीवनकाल में मुकदमे को तय ही नहीं होने देना चाहते। जितना मुकदमा लम्बा खीचता है उतने ही साक्ष्य मिट जाते हैं और साक्षी मर जाते हैं। पशु चारा घोटाला इसकी मिसाल है। ऊपर से नीचे तक यदि देखा जाए

तो अधिकांश नेता/मंत्री घोटालों में लिप्त मिलेंगे। घोटालों से संबंधित मुकदमे शीघ्र तय होने भी सम्भव नहीं है क्योंकि न तो सरकार चाहती है और न घोटालेबाज चाहते हैं। क्योंकि घोटालेबाज ही सरकार में हैं और सरकार में ही घोटाला होता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की कमी है, जनसंख्या के साथ–साथ मुकदमे बढ़ रहे हैं किन्तु अदालतें उस अनुपात में नहीं हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 75 न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किये जाने वांछित है। जब न्यायालय में न्यायाधीश ही नहीं होगे तो मुकदमे कैसे निस्तारित होंगे और जब मुकदमे निस्तारित नहीं होगे तो घोटालेबाजों की जमानत अवश्यम्भावी है और वही हो रहा है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है। अनाज खरीद में घोटाला। सड़ने से बचाने में घोटाला और फिर सड़ा हुआ अनाज फेंकने में घोटाला प्रत्येक स्तर पर घोटाला, डायनासोर की तरह से मुँह फाड़कर खड़ा हो जाता है। सेना प्रमुख के अनुसार फौजों के पास गोला–बारूद की कमी है। हवाई जहाज भी वर्षो पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं। यदि हमला होगा तो गोला–बारूद की अनुपस्थिति में फौज कहाँ से लड़ेगी, स्थिति वही हो सकती है, जो पहले चीन युद्ध के समय थी।

केन्द्र सरकार विवश है। थकी हुई है और अपने ही सहयोगियों से हारी हुई है। ममता बनर्जी पूरी तरह केन्द्र सरकार पर हावी हैं। रेलमंत्री उनके एक इशारे पर हटा दिया गया। मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी वह सम्मिलित नहीं होती। उन्हें बंगाल के अलावा भारतवर्ष का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता। भला वह बंगाल का भी नहीं चाहतीं। टाटा द्वारा स्थापित की जाने वाली फैक्ट्री जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता उन्होंने लगने नहीं दी। माओवादी उनके नियंत्रण में नहीं हैं। पार्टी में भी मतैक्य

नहीं है। जिसका गुस्सा वह केन्द्र सरकार पर निकालती हैं। इसी प्रकार अन्य घटक भी यदा–कदा केन्द्र सरकार को धमकाते रहते हैं। क्या कमजोरी है, जो केन्द्र सरकार सबको सह रही है। सबसे मुख्य कारण काँग्रेस के प्रति जनता की आस्था में कमी आना है। इन घोटालों के कारण काँग्रेस की छवि धूमिल हुई है। नेताओं के बयान और मंत्रियों के घोटालों में लिप्त होने के कारण जनता का विश्वास काँग्रेस पर से घटा है। गृहमंत्री भी चक्कर में हैं। विदेशमंत्री पर भी इशारा हो रहा है। हिन्दी आज तक देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। बेरोजगारी और गरीबी हल करने में सरकार विफल रही है और इस सबकी जिम्मेदारी काँग्रेस पर है, यही कारण है कि काँग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी हार का मुँह देखा है। काँग्रेस की हार रायबरेली और अमेठी में भी हुई, जो काँग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं। क्योंकि काँग्रेस निर्णय लेने में अक्षम हो चुकी है। जनता को अग्नि मिसाइल के परीक्षण से कोई लेना–देना नहीं है, जनता केवल अपने से संबंधित बातों को देखती है। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के ऊपर महत्व देना एक बहुत बड़ा कारण है, जो बहुसंख्यक समाज पहले केवल काँग्रेस को पहचानता था, अब काँग्रेस के बर्ताव से खिन्न है।

क्रिकेट मैच में फिक्सिग होना कोई नई बात नहीं है। पहले से सुनते आए हैं कि क्रिकेट मैंच में फिक्सिग होता है अब अगर कुछ खिलाड़ियों को पकड़ लिया गया है तो यह कोई आश्चर्य नहीं। वस्तुतः हम जानते है कि फिक्सिंग के कारण से ही शतक बनते हैं और फिक्सिग के कारण से ही मैच में हार जीत होती है पहले भी एक बार इस बात के साक्ष्य दिए गए थे कि एक मैच में फिक्सिग हुआ और उस मैच की हार जीत का पहले से ही पता चल गया क्योंकि वह सुनिश्चित हो चुकी थी। वस्तुतः यह

अँग्रेजों का एक षडयंत्र था जो क्रिकेट देश पर थोप दी गई और अब चूँकि क्रिकेट के माध्यम से, मैच फिक्सिंग के माध्यम से ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को मलाई खाने का मौका मिलता है, सभी पर धन की वर्षा होती है तो अब कोई भी क्रिकेट को प्रतिबन्धित करने को तैयार नहीं है। यदि क्रिकेट पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो जो हजारों करोड़ रुपया इस पर व्यर्थ खर्च होता है वह देश के बन्द पड़े रोजगारों को चलाने के काम आ सकता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन चूँकि कुछ मंत्रियों को भी क्रिकेट से दिलचस्पी है अतः क्रिकेट के खेल को रोकना कोई नहीं चाहता, भले ही देश का बेड़ा गर्क होता रहे। हम तरक्की करना चाहते हैं, चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका की तरह लेकिन क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया की तरह। कारण हम अभी तक दासत्व भाव से बाहर नहीं आए हैं। आज पूरे देश पर क्रिकेट हावी है। पूरे देश पर घोटाले हावी हैं। केन्द्र सरकार पर सहयोगी घटक दल हावी हैं। कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि काँग्रेस अवनति की ओर जा रही है, क्योंकि जनता इन सब बातों के लिए काँग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। जनता के अनुसार उत्तर प्रदेश में हाथियों के नाम पर जो घोटाला हुआ, उसमें केन्द्र सरकार तमाशगीन रही। और सिद्धांतानुसार जो अत्याचार को देखकर चुप रहता है वह अत्याचारी से भी अधिक दोषी होता है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती थी किन्तु सत्ता बचाने के लिए और अपनी कुर्सी स्थिर रखने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप चालीस हजार करोड़ के घोटालों की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण के मुकाबले भीष्म और

द्रोणाचार्य का दोष भी कम नहीं था। क्योंकि यह दोनों चाहते तो युद्ध रूक सकता था किन्तु यह दोनों भी अधर्म की ओर से लड़े, यही कारण है कि आज इनको कोई याद नहीं करता तथा यदि इसी प्रकार काँग्रेस भी मूकदर्शक बनी रही तो एक दिन याद करने वाले भी नहीं रहेंगे। अभी समय है काँग्रेस को चेतना चाहिए और कुछ काम ऐसे करने चाहिए, जिससे खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ सके।

देश में जंगलराज व्याप्त है। महिलाओं के अपहरण हो रहे हैं। अपहृर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती यदि पकड़ा भी जाता है तो जमानत हो जाती है। असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि सरेआम बदमाश मोटर साइकिल पर घूमते हैं और गले से चेन खीचकर अथवा गोली मारकर भाग जाते हैं। नामजद रिपोर्ट होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। इसका कारण सत्ता का अवांछनीय तत्वों को संरक्षण देना तथा थाने से बदमाशों को छुड़ा लेना और न्यायिक कार्यो में हस्तक्षेप करना है। अभी हाल ही में थाने से एक अपहृर्ता को छुड़ा लिया गया। एक दल विशेष के व्यक्ति जो आजकल सत्ता में है, ने थाने में हंगामा किया और दोषी व्यक्ति को छुड़ाकर ले गए। सरकार केन्द्र की हो या प्रान्त की केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहती है, देश की स्थिति पर कोई विचार नहीं होता। कसाब को आज तक फांसी नहीं दी जा सकी। हर वर्ष आतंकवादियों की जेल में मेहमाननवाजी पर अरबों रुपये खर्च होते हैं। किन्तु हम इस कदर हीन भावना से ग्रस्त हैं, इस कदर डरते हैं कि आतंकवादियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। उनको फाँसी देने में हमारी जान निकलती है, जबकि और देशों में ऐसा नहीं है वहाँ पर यथास्थिति न्याय के अनुसार कार्य होता है और मुकदमे भी इतने लम्बे नहीं चलते कि

दोषी व्यक्तियों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाएँ। धीरे–धीरे देश पर अल्पसंख्यक हावी हो रहे हैं। उनको हम सुविधाएँ भी बहुत दे रहे हैं क्योंकि हम देश नहीं चाहते। हम वोट चाहते हैं, हम देशहित नहीं चाहते, हम कुर्सी चाहते हैं इसीलिए वोट बैंक के हिसाब से निर्णय लेते हैं। अपहरणकर्ताओं में अधिकांश वही हैं, जिनका हम भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार बताते हैं। जनता रेल में, सड़क पर, बस में हर जगह असुरक्षित है। जबकि जनप्रतिनिधि प्रत्येक स्थान पर अपने अंगरक्षकों के साथ सफर करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है इसमें तृणमूल काँग्रेस की मुखिया ने प्रत्याशी का चयन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। काँग्रेस को इतना असहाय कभी नहीं देखा गया, जितनी वह इस समय लग रही है। इसका कारण केवल मात्र कुर्सी से चिपके रहना है। कभी राकापा अपने तेवर दिखाती है, कभी बाल ठाकरे बयान जारी कर देते हैं और सप्रग के सभी घटक दल के सदस्य अपनी–अपनी ढपली बजाते रहते हैं और सत्तारूढ़ दल केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में सबकी जी हजूरी करने के लिए विवश हैं। किसी भी स्तर पर देख ले चाहे वह केन्द्र का हो अथवा प्रान्त का अग्नि मिसाइल छोड़ने के अतिरिक्त अन्य कोई देशहित का कार्य किसी स्तर पर नहीं हुआ। हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में घोटाले अवश्य हुए हैं और घोटालेबाज निश्चिंत हैं। कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता और इसीलिए कल टू–जी स्पैक्ट्रम के मुख्य आरोपी ने जिस शान के साथ संसद में प्रवेश किया वह देखने लायक था। काँग्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन सिवाय अपने सांसदों को अथवा घटक दल के सदस्यों को बचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यह बात काबिले तारीफ है कि अन्य दलों की भाँति काँग्रेस अपने बड़े से बड़े घोटालेबाज

को भी बचाने का प्रयास करती है।

देश में पूरी तरह से एक तंत्र और परिवार तंत्र हावी है। किसी भी पार्टी को ले लीजिए प्रत्येक दल का अपना एक मुखिया है, जो प्रत्याशी निश्चित करता है और जनता पर थोप देता है। केन्द्र में पूर्णरूप से एक तंत्र और परिवार तंत्र हावी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सत्तासीन दल का पूरा परिवार राजनीति में लगा हुआ है। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार, सांसद अथवा विधायक है इसी प्रकार उड़ीसा में तथा और भी कई प्रान्तों में यही स्थिति है। प्रजातंत्र धीरे–धीरे पर्दे के पीछे चला गया है। कोई भी सांसद अथवा कोई भी विधायक जनता से पूछकर नहीं बनाया जाता। प्रत्येक दल प्रत्याशी सुनिश्चित करता है और किसी भी विधान सभा अथवा संसदीय क्षेत्र की जनता पर थोप देता है। जो दल एक बार सत्ता में आ जाता है उसका मुखिया स्वयंभू मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके परिवार के सभी सदस्य या तो सांसद अथवा विधायक अथवा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। यह तथ्यात्मक बात है जिसका सत्यापन सम्भव है। क्या केन्द्र के घटक दल, क्या प्रान्तीय सरकारें सभी मनमानी कर रही हैं। किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रित केवल जनता है, नियंत्रित केवल अंगरक्षक हैं, जो घोटालेबाजों की भी सुरक्षा करने को विवश हैं। यह सही समय है जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और सम्पूर्ण व्यवस्था फौज के हाथ में सौंप देनी चाहिए ताकि घोटालों के मामलों में त्वरित निर्णय हो और उन्हें त्वरित ही दोष मुक्त अथवा सजा योग्य करार दिया जाए। जनता को इस प्रकार की माँग करनी चाहिए और स्वयं को राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार करना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में जनहित विलुप्त हो

चुका है और उसके पुर्नप्रतिष्ठापन की कोई आशा नहीं है। ऐसे में यही सर्वथा उचित होगा।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–13

अन्ना हजारे ने कहा है (सत्यचक्र वर्ष 5 अंक 16, 7–13 मई 2012) कि यदि सिंघवी दोषी मिलें तो फाँसी दी जाए। देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादाएँ लाँघ रहा है, सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी श्रृंखला में अन्ना हजारे भी खड़े हो गये हैं। क्या अधिकार है अन्ना हजारे को यह कहने का कि यदि सिंघवी दोषी मिलें तो फाँसी दी जाए। किसने अन्ना हजारे को यह अधिकार दिया। अन्ना हजारे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। देश में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चलाया गया आन्दोलन अपनी जगह से हट रहा है। जब तक चिड़िया की एक आंख देखकर निशाना नहीं साधा जाएगा तब तक सफलता सम्भव नहीं है। चारों तरफ को देखकर और हर मोरचे पर विचार व्यक्त करना समझदारी नहीं होगी। फिर सिंघवी ने क्या अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें अन्ना हजारे फाँसी की सजा तजवीज कर रहे हैं। काँग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के विरुद्ध यह अफवाह उड़ाई गई है कि वह एक महिला के साथ आपत्तिजनक मुद्रा में एक सीडी में दिखाए गए हैं। शास्त्रानुसार यदि सहमति से एक पुरुष और एक महिला आपस में मिलते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसको पाप नहीं कह सकते। सहमति सर्वोपरि है। इस बात की जाँच किए बगैर कि सीडी सत्यता पर आधारित है अथवा बनाई गई है, अपना विचार व्यक्त करना, केवल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के समान है। सीडी फर्जी है यह अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं। विपक्षी मुद्दा ढूँढते रहते हैं। अपना चेहरा आईने में देखने की बजाए दूसरे के फोटो पर बवाल करना यह

जनता की आदत हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसके लिए बड़बोले नेता श्री अन्ना हजारे उन्हें फाँसी देने की माँग करें। यह भी देखना आवश्यक है कि यदि सीडी सत्य है तो उसमें दिखाई गई महिला कौन है। यदि उस महिला को कोई आपत्ति नहीं है तो तीसरे व्यक्ति को आपत्ति क्यों हैं। जब समलैंगिक सम्बन्धों को मान्यता देने की बात चल रही है और सम्भवतः यह भी धारणा है कि सहमति से बनाये गये सम्बन्ध आपत्तिजनक नहीं होते। इसमें दोष ढूँढने की अपेक्षा सत्य जानने की इच्छा होनी चाहिए थी। ऐसी वक्तव्यों से जनता भ्रमित होती है और किसी पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता अतः ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए और मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे वक्तव्यों को न छापा जाए।

इसी अखबार में लिखा है कि ममता तय करेंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार। ममता बैनर्जी किस कदर हावी हैं। कि अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी उन्हीं का होगा। काँग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कि घटक दलों की इस प्रकार की मनमानी केवल इसलिए सहन कर रही है ताकि कुर्सी बची रहे। काँग्रेंस का प्रभाव इसीलिए घट रहा है, क्योकि वह घटक दलों के प्रभाव में है। संप्रग में जितने भी घटक दल है, वह जब चाहे तब किसी न किसी बात पर काँग्रेस के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और अपनी मनमानी थोपने का प्रयास करते हैं। ममता बैनर्जी ने जिद करके रेलमंत्री को हटवा दिया। जबकि वह जनता की पसन्द था। लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया कि उसे हटा दिया जाए और केन्द्र सरकार ने घुटने टेक दिए। आप एक दफा दबेंगे तो बार–बार दबना पड़ेगा। राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अराजनैतिक हो क्योंकि राजनैतिक व्यक्ति गलत बात को

सहमति देने में झिझकता है और जब देश के राष्ट्रपति को एक रबर की मोहर का दर्जा दिया गया है और उसे संसद द्वारा पारित कानून पर हस्ताक्षर करने ही हैं तो राजनीति का क्या काम। जनता के बीच में से किसी एक योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाना सत्ता के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकता है। सबसे अच्छा तो यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता करे और जिस प्रकार एम.एल.ए. तथा एम.पी. के चुनाव होते हैं उसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी चुनाव हो तथा राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी रबर की मोहर तक सीमित न रहें। बल्कि उनमें एक गरिमा हो, राष्ट्रपति जिस बात को नहीं चाहते उसे स्वीकारने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जाना चाहिए। जनता द्वारा यदि राष्ट्रपति का चयन होगा तो संप्रग के सहयोगी दल इस प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकेगे और अपनी पसन्द नहीं थोप सकेंगे। राष्ट्रपति को भी इस बात का गर्व होगा कि उसे जनता ने चुना है और जनता को भी इस बात की खुशी होगी कि उनका अपना राष्ट्रपति सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है। आज के समाचार पत्र में है कि श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन करेंगी। यह कहाँ तक उचित है, क्या देश कोई लावारिस सम्पत्ति है, जिसका वक्फ सोनिया गांधी और उनके परिवार के नाम हो गया है अथवा आजादी के समय ऐसा कोई इकरार हुआ था कि जब तक नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक देश पर उसी की ठेकेदारी होगी। जनता को आवाज बुलन्द करनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनने का अधिकार केवल मात्र जनता का और केवल मात्र जनता का होना चाहिए।

राष्ट्र किंकर वर्ष 9 अंक 22, 27 मई से 2 जून 2012 नई दिल्ली

पृष्ठ 3 पर आई॰पी॰एल॰ के सम्बन्ध में एक कार्टून प्रकाशित हुआ है। जिसमें लिखा है बेहयाई नाच, रेव पार्टी, औरतबाजी, दारू, गुण्डई, अरबो–खरबों की हेराफेरी, सट्टेबाजी, दुबई माफिया, फिक्सिंग यानी आई॰पी॰एल॰ यह बिलकुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है क्रिकेटरों की खरीद फरोख्त हो रही है। बड़े–बड़े फिल्म स्टार और उद्योगपति अपनी–अपनी क्रिकेट टीम बना रहे हैं। मैंच हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैच न होता हो और मैच में चीयर्स गर्ल्स के नाम से महिलाओं को नृत्य न होता हो। मैच फिक्सिग न होता हो तथा अन्य ऐसे कार्य न होते हों जो दिखाई नहीं देते किन्तु सुने जाते हैं। मैच फिक्सिग की खबर आम हो गई है। प्रत्येक धनाढ्य अपनी टीम को जिताने के लिए प्रत्येक वह कार्य करना चाहता है, जिससे येन–केन प्रकारेण तथा साम–दाम–दण्ड भेद के प्रभाव से उसकी टीम जीते। कुछ क्रिकेटर भी स्वहित के लिए मैच फिक्सिग करते हैं। शतक बनता है, देश हारता है और हम एक साधारण क्रिकेटर को क्रिकेट का भगवान कहना आरम्भ कर देते हैं। भगवान शब्द का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? क्रिकेट एक प्रकार से अँग्रेजों का षडयंत्र था, जो भारतवर्ष पर थोप दिया गया। क्रिकेट के खेल में भारतवर्ष को व्यस्त कर देना और विकास कार्यो में गतिरोध उत्पन्न करना, शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न करना, सरकारी कामकाज में गतिरोध उत्पन्न करना, अँग्रेजों का मकसद था और वह इसमें कामयाब हुए, जिस दिन क्रिकेट का खेल होता है। उस दिन बच्चे कालेज नहीं जाते, सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होता। योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कार्य धीमे हो जाते हैं अथवा उस दिन बन्द कर दिए जाते हैं। क्रिकेट एक घुन और दीमक की तरह देश को चाट रहा है। क्रिकेट पर प्रतिबन्ध लगाने

के लिए कई बार लिखा जा चुका है, जनता ने जोर–शोर से आवाज दी है। लेकिन क्रिकेट प्रतिबन्धित नहीं हो रही। क्योंकि कुछ लोगों की जेब क्रिकेट के माध्यम से भरती है और कुछ लोग इसके माध्यम से अपने शौक पूरा करते हैं। मैच फिक्सिंग चयन से लेकर खेल अन्त होने तक चलती है। यदि जाँच कराई जाए तो क्रिकेट से सम्बन्धित लोगों के घर इतने भर चुके हैं कि वहाँ सभ्यता के आने की जगह ही नहीं बची है। आश्चर्यजनक बात है कि विश्व के विकासशील देशों में क्रिकेट नहीं खेली जाती। अमरीका, चीन, जापान, जर्मनी तथा रूस में क्रिकेट का प्रचलन नहीं है जबकि अपने देश में पूरी तरह से क्रिकेट हावी है, यही कारण है कि यहाँ पर सब कुछ अनियंत्रित है। महँगाई क्रिकेट के कारण बढ़ रही है, क्योंकि क्रिकेट में काला धन बढ़ रहा है। अश्लीलता बढ़ रही है। देश को हर क्षण, हर पल हार का सामना करना पड़ रहा है क्रिकेट का प्रतिबन्धित होना देशहित में है। यह बात शीर्ष पर बैठे नेताओं को समझनी चाहिए।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–14

श्री दिग्विजय सिंह ने कहा (बिजनौर टाइम्स पृष्ठ 1 दिन शुक्रवार, दिनांक 14.6.2012) कि नरेन्द्र मोदी एक रावण की तरह अहंकारी हैं। दिग्विजय सिंह को काँग्रेस की तरफ से पूरी छूट है वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अन्ना हजारे के बारे में, रामदेव के बारे में, नरेन्द्र मोदी के बारे में और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में यदा–कदा टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन उनमें समझ की कमी हो ऐसा नहीं है। वह जानते हैं कि किसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए और किसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह ऐसी टिप्पणी करते हैं, जिससे काँग्रेस हाईकमान खुश हो तथा जनता और सरकार में उनका दबदबा बना रहे और वह भी अपनी फड़ास निकालते रहें। किन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, जो सत्ता के विरुद्ध जाए या जिससे काँग्रेस हाईकमान नाखुश हों। ममता बैनर्जी के विरुद्ध आज तक श्री दिग्विजय सिंह ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ममता बैनर्जी ने रेल मंत्री को हटवा दिया, सिंगुर में टाटा की फैक्ट्री नहीं लगने दी, राष्ट्रपति के चुनाव में काँग्रेस द्वारा बताए गए सभी नाम खारिज कर दिए और भी कई बिन्दु ऐसे हैं, जिसमें ममता बैनर्जी ने सत्ता का विरोध किया है। प्रधानमंत्री से मिलने से इन्कार किया है किन्तु परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह ने कभी कोई टिप्पणी ममता बैनर्जी के विरुद्ध नहीं की। क्योंकि वह समझते हैं कि ममता बैनर्जी के समर्थन पर सरकार चल रही है। अतः ममता बैनर्जी को अधिकार है कि वह समर्थन वापसी की धौंस देकर जब चाहे और जो चाहे वह बात सरकार से मनवा

लें। रेल मंत्री का क्या कसूर था। उसने कुछ किराया बढ़ाया था, जिससे बहुत सी नई रेल लाइन बिछ सकती थी किन्तु उससे गलती हो गई, उसने बजट को संसद में रखने से पहले ममता बैनर्जी से पास नहीं कराया। इसलिए उसे बजट पेश करने के तुरन्त बाद कुर्सी से हटना पड़ा। प्रणव मुखर्जी चूंकि बंगाल के हैं अतः ममता बैनर्जी नहीं चाहतीं कि बंगाल का कोई अन्य व्यक्ति उनके अतिरिक्त ऊँचा उठे अथवा उच्च पद पर आसीन हो इसलिए प्रणव मुखर्जी का नाम खारिज कर दिया गया। प्रत्येक स्तर पर अपनी मरजी थोपने वाले व्यक्ति को कुछ न कहना और गुजरात को विकास की चरम सीमा तक ले जाने वाले व्यक्ति को अहंकारी बताना कितना उचित है, कितना अनुचित यह तो जनता तय कर सकती है किन्तु काँग्रेस हाईकमान को नाखुश करने की कोई टिप्पणी दिग्विजय सिंह कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग नरेन्द्र मोदी को अहंकारी के साथ–साथ तानाशाह भी कहते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में किसकी तानाशाही चल रही है, जिसके आगे काँग्रेस हाईकमान भी नतमस्तक है और प्रधानमंत्री भी घुटने टेक देते हैं। यह चिन्तन का विषय है।

इसी संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव के सन्दर्भ में विचार करना आवश्यक है। काँग्रेस ने दो नाम राष्ट्रपति पद के लिए उजागर किए थे। यह दोनों नाम ममता बैनर्जी ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर खारिज कर दिए और अपनी ओर से चार–पाँच नाम आगे कर दिए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉ. मनमोहन सिंह (वर्तमान प्रधानमंत्री) और पूर्व लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी तथा हामिद अंसारी। ममता बैनर्जी और मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्ड खोल दिए और उन लोगों के नाम

राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत कर दिए जो सत्ता के प्रति सख्त रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह का नाम इस आशय से उछाला गया, चूंकि मुलायम सिंह यादव आजकल यू.पी. से बाहर हैं और दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए उन्हें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी मन ही मन भा रही होगी और राष्ट्रपति चुनाव के बाद वह इस ओर भी जोड़–तोड़ कर सकते हैं। और भारत की सत्ता चूंकि मुलायम सिंह यादव के समर्थन पर चल रही है अतः हो सकता है मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए किन्तु कुर्सी खाली होना तो शर्त है इसलिए डा. मनमोहन सिंह का नाम भी राष्ट्रपति पद के लिए ले लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में लोग भूले नहीं होंगे। इसलिए काँग्रेस हाईकमान के समक्ष इनका नाम भी ले लिया गया। वर्तमान परिस्थितियों में यह लगा होगा कि ममता बैनर्जी की पेशकश को ठुकराने की ताकत सम्भवतः काँग्रेस में नहीं है। जब तक कि काँग्रेस यह तय ना कर ले कि भले ही संसद को भंग करना पड़े, कुर्सी छोड़नी पड़े लेकिन घुटने नहीं टेकेगी लेकिन जहां कुर्सी की लालसा शीर्ष पर हावी रहती है, वहाँ इसके बोझ से घुटने स्वतः मुड़ जाते हैं। संविधान में संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए। देश के तथाकथित मालिकों द्वारा नहीं। आज देश पर जिनका कब्जा है, वह सियासत, विरासत और रियासत दोनों का लाभ उठा रहे हैं और यह सब काँग्रेस की कमजोरी है। त्रिशंकु सरकार बनाने का यह अर्थ नहीं है कि सहयोगी दलों की उचित और अनुचित सभी बातें मान ली जाएँ। अब भी समय है अगर काँग्रेस अपनी छवि सुधारना चाहती है तो घुटने टेकना बन्द करे और सहयोगी दलों की उन्हीं बातों को माना जाए, जो

मानने योग्य हैं। अहंकारी, तानाशाही व्यक्तियों की बातों को मानने से कुर्सी तो बची रह सकती है लेकिन सम्मान समाप्त हो जाएगा। काँग्रेस ने प्रणव मुखर्जी को अपना प्रत्याशी घोषित करके जहाँ एक ओर तानाशाह महिला को आईना दिखाया है, वही अन्य घटक दलों को भी यह संकेत दे दिया कि काँग्रेस इतनी कमजोर नहीं है कि प्रत्येक उचित–अनुचित बात को मान लें, इसके लिए मैं काँग्रेस हाईकमान को बधाई देता हूँ।

लगे हाथ कन्नौज के चुनाव का भी जिक्र कर लिया जाए। काँग्रेस पर मुलायम सिंह और उनके परिवार का खौफ इतना हावी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के विरुद्ध अपना प्रत्याशी तक खड़ा नहीं किया। काँग्रेस ही नहीं बसपा, भाजपा, रालोद सभी खेल का मैदान छोड़कर भाग गए और श्रीमती डिम्पल निर्विरोध निर्वाचित हुईं। प्रजातंत्र का यह रूप केवल भारतवर्ष में ही देखने को मिल सकता है। श्रीमती डिम्पल फिरोजाबाद से विधायक सीट पर हार गई थीं अतः उसकी खीज मिटाने के लिए आवश्यक था कि उससे बड़ी सीट पर उनको विजयी घोषित कराया जाए। सपा को साधुवाद बहुत–बहुत बधाइयां कि वह विधायक सीट से हारी हुई अपनी प्रत्याशी को सांसद सीट पर निर्विरोध निर्वाचित करा सकी। क्या कारण था कि किसी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लड़कर हारना, हार मान लेने से कहीं अधिक अच्छा होता है, इससे प्रतिष्ठा बची रहती है, जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर खेल का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं वह कायर कहलाते हैं। इतिहास सदैव उन लोगों को याद रखता है, जो किसी भी युद्ध में लड़कर हारे हैं या शहीद हुए हैं। एक राजपूत रानी ने युद्ध स्थल से भागे हुए अपने पति के सामने अपना सर काटकर पेश

कर दिया था क्योंकि वह युद्ध छोड़कर रानी के प्रति आसक्ति के कारण भाग आया था, भारत वर्ष का इतिहास गवाह है गांधी से लेकर सन 1947 तक भले ही कुछ मामालों में हम हारें हो, लेकिन लड़े हर मौके पर हैं। लड़कर हारे हैं। बिना लड़े मैदान छोड़कर नहीं भागे। क्या डर था विपक्षी नेताओं को कि अपना प्रत्याशी तक खड़ा नहीं किया और सपा के प्रत्याशी को निर्विरोध चयनित हो जाने का अवसर दिया। श्री मुलायम सिंह बहुत सुलझे हुए नेता हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में उनका दखल मायने रखता है अतः यदि उनके द्वारा कोई जुगाड़ ऐसा किया गया हो, जिससे सपा प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए तो उसे भी नकारा नहीं जा सकता। जहाँ तक सपा के भय की बात है तो सत्तासीन दल का भय तो होता ही है अगर यही भय कायम रहा तो आने वाले वर्षो में सपा के अतिरिक्त कोई दल दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि सपा प्रत्याशी के विरुद्ध डर के मारे कोई अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगा। भाजपा और बसपा को तो जैसे सांप सूंघ गया है। बसपा को अपने हारने की आशा नहीं थी अतः हार का बोझ है और भाजपा अपनी अन्दरूनी लड़ाई से त्रस्त है। इस देश का भविष्य क्या है। कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपहरण, बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, डकैती बढ़ रही हैं, उसमें तो जनता को विचार करना आवश्यक है। यह देखना भी आवश्यक है कि किस पार्टी के कार्याकाल में अपराधों में कमी हुई है और जनता सुरक्षित हुई है। भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा जनता ऐसे ही पिटती रहेगी, लुटती रहेगी और भूखी मरती रहेगी।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–15

पूर्व राष्ट्रपति ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम जिन्दाबाद! मैं पूर्व राष्ट्रपति को तीन सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने जो भावना राष्ट्रपति चुनाव के सन्दर्भ में व्यक्त की है, वह अद्वितीय है। जहाँ सत्ता विरोधी दल उनको चुनाव लड़ाने पर और जिताने पर आमादा थे, वहाँ उनका स्वयं ही राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस लेना और यह कहना कि वह कभी भी दूसरे सत्र के लिए राष्ट्रपति पद के इच्छुक नहीं थे। अपने–आपमें एक महानता है। मैं उनकी इस महानता को नमन करता हूँ। काश! सभी नेताओं में यह भावना जाग्रत हो। भारतवर्ष में प्रजातंत्र का गला घुट रहा है क्योंकि हर व्यक्ति जो एक बार सांसद, विधायक या मंत्री बन जाता है, वह बार–बार बनना चाहता है। आठ–आठ बार और दस–दस बार बाहुबल और धनबल से जीतकर बने सांसद, विधायक या मंत्री प्रजातंत्र का कौन सा रूप प्रस्तुत करते हैं। क्या यही प्रजातंत्र है कि एक ही व्यक्ति बार–बार सांसद चुना जाए, मंत्री चुना जाए या विधायक चुना जाए। यह प्रजातंत्र तो हो ही नहीं सकता, इसको रियासत की राजनीति कह सकते हैं। संविधान बनाते समय निःस्वार्थ व्यक्तियों ने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि यदि एक ही व्यक्ति बार–बार येन–केन प्रकारेण चयनित होता रहा तो प्रजातंत्र कैसे जीवित रहेगा। प्रजातंत्र में एक ही व्यक्ति को रियासत की राजनीति करने का अवसर नहीं दिया

जाना चाहिए। इससे अहंकार उत्पन्न होता है। कानून बनना चाहिए था कि कोई व्यक्ति तीन सत्र से अधिक सांसद, विधायक या मंत्री नहीं बनेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और स्पष्ट है कि जो एक सत्र मंत्री बनता है, सांसद बनता है अथवा विधायक बनता है। उसको इतना बल प्राप्त हो जाता है कि वह अगले सत्र में भी विजयी होता है यदि उसके सामने कोई उठना भी चाहता है तो बैठा दिया जाता है अथवा पूर्ण रूप से उठा दिया जाता है। यह प्रजातंत्र के विरुद्ध है, प्रजातंत्र में प्रजा के हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा। पूर्व राष्ट्रपति ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम ने यह कहकर वह कभी भी दूसरे सत्र के लिए राष्ट्रपति बनने के इच्छुक नहीं रहे। उन लोगों को आईना दिखाया है, जो आठ–आठ बार और दस–दस बार सांसद, विधायक या मंत्री बनते चले आ रहे हैं।

भाजपा जब तक श्रीजी के रथ पर सवार है। तब तक उसे रास्ता मिलना मुश्किल है। आज की तारीख तक यह तय नहीं हो सका कि भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेगी। पूर्व राष्ट्रपति ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद अब भाजपा सम्भवतः श्री संगमा की ओर देख रही है। क्योंकि भाजपा को तो काँग्रेस का विरोध करना है, देशहित की बात नहीं, देश के विकास की बात नहीं, केवल विरोध की ही बात भाजपा के सामने है। यह विरोध की राजनीति उचित नहीं है। विरोध होना चाहिए। किन्तु ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए, जिसमें देश का हित

प्रभावित हो रहा हो। हर बात का विरोध करना, विरोध नहीं द्वेष में आता है और द्वेष तथा वैमनस्य की राजनीति देश का विकास नहीं कर सकती। देखने की आवश्यकता यह है जिस व्यक्ति को काँग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वह योग्य है अथवा नहीं। यदि वह योग्य नहीं है। तो विरोध उचित है। किन्तु यदि वह व्यक्ति योग्य है और दागदार भी नहीं है तो उसका विरोध करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जनता धीरे–धीरे इस विरोध की राजनीति को समझ रही है और इस पक्ष में नहीं है कि इस विरोध की राजनीति को चलने दिया जाए। जनता का मोह धीरे–धीरे भाजपा और काँग्रेस जैसी राष्ट्र स्तर की पार्टियों से हट रहा है क्योंकि दोनों ही देश के विकास के मुद्दे पर स्पष्ट नहीं हैं, दोनों के एजेंण्डे में केवल कुर्सी बचाओ और विरोध निभाओ अभियान ही प्रमुख है। देश के विकास का कोई एजेण्डा इन दोनों पार्टियों के पास नहीं है। यही कारण कि क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय पार्टियाँ हावी हो रही हैं। जनता ने एक दो चुनाव को छोड़कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता उसी को सौंपी जाएगी। जो देश का विकास करेगा। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। विकास स्पष्ट नजर आ जाना चाहिए। अन्यथा कांठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी।

कालेधन पर बवाल मचा हुआ है। किन्तु कालाधन हाथ नहीं आ रहा। अभी एक आश्रम के गुरुजी का देहान्त हुआ है, जिनकी कुल सम्पत्ति 12 हजार करोड़ बताई जाती है। 12 हजार करोड़ एक ही व्यक्ति के पास होना यह स्पष्ट संकेत

देता है कि आश्रम में गुरुजी की नजर में विशेष स्थान पाने के लिए भक्तजन धड़ल्ले से कालेधन की कमाई करते हैं और गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। यदि आश्रम के हिसाब–किताब की जाँच की जाए तो एक भी दानदाता का नाम, जिसने हजारों या लाखों रुपये दान में दिए हैं, सामने नहीं आएगा। कालाधन केवल श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया जाता है और गुप्त रखने का निवेदन किया जाता है। क्योंकि भक्त के अनुसार वह दान का प्रचार–प्रसार नहीं चाहता और शास्त्रों में भी गुप्तदान का महत्व है इसलिए गुरुजी भी गुप्तदान सहज स्वीकार कर लेते हैं और यह सब गुप्तदान कालेधन का ही होता है, बड़े–बड़े मंदिरों में हुंडियां बनी हुई हैं, उसमें भक्तजन मुट्ठी भर–भर कर सहर्ष दान अर्पित करते हैं। नाम का प्रश्न ही नहीं है। विशेष पूजा कराने के सन्दर्भ में भी रसीद गुप्तदान के रूप में कटती है। यह सब गोरखधन्धा भारतवर्ष में ही विद्यमान है। विश्व के किसी भी देश में इतना कालाधन नहीं हो सकता, जितना कालाधन भारतवर्ष में विद्यमान है और ऐसा तब है जब शास्त्रों के अनुसार मरते समय धन किसी के साथ नहीं जाता, केवल उसके सत्कर्म/दुष्कर्म अथवा धर्म दान आदि कार्यो का प्रभाव ही साथ जाता है। जितना प्रचार इस बात का भारतवर्ष में है कि साथ कुछ नहीं जाता उतना विश्व में कहीं भी नहीं है। किन्तु फिर भी अधिकांश राजनीतिज्ञ कालाधन एकत्रित करने में लिप्त हैं। बड़े–बड़े नेता, बड़े–बड़े योद्धा जिन्होंने कई–कई राज्य जीते स्वर्ण मुद्राओं से अपने कोष भरे उनका सब धन,

सारा कोष, सारी सम्पत्ति यही पर रह गई। मरते समय उनके समय उनके साथ कुछ नहीं गया। यह बात पता नहीं क्यों हमारे राजनीतिज्ञों की समझ में नहीं आती और वह करोड़ों नहीं, अरबों रुपये का कालाधन एकत्रित करने में व्यस्त हैं। जहाँ तक आश्रमों का प्रश्न है। ऐसे आश्रमों का पंजीयन किया जाना चाहिए और एक निश्चित राशि से अधिक यदि कोई दान देता है तो वह गुप्त नहीं होना चाहिए बल्कि उनका नाम पता अभिलेख पर होना चाहिए। आश्रम के संस्थापक गुरुदेव की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति धन जनकल्याणार्थ सरकारी कोष में जमा हो जाना चाहिए अथवा लगा दिया जाना चाहिए। किन्तु डर यह है कि ऐसे ईमानदार आदमी कहाँ मिलेंगे, जो आश्रम के गुरुओं द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति को जनकल्यार्थ उपयोग कर सके। पुनः वही प्रश्न उत्पन्न होगा। कि दूध की रखवाली किसे सौंपी जाए।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–16

कभी–कभी सोचता हूँ कि अपने भारतवर्ष की जनता भोली है, मूर्ख है अथवा हर चीज को लापरवाही से देखने की आदि हो गई है। क्योंकि यही तीन प्रकार के व्यक्ति सही और गलत में निर्णय नहीं कर पाते और न ही गलत का विरोध कर पाते हैं। आरम्भ करता हूँ विज्ञापनों से जनता को किस प्रकार लुभावने और खतरनाक विज्ञापन दिखाकर भ्रमित किया जाता है और जनता कैसे उन्हें ग्रहण कर लेती है, ये चिन्ता का विषय है। आजकल टी॰वी॰ पर एक विज्ञापन दिखाया जा रहा है, **लैक्टोकैलेमाइन** का, जिसमें लैक्टोकैलेमाइन प्रयोग करने वाली एक लड़की को इतना सुन्दर प्रदर्शित किया जा रहा है कि उसकी सुन्दरता से प्रभावित होकर बस का ड्राईवर उसके ईशारे पर बस को पीछे हटाता चला जाता है और वह बेधड़क, निर्भय बस के आगे खड़ी होकर ड्राइवर को बस पीछे हटाने का संकेत करती है और बस पीछे हटती चली जाती है। क्या वास्तविक जीवन में ऐसा हो सकता है। क्या ड्राइवर किसी लड़की की सुन्दरता से इतना प्रभावित हो सकता है कि वह बस को पीछे हटा दे। मेरा कहना है नहीं। यह विज्ञापन केवल लड़कियों को लैक्टोकैलेमाइन प्रयोग करने के लिए उकसाने मात्र को दिया गया है, जो अनुचित, अवास्तविक तो है ही, खतरनाक भी है। बस के ब्रेक फेल हो जाने पर क्या परिणाम होगा। इसकी कल्पना ही भयानक है। दूसरा विज्ञापन है **चलो कुछ तूफानी करते हैं** इसमें एक सोफे पर बैठे हुए कुछ लोगों को शीतल पेय पीते हुए दिखाया जाता है और उस सोफे को जिस पर तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, छत से फिसलाकर हवा में लुढ़का दिया जाता है और सोफा हवा में

उड़ता रहता है और उस पर बैठे लोग शीतल पेय पीते रहते हैं। क्या शीतल पेय ग्रहण करने के बाद सोफे का जमीन पर गिरना निषिद्ध हो जाता है। अवास्तविक विज्ञापन खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उस शीतल पेय का बहिष्कार कर देना चाहिए, जो चलो कुछ तूफानी करते हैं में दिखाया जा रहा है। यदि वास्तविक जीवन में कुछ व्यक्ति सोफे पर बैठकर शीतल पेय ग्रहण करें और सोफे को हवा में उछाल दिया जाए तो जमीन पर गिरने के बाद सोफे पर बैठे हुए व्यक्तियों का क्या होगा। यह कल्पना भी भयानक है। इसी प्रकार **मोटर साइकिल** के विज्ञापन दिखाए जा रहे है, जिसमें मोटर साइकिलों को तेज रफ्तार से चलाना तो सम्मिलित है ही, तरह–तरह के करतब भी दिखाए जाते हैं। मोटर साइकिल रेस भी दिखायी जाती है। दिल्ली में कई लड़के मोटर साइकिल रेस का शिकार हो चुके हैं, किन्तु फिर भी इस तरह के विज्ञापन पर कोई रोक नहीं लग रही है। मोटर साइकिल निश्चित गति से अधिक पर चलाना खतरनाक तो है ही, इसका परिणाम भी भयानक है। एक और विज्ञापन **गार्नियर केश तेल** के सम्बन्ध में दिखाया जा रहा है, जिसमें एक लड़की के बाल इतने मजबूत दिखाए गए हैं कि वह बालों से बाँधकर ट्रक को खीचती है। क्या ऐसा सम्भव हो सकता है, क्या बालो से बाँधकर ट्रक खीचा जा सकता है। ऐसे अवास्तविक विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती, यह चिन्ता का विषय है। अगर कोई लड़की गलती से अपने बालों से बाँधकर कार को ही खीचने लगे तो भी सम्भव नहीं है और वह ट्रक जिसको कई आदमी मिलकर नहीं धक्का दे पा रहे। उसको केवल एक लड़की बालों से बाँधकर खीचती है और यह सन्देश देती है कि गार्नियर का प्रयोग करने से उसके बाल इतने मजबूत

और लम्बे है कि वह उनसे ट्रक बाँधकर भी खीच सकती है। विज्ञापनों की श्रृंखला में **रूपा फ्रंट लाइन** बनियान का विज्ञापन भी अवास्तविक होने के साथ–साथ मंत्री महोदय का अपमान भी है। इसमें एक चौराहे का पुलिसकर्मी ट्रांसपोर्ट मंत्री की कार को रोक देता है और उसके आगे रूपा फ्रंट लाइन बनियान पहने व्यक्ति को निकल जाने देता है। क्या मंत्री का यही सम्मान है कि रूपा फ्रंट लाइन बनियान पहनने वाला व्यक्ति निकालने के लिए उसकी कार को रोक दिया जाए और वह भी ट्रांसपोर्ट मंत्री की। ट्रांसपोर्ट मंत्री का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है और उस पर सोने में सुहागा यह है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि आज से वह भी रूपा फ्रंट लाइन बनियान ही पहनेंगे। एक विज्ञापन **अमूल माचो** का निकलता है। इसके बारे में पहले भी लिख चुका हूँ और सरकार को भी लिखा, इसमें दौड़ के दौरान अमूल माचो अंडरवियर बनियान पहने व्यक्ति दौड़ता नहीं, केवल दौड़ के मार्ग पर ठुमके लगाता है, ऊल–जलूल हरकते करता है और जीत जाता है और वह व्यक्ति सरकार से पद्मश्री प्राप्त है। एक पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति अंडरवियर बनियान पहनकर एक विशेष कम्पनी के विज्ञापन हेतु दौड़ के मार्ग पर केवल ठुमका लगाए। यह कुछ जँचता नहीं। लेकिन चल रहा है। **सैट वैट** का एक विज्ञापन अक्सर दिखाई देता है, जिसमें एक व्यक्ति को खुशबूदार स्प्रे करते हुए दिखाया जाता है और उसकी खुशबू से प्रभावित होकर बड़ी दूर–दूर से कन्याएँ खींची चली आती है और बाद में उस व्यक्ति को वेरी–वेरी सैक्सी कहकर विज्ञापन समाप्त होता है। क्या सैट वैट के स्प्रे में सैक्स की ताकत बढ़ाने की शक्ति है। मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन विज्ञापन चल रहा है और पूर्णतया झूठ पर आधारित ऐसे अनेकों विज्ञापन है, जिनकी ओर

समय–समय पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए और ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा ही एक विज्ञापन **डियू** का है। डियू पीने वाले व्यक्ति को बड़ा शक्तिशाली और खतरों से खेलने वाला व्यक्ति प्रदर्शित किया गया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, किन्तु यदि बच्चे डियू पीने के बाद खतरे में पड़ गए तो कौन जिम्मेदार होगा। ऐसा ही एक विज्ञापन **कैडबरी डेयरी मिल्क** चॉकलेट का दिखाया जाता है, जिसको खाने वाले बच्चे के हाथ और मुँह उस चॉकलेट से इतने गन्दे हो जाते हैं कि घिन्न आने लगती है, जिस विज्ञापन को देखकर वस्तु के बारे में घिन्न आने लगे तो उसको सबसे बड़ा फिल्म स्टार भी प्रदर्शित करता है, तब भी वह प्रयोग करने योग्य नहीं है। इसके अलावा यह आम प्रचलित बात है कि चॉकलेट खाने से बच्चों के दाँत खराब हो जाते हैं किन्तु इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। दूध की बनी वस्तुएँ 24 घण्टे के अन्दर प्रयोग कर लेनी चाहिए ऐसा कहा जाता है किन्तु चॉकलेट कितने दिन पहले बनी होती है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। प्रतिबन्धित होने चाहिए ऐसे विज्ञापन। सरकार किस प्रकार जनता के साथ खिलवाड़ करती है, यह **सिगरेट** के विज्ञापन में देखने को मिलता है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम भी जानते हैं कि हानिकारक है किन्तु फिर भी सरकार सिगरेट को बन्द करना पसन्द नहीं करती क्योंकि इससे सरकारी कोष में वृद्धि होती है और सिगरेट के विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसी प्रकार का विज्ञापन **डिटॉल व लाइफबॉय** साबुन का आ रहा है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी कीटाणुओं से होती है और कीटाणुओं का नाश करने के लिए डिटॉल और लाइफबॉय साबुन ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

बुखार, खाँसी, जुकाम का जिक्र करते हुए डिटॉल व लाइफबॉय से नहाने को उपयुक्त बताया जाता है। यह कहाँ तक सत्य है। इसकी जाँच की जानी चाहिए। विज्ञापन सत्यता पर आधारित होने चाहिए। जनता से इसलिए शिकायत है कि जनता विज्ञापन देखकर उसे खरीदने का प्रयास करती है यह नहीं सोचती कि विज्ञापन वास्तविकता पर आधारित नहीं है और न ही विज्ञापन देने वाला व्यक्ति सत्यता के कारण विज्ञापन दे रहा है, वह तो केवल पैसे के आधार पर विज्ञापन में प्रकट हुआ है। बड़े–बड़े महानायक फिल्म स्टार, क्रिकेटर विज्ञापन में इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि उन्हें विज्ञापन से करोड़ों रूपये की आमदनी होती है। वह वस्तु की गुणवत्ता के कारण विज्ञापन में नहीं आते बल्कि अपने पारिश्रमिक के कारण प्रकट होते हैं, जनता को ऐसे विज्ञापनों के आधार पर विज्ञापित वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए।

जनता के सीधेपन की सबसे बड़ी मिसाल भारतवर्ष में देखने को मिलती है, बड़े–बड़े साधुओं महंतों के आश्रमों के पास कई–कई हजार करोड़ की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति कहाँ से आती है। जनता यह सोचती है कि इन आश्रमों को दान देने से उसके दुख दूर हो जाएंगे अथवा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः वह इन आश्रमों में जी खोलकर दान करती है। इन आश्रमों में जनता का पैसा एकत्रित होता जाता है, जो हजारों करोड़ रूपये में पहुँचता है, सम्पत्ति के लिए लड़ाई–झगड़े तो होते ही हैं, जनता के भी ऐसा दान देने से न तो कष्ट ही मिटते हैं और न पाप ही नष्ट होते हैं। हाँ, भोली–भाली जनता ऐसे आश्रम के बाबाओं द्वारा मूर्ख बनायी जाती है। ऐसे आश्रम के साधु–महन्त जनता को संतोषी रहने का और दान–पुण्य करने का महत्व समझाते हैं

और स्वयं धन एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं और अब तो इन महन्तों ने अपने आश्रमों में व्यापार आरम्भ कर दिया है। दवाएँ बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, योग बेचते हैं। बाबा रामदेव ने कितनी कम अवधि में कितनी बड़ी सम्पदा इकट्ठी कर ली। यह इसकी मिसाल है। यदि ये साधु महन्त दूसरों के कष्ट दूर कर सकते तो दान क्यों माँगते। अपना कष्ट अपने आप ही दूर कर लेते लेकिन वही पुरानी घिसी–पिटी बातों का प्रवचन करके दान एकत्रित करते रहते हैं और जनता का जो धन विकास के कार्यो में लगता। वह विलासिता के कार्यो में लगता रहता है। भले घर की बहू–बेटियाँ जो सेवा अपने सास–ससुर की नहीं कर सकती। वह इन आश्रमों में जाकर इन महन्तों की करती हैं। बहुत से लोग अपना सर्वस्व दान करके आश्रम में ही रहने लगते हैं और परिवार को नष्ट कर लेते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं किन्तु अधिकांश आश्रमों में दुराचार की खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनकी सत्यता का मैं दावा तो नहीं कर सकता किन्तु अखबार में छपी हुई सारी खबरें झूठ भी नहीं होती। इन आश्रमों में काला धन खूब खपता है। दिनों–दिन दान प्राप्त करके आश्रम की सम्पत्ति करोड़ों में बढ़ती रहती है। अक्सर दानदाता अपना नाम नहीं देते और गुप्तदान का अधिक महत्त्व है यह कहकर गुप्तदान करते हैं यह गुप्तदान काले धन का ही होता है। आज तक ऐसा नजर नहीं आया कि इन आश्रम के महन्तों ने तालाब खुदवाएँ हों, या टयूबवैल लगवाएँ हों अथवा कुएँ बनवाएँ हों। यह समाचार ताजा सुनने को मिला हैं कि जय गुरुदेव के देहावसान के उपरांत उनके आश्रम की सम्पत्ति लगभग बारह हजार करोड़ आँकी गई हैं, जिसकी विरासत के लिए झगड़ें हो रहे हैं। यदि सभी आश्रमों की अकूत सम्पत्ति सरकार द्वारा येन–केन–प्रकारेण

प्राप्त कर ली जाए तो नये भारतवर्ष का निर्माण हो सकता, सड़कें नालियाँ सभी ठोस बन सकती हैं। आवश्यकता है कर्त्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्तियों की।

वस्तुतः भारत की जनता भोली तो है ही, भूलने की शक्ति भी अद्वितीय रखती है और प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास करने का भी बड़ा अच्छा माद्दा उसके अन्दर उपलब्ध है। चुनाव चाहें लोकसभा के हों, चाहें विधान सभा के हो अथवा निकाय के, या पंचायतों के हों। जनता पुनः–पुनः उसी को अपना मतदान करती है, जो पहले भी खरा नहीं उतरा है किन्तु पुराने कर्मो की माफी माँगने और आगे को अच्छे कार्य करने की उसकी बात पर विश्वास करके जनता झूठे आश्वासनों में आ जाती है और अपने मत का दुरुपयोग करने या कराने को तैयार हो जाती है, जो व्यक्ति एक बार चयनित हो चुका है और चयनित होने के बाद उसने आश्वासन पूरे नहीं किये हैं अथवा जनता की भलाई का कोई कार्य या देश के विकास का कोई कार्य नहीं किया है ऐसे व्यक्ति को झूठे आश्वासनों पर पुनः चयनित करना भारत की जनता की ही विशेषता है। जनता की इसी भूल अथवा भोलेपन के कारण प्रजातंत्र की मृत्यु हो रही है और एक ही व्यक्ति आठ–आठ बार और दस–दस बार सांसद या विधायक चुना जा रहा है। प्रजातंत्र पर परिवार तंत्र भी जनता के कारण ही हावी है, जनता को यह दिखाई नहीं देता कि एक ही व्यक्ति के परिवार के आठ–आठ व्यक्ति सांसद, मंत्री या विधायक बने हुए हैं और वह पुनः उसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव में अपना समर्थन दे देती है। प्रजातंत्र में ऐसा करना उचित नहीं है। एक ही व्यक्ति का बार–बार चुना जाना अथवा एक ही व्यक्ति के परिवार का सत्ता पर हावी रहना प्रजातंत्र के विरुद्ध है। जनता को अपनी सीधी

साधी सोच से बाहर निकलना होगा, प्रत्येक बात की गुणात्मकता और औचित्य पर विचार करना होगा। भले ही वह विज्ञापन हो, नेताओं के आश्वासन हो अथवा आश्रमों में दान देने का प्रश्न हो। बड़ी सोच–विचार के साथ ही यह सब होना चाहिए अन्यथा सारा धन व्यर्थ के कार्यो में व्यय हो जाना, व्यर्थ के कार्यो में लग जाना, विकास की बजाय विलासिता में प्रयोग हो जाना चलता रहेगा और प्रजातंत्र का गला घुटता रहेगा। भूखी प्रजा आत्महत्या करती रहेगी और उसके दान के पैसे से आश्रमों में तिजोरियाँ भरती रहेंगी तथा झूठे आश्वासनों के बल पर नेता चुनाव जीतते रहेंगे। जनता को जाग्रत होना ही होगा अन्यथा वही उक्ति चरितार्थ होगी। जो सोवत है वो खोवत है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की—17

केवल विरोध और केवल विरोध वर्तमान राजनीति का यही एक आधार रह गया है। सत्तापक्ष जो भी करे, उसका विरोध करना चाहिए। विपक्ष का एकमात्र मुद्दा यह है। देश का विकास, गरीबी उन्मूलन, घोटालों से छुटकारा इन सबकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। क्रिकेट जैसे खेल पर प्रतिबन्ध लगे इस पर कोई विचार नहीं करता। सिनेमा का राष्ट्रीयकरण हो इस पर कोई चिन्तन नहीं। केवल एकमात्र मुद्दा है कि सत्तापक्ष का विरोध किया जाए। अच्छा कार्य हो तब भी। देश के और समाज के विकास का कार्य हो तब भी। भाजपा, तृणमूल काँग्रेस, सम्भवतः वामदल, सपा और बसपा सबका एकमात्र लक्ष्य सत्तापक्ष अर्थात् काँग्रेस का विरोध करना है। सभी जानते हैं कि श्री प्रणव मुखर्जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। किन्तु चूँकि काँग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अतः भाजपा और तृणमूल काँग्रेस खुलकर विरोध में आ गए हैं जबकि विरोध का कोई कारण नहीं है। अब आज के समाचार पत्र के अनुसार सुश्री ममता बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री हामिद अंसारी के नाम पर भी वीटो का प्रयोग किया है। अर्थात् चूँकि श्री हामिद अंसारी काँग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। अतः सुश्री ममता बैनर्जी जिन्होंने यह तय कर रखा है कि सत्तापक्ष का और काँग्रेस का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर को हाथ से जाने देना उचित नहीं समझा और श्री हामिद अंसारी के नाम पर भी अपनी असहमति व्यक्त कर दी। भले ही बंगाल का भला हो या बुरा। भले ही देश का विकास चले या रूके सुश्री ममता बैनर्जी को

अपने अहंकार के आगे यह सभी चीजें गौण लगती हैं और वह ऐसा कोई अवसर नहीं जाने देना चाहतीं जब वह केन्द्र की सरकार अर्थात् काँग्रेस के विरोध में कुछ कह सके, खड़ी हो सकें। यही स्थिति भाजपा की है काँग्रेस यदि श्री संगमा को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित करती तो भाजपा प्रणव मुखर्जी के साथ खड़ी हो सकती थी अथवा अन्य किसी का समर्थन कर सकती थी। यदि आज काँग्रेस अयोध्या में राम मन्दिर बनाने का निर्णय करे तो सबसे पहला विरोध सम्भवतः भाजपा का होगा। क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेता विरोध को अपनी सफलता मानते हैं जबकि भाजपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से घटकर स्थानीय पार्टी बनकर रह गई है। विरोध से भाजपा का पद घटा है, बढ़ा नहीं है। यही स्थिति सपा और बसपा के बीच में है, जो भी सत्ता पक्ष में होगा, दूसरी पार्टी उसका विरोध करेगी, भले ही बसपा ने अच्छे कार्य किये हों किन्तु सपा उनके विरोध में मुखर है। इसी प्रकार भले ही सपा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करे किन्तु उसका सबसे प्रबल विरोध बसपा ही करेगी। देशहित में विरोध की राजनीति कदापि उचित नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को विरोध की राजनीति छोड़कर देश की भलाई के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। विरोध की राजनीति को त्यागना चाहिए तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हम उन्नति कर सकते हैं।

वर्तमान में काँवड़ यात्रा आरम्भ है, कई लाख काँवड़िये हरिद्वार पहुँच चुके हैं। कुछ रास्ते में है, कुछ लौट रहे हैं। अखबार भरे पड़े हैं, दुर्घटनाओं से। काँवड़ लेकर जाने वाले व्यक्ति अथवा काँवड़ लेकर आने वाले व्यक्ति पैदल चलते हैं और चलते–चलते इतना थक जाते हैं कि वह सारी स्फूर्ति खो देते हैं। अतः वाहनों

से बच नहीं पाते और दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। रात में चलना और डीजे बजाते हुए चलना, बसो पर और मोटर साइकिल पर काँवड़/गंगाजल लेने के लिए जाना और सड़क पर अनियंत्रित होकर चलना दुर्घटना का मुख्य कारण है। आज के समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 12 जुलाई 2012 में भी तीन काँवड़ियों की मौत का विवरण छपा है। आखिर काँवड़ लाना और काँवड़ का जल लाकर मंदिर में चढ़ाना युवा पीढ़ी के अन्दर एक पिकनिक का आधार बन गया है। हरिद्वार से जल लेकर आना, नाचते-गाते हुए जाना, पैदल चलना यह सभी दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। यदि 100 व्यक्ति काँवड़ लेने जाते हैं और 99 सकुशल आ जाते हैं तथा एक भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सारा माहौल गमगीन हो जाता है उस परिवार का कष्ट अनुभव कीजिए, जिसका कोई बच्चा या बड़ा, काँवड़ लाने के सिलसिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। भगवान शंकर तो इतने भोले हैं कि यदि आप घर पर रहकर ही मन से उनकी भक्ति पूजा करें तो भी वह प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। मेरे विचार से काँवड़ लाने की जो परिपाटी बन गई है, यह बदलनी चाहिए एक व्यक्ति को जीवन में यदि काँवड़ लानी ही है तो केवल एक बार लानी चाहिए, पुण्य एक बार लाने का भी वही है, और पुण्य दस बार लाने का भी वही है। हरिद्वार से पहले और जहाँ से काँवड़ती चले हैं वहाँ दोनों जगह उनका पंजीयन होना चाहिए, और यह देखा जाना चाहिए कि यह दोबारा तो काँवड़ नहीं ला रहा है। मेरे विचार से भगवान शंकर भी काँवड़तियों की इतनी भीड़ हरिद्वार में देखकर सुखी नहीं होते होंगे। क्योंकि जितनी भीड़ हरिद्वार में इस अवसर पर हो जाती है, उससे हरिद्वार में गन्दगी ही बढ़ती है, जो बीमारियों का कारण बनती हैं। गंगा

गन्दी होती है। रास्ते में दुर्घटनाएँ होती हैं। मेरी सभी काँवड़ भक्तों से अपील है कि एक वर्ष काँवड़ लाने के स्थान पर भगवान शिव की आराधना घर पर रहकर करें। सोमवार के व्रत करें शिव पुराण का पाठ करें तो उन्हें काँवड़ लाने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा और दुर्घटनाओं से बचाव भी होगा।

काँग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कसम खा रखी है और यह तय कर रखा है कि आने वाले चुनाव में काँग्रेस को बिलकुल शून्य पर ले आएंगे। नेताओं के वक्तव्य उनके बड़बोले बयान एक दूसरे पर कटाक्ष यह बिलकुल सिद्ध करते हैं कि काँग्रेस का मस्तिष्क कहे जाने वाले यह लोग मस्तिष्कविहीन हो चुके हैं। क्या कहने से हानि होगी, क्या कहने से लाभ होगा, इसका इनको कुछ पता नहीं है। उदाहरणस्वरूप एक बार एक काँग्रेसी नेता ने गरीब के भोजन के लिए रु. 32 रोज की आय को काफी बता दिया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य किया। यह नेता लोग जो अपनी पत्नी को एक लाख रुपये रोज पर सरकारी वकील नियुक्त करने से परहेज नहीं करते। वह आम आदमी के आइस्क्रीम खाने पर भी टिप्पणी करने का अवसर नहीं चूकना चाहते। स्वयं करोड़ों रुपये की सांसद निधि और विधायक निधि तथा लम्बे-चौड़े वेतन भत्ते पर ऐश करने वाले व्यक्ति जब हवाई जहाज की एकनॉमिक क्लास में सफर करने वालों को कैटल क्लास कहते है तब शायद उन्हें शर्म नहीं आती। नेताओं को यह ख्याल नहीं होता कि जिस आम आदमी की वह मजाक उड़ा रहे हैं उसी आम आदमी के पैसे से वह ऐश करते हैं। इन नेताओं की बयानबाजी काँग्रेस के लिए महँगी साबित होगी और इसी झुंझलाहट में यह बिल्लियाँ खम्भा नोच रही हैं, यदि आप देखें तो निकाय चुनावों

में और प्रान्तीय चुनावों में काँग्रेस को इसका प्रभाव झेलना पड़ा है। कहीं कहीं तो काँग्रेस का नाम भी राजनीतिक पटल से गायब हो गया है। मैं अपने शहर की बात कहता हूँ, नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए काँग्रेसी उम्मीदवार को एक हजार से भी कम वोट मिले, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को लगभग उन्नीस हजार वोट प्राप्त हुए। काँग्रेस जनता से दूर जा रही है और घूम फिर कर कूप–मण्डूप की तरह अपने कुएँ के उन्हीं मेढ़कों पर भरोसा कर रही है, जिनको टर्राने के अलावा कुछ नहीं आता और उनकी इस टर्राने से काँग्रेस को हानि हो रही है। काँग्रेस का राष्ट्रीय कद बहुत कुछ घट चुका है यदि अब भी काँग्रेस में चेतना नहीं आई और इन्दिरा गाँधी की तरह कोई कामराज योजना लाकर इन बड़बोले नेताओं को स्वयं से अलग नहीं किया तो काँग्रेस महात्मा गाँधी के उस कथन को सिद्ध कर देगी, जब उन्होंने आजादी मिलने के बाद कहा था कि अब काँग्रेस की आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए और नेता इसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ईश्वर देश पर कृपा करें। शायद फिर कोई सरदार पटेल या रफी अहमद किदवई जैसा नेता पैदा हो, जो देश को विकास के पथ पर ले जा सके।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–18

लोकोक्ति है कि भारतवर्ष में दूध, दही की नदियाँ बहती थी। इसका तात्पर्य यह था कि भारतवर्ष में दूध–दही बहुत होता था। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतवर्ष में गौ पालन का विशेष महत्त्व था। लगभग प्रत्येक परिवार में एक गऊ पाली जाती थी, जिसके दूध से बच्चों का भरण–पोषण और बड़ों को शक्ति प्राप्त होती थी। अतिथि का सत्कार दूध या मट्ठे से होता था, कहते हैं स्वर्ग में देवताओं को सभी कुछ प्राप्त होता है, किन्तु मट्ठा (तक्र) प्राप्त नहीं होता। यह एक दुर्लभ वस्तु थी, जो पृथ्वी पर बहुतायत से थी। कुछ साल पहले की ओर जाए तो बच्चे हृष्ट–पुष्ट लम्बे कद और बलिष्ठ शरीर वाले होते थे। कुश्ती, अखाड़े, कबड्डी आदि खेल खूब खेले जाते थे और कुश्ती लड़ने वाले पहलवान अधिकतर दूध का सेवन करते थे। यह सिद्ध हो चुका है कि दूध में जीवनदायिनी शक्ति होती है, दूध स्वास्थ्य पर त्वरित प्रभाव डालता है। किन्तु शनैः–शनैः हम विलासी और आलसी होते गए। फलस्वरूप गाय पालन छोड़कर गाय मालिकों से दूध खरीदने लगे। दूध में पानी मिलाकर बेचने की नोक–झोक दूध मालिक और ग्राहक में अक्सर सुनी जाती थी। कहते हैं गाय का दूध चपलता और स्फूर्ति पैदा करता है जबकि भैस के दूध से आलस्य उत्पन्न होता है, इसलिए गाय के दूध को विशेष महत्व दिया जाता था। गाय पालन धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता था। गौ–मूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसे रोगों का निदान सुनने में आता है। शुद्ध गाय का दूध यदि एक गिलास व्यक्ति रोज पीये तो जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वस्थ बना रहता

है। धीरे–धीरे घरों में गाय पलनी बन्द हो गई और दूध खरीदने का प्रचलन चल पड़ा। जनसंख्या बढ़ी दूध की माँग भी बढ़ी। दूध में मिलावट होने लगी। पानी तक तो कोई बुराई नहीं थी। दूध में पानी मिलाकर बेचना सबको सहन होने लगा था। क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति में निहित है। किन्तु वर्तमान में दूध के नाम पर विष बेचा जा रहा है। सिन्थेटिक दूध डिटर्जेन्ट पाउडर, सफेदा, यूरिया आदि के मिश्रण से बनता है, जो एक प्रकार से विष होता है। यदि शुद्ध सिन्थेटिक दूध एक गिलास पी लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्यम्भावी है। इसी सिन्थेटिक दूध का मावा भी बनता है, मिठाई भी बनती है और त्यौहारों के अवसर पर खूब बिकती है। मिलावट करने वाले पकड़े भी जाते हैं किन्तु युग प्रभाव के कारण येन–केन प्रकारेण छूट भी जाते हैं। छूट जाने से उनका मनोबल और बढ़ जाता है तथा वह और अधिक मिलावट शुरू कर देते हैं। 5 रुपये किलो की लागत से तैयार सिन्थेटिक दूध 30 रुपये किलो की लागत से बिकता है। सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में होता है, कि कौन सिन्थेटिक दूध बेच रहा है और कौन शुद्ध दूध बेच रहा है किन्तु सुविधाशुल्क के ज़माने में मिलावट खोर को पकड़ना असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य हो गया। पकड़े जाने पर मिलावटखोर ऊँची पहुँच, धनबल का सहारा लेकर छूट जाते हैं। दूध में मिलावट करने वालों को तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों में और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को जेल में बन्द करके या तो फाँसी दे देनी चाहिए अथवा जेल की जिन्दगी में वही मिलावट वाला खाद्य पदार्थ उन्हें खिलाया जाना चाहिए, जो वह जनता को खिला रहे थे। यही व्यवहार जाँच में नियुक्त व्यक्ति की मिली–भगत अथवा शिथिलता के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे

व्यक्ति की सिफारिश में जो भी आए उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए और यदि कोई रिश्वत देकर छूटने का प्रयास करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके उसे ताउम्र कैद में डाल दिया जाना चाहिए। व्यक्तियों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले लोग हत्यारे हैं और हत्यारों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं तथा बौने पैदा हो रहे हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तथा शीघ्र ही शरीर शिथिल हो रहे हैं। इस सबका कारण मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन है और मिलावट करना जब तक नहीं रूकेगा, जब तक मिलावट खोर के मुकदमे का फैसला निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष में तय नहीं कर दिया जाए, खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले की जमानत भी नहीं होनी चाहिए। तभी देश स्वस्थ रह सकता है और पुनः देश में दूध–दही की गंगा बह सकती है। वस्तुतः विशिष्ट व्यक्तियों को शुद्ध दूध मिलता है इसी कारण दूध विक्रेता बचे रहते हैं। दूध के संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि जाँच–पड़ताल दुकानदार की ना होकर दूधियों की होनी चाहिए क्योंकि दुकानदार कोई मिलावट नहीं करता, दूधिये ही मिलावट करके लाते हैं।

मिलावट के ही सन्दर्भ में एक और वस्तु है, जिसमें घोर मिलावट होती है, जिसे बेचने वाले मिलावट के कारण से ही दूध बेचने वालों से कम समय में ही मालदार हो जाते हैं और वह वस्तु है मदिरा/शराब। नकली शराब धड़ल्ले से बिकती है, सरकारी कर्मचारी सब जानते हैं। किन्तु सुविधाशुल्क के कारण यह नकली शराब बनाने वाले पकड़े नहीं जाते और सस्ती के चक्कर में इसका सेवन करने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

सरकार की जानकारी में सभी कुछ है, सरकार शराब को विष मानती है किन्तु फिर भी शराब बनाने के लाइसेंस जारी किये जाते हैं, शराब की दुकाने नीलाम होती हैं, कच्ची शराब बनाने वाले पकड़ जाते हैं, छूट जाते हैं विष को भी और विष बनाना, जघन्यतम अपराध है, कम से कम विष को विष ही रहने देना चाहिए किन्तु उसे और भयंकर विष बनाकर बेचना हत्या से कम नहीं है। नकली शराब बनाकर बेचने वाले और शराब में मिलावट करने वाले हत्यारों की श्रेणी में आते हैं और हत्यारों को प्राणदण्ड देना सरकार का नैतिक दायित्व है। अधिकतर शराब स्प्रिट से बनती है तथा कच्ची शराब और बहुत सी चीजें डालकर बनाई जाती है। यह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं, जीवन घातक है। शराब के व्यापारी शराब में मिलावट के कारण फलते–फूलते हैं और करोड़ पति से अरब पति होते जाते हैं जबकि मिलावटी शराब पीने वाले व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मिलावटी शराब बेचने वालों को भी मृत्यु दण्ड की सजा दी जानी चाहिए। इनके मुकदमों का फैसला भी एक वर्ष के अन्दर–अन्दर निचली अदालत से उच्च अदालत तक हो जाना चाहिए। जेल से इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अमानवीय तो है लेकिन कानून का सख्त होना ही उसकी सफलता का द्योतक होता है। कच्ची शराब बनाने वालों को वही शराब पिलाई जाए, शराब में मिलावट करने वालों को वही शराब पिलाई जाए। इनके साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। इनके कारण घर के घर उजड़ जाते हैं। होली, दीवाली जैसे त्यौहार मातम में बदल जाते हैं। आखिर सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती कि व्यक्ति ने शराब का निर्धारित कोटा नहीं उठाया और रायल्टी पूरी जमा की। वह क्या बेचकर रातो–रात मालामाल हो गया। शराब

विक्रेता के यहाँ यदि स्प्रिट पकड़ी जाती है, अथवा उसके किसी मिलने वाले व्यापारी या सगे-सम्बन्धी को स्प्रिट बेचने का लाइसेंस प्राप्त है तो वह रद्द होना चाहिए क्योंकि शराब में अधिकतर स्प्रिट मिलाई जाती है और नकली शराब स्प्रिट से बनाई जाती है। अतः इस ओर सख्त कदम उठाने की जरूरत है तभी हम निर्दोष व्यक्तियों को बचा सकते हैं और मिलावट से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा विष में विष की मिलावट से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि शराब के ठेकेदार विशिष्ट व्यक्तियों और अधिकारियों को मासिक पर्चियाँ जारी करते हैं, जिसमें उनको कीमत से कम पर शुद्ध मदिरा की आपूर्ति की जाती है। इसी कारण आज तक शराब में मिलावट नहीं रूक सकी है।

खाद्य पदार्थो में जिस प्रकार मिलावट हो रही है, वह भी सोचने का विषय है। आम, सेव और खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि फलों में विष के इंजैक्शन दिए जा रहे हैं, केला ऐसे कैमिकल्स छिड़ककर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। पहले केला 5-5, 6-6 दिन तक खराब नहीं होता था, अब सोमवार में खरीदा गया केला मंगलवार की शाम तक गल जाता है। छिलका काला पड़ जाता है। क्या कारण है, केले के गोदाम पर छापा क्यों नहीं मारा जाता। इसी प्रकार आम, आम को ऐसे कैमिकल में डाला जाता है, जिससे वह जल्दी पक जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज एक अण्डा रोज नहीं लेना चाहता, बल्कि अण्डों के लालच में मुर्गी मारने पर लगा हुआ है। इसी कारण आम को जल्दी पकाने की गरज से विषैले इंजैक्शन तथा कैमिकल का प्रयोग किया जाता है। टी॰वी॰ पर यह दिखाया जाता है, सरकार की जानकारी में है, फिर भी या तो हमारे पास

स्टाफ कम है अथवा हम सुविधाशुल्क के कारण पकड़–धकड़ नहीं करना चाहते। सब्जी, खरबूजे, तरबूज की बेल में इंजैक्शन लगाये जा रहे हैं, जिससे वह रातोरात बढ़कर बड़े हो जाते हैं, यह इंजेक्शन विषैले है, इनसे पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन खाने वालों की आयु घट रही है, भैंसों को इंजैक्शन देकर दूध लिया जा रहा है, अनाज यूरिया की अधिक मात्रा के कारण विषैला हो रहा है, अनाज में अन्य प्रकार की मिलावट तो पकड़ी जा सकती है, लेकिन जो विष खाद और कीट नाशक दवाईयों के कारण उसके अन्दर पहुँच रहा है, वह पकड़ा जाना सम्भव नहीं होता। इसी प्रकार चाय की पत्ती में चमड़े का चूरा, मसालों में सूखा गोबर तथा अन्य प्रकार की मिलावट के मामले भी सामने आये हैं। आखिर समाज, अदालतें और सरकार इन मिलावट खोरों के प्रति मुलायम क्यों है, इनसे सहानुभूति क्यों? जब यह प्रत्येक दृष्टिकोण से विष ही बेच रहे हैं। खाद्य पदार्थो को विषैला बना रहे हैं तो इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। मिलावट खोरों के लिए केवल प्राणदण्ड ही उचित है। पहले यदि 3 या 4 केले खा लिये जाते थे तो दिन भर का भोजन सम्पूर्ण हो जाता था। केले में स्वाद भी होता था और सुगन्ध भी होती थी। किन्तु अब केले में न तो वह स्वाद है न वह सुगन्ध है और न ही वह भोजन शक्ति है, यही स्थिति आम की है। खरबूजे और तरबूज में तो उसे मीठा करने के लिए इजैक्शन और कैमिकल का प्रयोग आम हो गया है, सरकार को इन मिलावट खोरों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जाँच स्टाफ में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए और खाद्य पदार्थो पर गहन दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वह निरीह जनता जिनके दम पर सरकार चल रही है। वह मिलावटी भोज्य पदार्थो को खाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–19

अन्ना हजारे का आन्दोलन स्थगित हो गया। यह भी कह सकते हैं कि विलम्बित हो गया। मैं नहीं मानता कि आन्दोलन फेल हुआ है, जो यह कहते हैं कि आन्दोलन फेल हुआ है। वह आन्दोलन से जुड़े हुए नहीं थे। केवल पिकनिक मनाने के लिए साथ में खड़े हो गए थे। अन्ना हजारे ने सच्चे देशभक्तों के मन में यह आग फूँक दी है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल बिल का पास होना आवश्यक है। अब प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने स्तर से, अपने घर से इस आवाज को उठाए और अपने आसपास के समाज में इस आग को जलाए। सभी का यह कर्त्तव्य है, जो आन्दोलन से जुड़े हुए थे कि इस आग को जलाए रखें, बुझने न दें। अन्ना हजारे ने सही कदम उठाया यदि अनशन के दौरान केजरीवाल अथवा सिसौदिया के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। सभी अन्ना हजारे को दोष देते। अन्ना हजारे स्वयं शहीद हो जाते तो कोई कुछ ना कहता। सरकार भी शोक प्रस्ताव पास करके शान्त हो जाती। सब लोग अपने–अपने घर को लौट जाते और घर जाकर भूल जाते कि अन्ना हजारे किस उद्देश्य के लिए शहीद हुए। अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल का पास होना सरकार को क्यों स्वीकार नहीं है क्योंकि कोई भी अपने मृत्यु के आदेश पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहेंगा और अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल पास होने से स्वयं सत्ता पक्ष के कई लोग गिरफ्त में आ रहे थे। लगभग 15–20 घोटाले सामने आ चुके हैं। अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल पास होने

पर और भी अधिक व्यक्ति पकड़े जा सकते थे। कोई भी राज्य प्रमुख अपने सारे मंत्रिमण्डल को न बर्खास्त कर सकता है और न ही गिरफ्तार कर सकता है। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल को कभी पास नहीं करेगी। यह जब ही पास हो सकता है जब एक–एक राष्ट्रप्रेमी इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। समाज में जाग्रति उत्पन्न करे। यह मशाल जो अन्ना हजारे ने जलाई है, यह बुझनी नहीं चाहिए अन्यथा देश जो अभी भ्रष्टाचारियों के हाथ में है, कभी भी उनके चंगुल से नहीं निकल सकेगा। जहाँ तक अन्ना हजारे का राजनीति में आने का प्रश्न है। यह विचार भी स्वीकार योग्य है। यदि अन्ना हजारे के प्रयास से अन्ना हजारे जैसे लोग संसद में पहुँच गए तो संसद का स्वरूप ही बदल जाएगा। घोटालेबाज जेलों में होंगे। भ्रष्टाचार केवल किताबों में पढ़ने को मिलेगा। संसद भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। व्यर्थ की आलोचना करना बन्द करके प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अन्ना हजारे के मनोबल को समर्थन दें, शक्ति दें और आन्दोलन के प्रभाव को घटने न दें। मेरा मानना है कि वर्तमान में अहिंसात्मक आन्दोलन से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमें आजादी भी अहिंसात्मक आन्दोलन से नहीं मिली थी। सन 1857 से लेकर सन 1942 तक अँग्रेज पिटता रहा था, लड़ता रहा था और सन 1946 तक आते–आते वह समझ गया था कि वह हिन्दुस्तान में सुरक्षित नहीं है अतः वह बहाना ढूँढ रहा था हिन्दुस्तान से जाने का और अहिंसात्मक आन्दोलन ने उसको वह अवसर प्रदान किया। जिससे उसने अपनी नाक बचाकर हिन्दुस्तान से भागने में ही भलाई समझी। हाँ, जाते–जाते उसने हिन्दुस्तान से और उसकी जनता से द्वेष के कारण बदला लेने

हेतु पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बनने से हिन्दुस्तान को क्या मिला? और क्या खोया? अहिंसात्मक आन्दोलन ने बँटवारा भी सही प्रकार से नहीं होने दिया, जिसके कारण हिन्दुस्तान को तमाम उम्र एक दुश्मन को ढोना पड़ेगा और उसकी ऊर्जा दुश्मन से बचाव में खर्च होती रहेगी, विकास में नहीं। यदि अहिंसात्मक आन्दोलन ना होता तो ना देश का बँटवारा होता और ना ही हमें स्थायी रूप से एक दुश्मन मिलता। अन्ना हजारे राजनीतिक दल बनाते हैं और चुनाव में सही व्यक्ति परिदृश्य पर आते हैं तो देश का कल्याण हो सकता है।

बात चुनाव की चली है तो शाबाशी देना चाहूँगा, पी०ए० संगमा को और जसवन्त सिंह को, जो जानते थे कि सत्ता के विरुद्ध चुनाव जीतना आसान नहीं है, जो जानते थे कि धीरे–धीरे उनको समर्थन देने वाले लोग भी सत्ता के पाले में जा रहे हैं फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। बड़े–बड़े नेताओं ने और उनके दलों ने समर्थन देने का आवश्वासन दिया किन्तु फिर पीछे हट गए। वस्तुतः प्रजातंत्र में चुनाव आवश्यक है और प्रत्येक साहसी व्यक्ति को, प्रत्येक राष्ट्रभक्त को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वह मतदान के रूप में हो, चाहे वह प्रत्याशी के रूप में हो। निर्विरोध चयन को मैं चुनाव नहीं कहता। यदि आपके डर से, आपके समक्ष कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है और आप निर्विरोध चयनित घोषित कर दिए गए हैं तो यह प्रजातंत्र का अपमान है। यह प्रजातंत्र की मृत्यु है। इतना मत डराइये की व्यक्ति आपके सामने खड़ा भी ना हो सके। मैं पुनः साधुवाद देता हूँ पी०ए० संगमा को और जसवन्त सिंह को जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराया और आखिर तक

चुनाव में भाग लिया जबकि वह जानते थे कि जिन्होंने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया है, वह अपने आश्वासन पर टिके हुए नहीं हैं। तृणमूल काँग्रेस ने, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ने अपने–अपने पाले बदल लिए। अन्य दल भी सत्ता पक्ष के आगे दण्डवत करते दिखाई दिए और फिर भी पी॰ए॰ संगमा और जसवन्त सिंह डटे रहे। मैं अभिवादन करता हूँ इन दोनों का। इन्होंने प्रजातंत्र की लाज बचाई और निर्विरोध चुनाव नहीं होने दिया। यदि चुनाव निर्विरोध होता तो वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत होता। प्रजातंत्र में चुनाव आवश्यक है। धनबल, बाहुबल अथवा सत्ताबल से निर्विरोध चयनित होना प्रजातंत्र की हत्या है। भारतवर्ष की जनता को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए और जहाँ पर भी निर्विरोध चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ प्राणपण से उसका विरोध करना चाहिए। हार–जीत का ध्यान न रखते हुए सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के प्रत्याशी के विरुद्ध निर्विरोध की स्थिति में जनता को अपने बीच से किसी व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहिए। यही प्रजातंत्र की इच्छा है, यही प्रजातंत्र का स्वरूप है और यही प्रजातंत्र की आत्मा है।

बात प्रजातंत्र की चली है तो हमें यह देखना होगा कि प्रजातंत्र कहाँ है। क्या भारतवर्ष में प्रजातंत्र है। क्या भारतवर्ष में जनतंत्र और गणतंत्र की रक्षा हो रही है। क्या राजनीति व्यवसायिक हो गई है। क्या प्रजातंत्र में विरासत घुस गई है अथवा परिवारवाद हावी हो गया है। लगता है कि प्रजातंत्र शनैः–शनैः परिवार तंत्र का रूप ले रहा है और वंशवाद हावी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के सात सदस्य सांसद अथवा विधायक हैं अब उनके बड़े भाई का पुत्र भी विधानसभा का चुनाव लड़ने को तत्पर है और उत्तर प्रदेश में उनकी ही सरकार

है अतः धनबल बाहुबल और सत्ताबल के आधार पर उसकी जीत भी सुनिश्चित है। इसी प्रकार तमिलनाडु में श्रीमान जी का पूरा परिवार सांसद अथवा विधायक है। केन्द्र सरकार में भी वंशवाद आरम्भ से चल रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब तक उनके ही वंश का कोई न कोई व्यक्ति सत्तासीन हो रहा है। राहुल गाँधी के बाद अब प्रियंका गाँधी भी राजनीति में पदार्पण करने जा रही हैं और सम्भवतः शीघ्र ही प्रियंका गांधी सांसद अथवा विधायक पद पर आसीन हो जाएगी। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, प्रजातंत्र को बचाने का कोई प्रयास नहीं है और जब सब अपने–अपने पत्नी और पुत्रों को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई कानून बने जिससे वंशवाद का विरोध हो। उड़ीसा में वंशवाद कायम है। कई सांसदों के पुत्र और पुत्री भी विधान सभा अथवा संसद में पहुँच गए हैं ऐसे में हम भारतवर्ष में प्रजातंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। वंशवाद के अतिरिक्त रियासतवाद भी भारतवर्ष में हावी है। दस–दस बार सांसद और विधायक बनकर व्यक्ति पदासीन है, जो व्यक्ति दस बार से सांसद रहा। उसकी जन्मकुण्डली देखने वाला कोई नहीं है कि उसने अपने कार्यकाल में देश का कितना पोषण किया अथवा कितना शोषण किया। कानून बनना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति तीन सत्र से अधिक सांसद, विधायक अथवा मंत्री नहीं रहेगा। ये कानून देशहित में होता लेकिन जहाँ देश को लूटने वाले अधिक हों वहाँ देशहित का कानून कौन बनाए। कानून होना चाहिए था कि किसी भी परिवार से दो व्यक्ति से अधिक सांसद अथवा विधायक नहीं बनेंगे किन्तु हम सांसद निधि बढ़ाने का कानून बना सकते हैं। अपने वेतन भत्ते बढ़ाने का कानून बना सकते हैं। लेकिन

ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, जो देशहित में हो। एक बार हिन्दुस्तान पर नादिर शाह ने कब्जा कर लिया था और उसने अपनी फौजों को दिल्ली को लूटने की छूट दे दी थी। आज उससे भी बुरा हाल है। आज पूरे देश की जनता लूट रही है हर क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सबमें लूट का बँटवारा होता है। अतः लूट के विरोध में कानून बन ही नहीं सकता। अब तो केवल प्रलय की ही प्रतीक्षा शेष है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–20

पहली बार राज ठाकरे ने समझदारी की बात की है। यह बिलकुल सही है कि बंग्लादेशी घुसपैठिये ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हैं। बम्बई में बंग्लादेशी घुसपैठियों ने ही उपद्रव किया है। वस्तुतः आसाम में भी बंग्लादेशी घुसपैठियों के कारण ही उपद्रव हुआ। बोडो आदिवासी का हक मार रहे बंग्लादेशी घुसपैठिये क्षमा योग्य नहीं है। आसाम की जमीन पर व्यापार पर तथा सम्पत्ति पर कब्जा जमा रहे बंग्लादेशी घुसपैठियों का जब विरोद्ध किया गया तो उन्होंने बोडो आदिवासियों पर हमला बोल दिया। कोई भी व्यक्ति अपने घर में घुसपैठ पसन्द नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा जमाने को सहन नहीं कर सकता और यही कारण है कि जब आदिवासियों ने अपनी सम्पत्ति पर, अपने व्यापार पर, अपने परिवार की महिलाओं पर कब्जा जमाने की बंग्लादेशियों की कोशिश को नाकाम करने का प्रयास किया तो वह हमलावर हो गए और उनके समर्थन में देश का दुर्भाग्य देखिये कि इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उपद्रव मचाने को तुल गए। क्या सिद्ध करना चाहते थे इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ के अल्पसंख्यक और क्या हासिल हुआ, बम्बई में तोड़फोड़ और आगजनी करके। सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना और अपनी नाराजगी का इजहार करना कहाँ तक उचित है, जिस देश की सारी सुविधाओं का उपयोग आप कर रहे हैं, जो रेल, बसें आपके हित के लिए चलाई जा रही है, उनमें तोड़–फोड़ मचाना किस धर्म या मजहब

में जायज बताया गया है। सत्ता की भूखी सरकार इन घुसपैठियों को रोकने में असमर्थ नहीं, बल्कि रोकना नहीं चाहती। आश्चर्य तो यह है कि इन घुसपैठियों के राशन कार्ड भी, और पहचान पत्र भी तुरन्त बन जाते हैं और इस प्रकार उनको उस जगह की नागरिकता मिल जाती है, जहाँ वह कभी रहते ही नहीं थे। वोटर कार्ड बनवाना आज के सुविधाशुल्क युग में कुछ भी मुश्किल नहीं है और इस प्रकार घुसपैठिये वोटर कार्ड बनाकर देश की राजनीति में भी घुसपैठ करते चले जा रहे हैं और चूँकि यह वर्तमान केन्द्र सरकार के वोट है, इसलिए इनको सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। यह घुसपैठ बम्बई में भी पहुँच चुकी है और धीरे–धीरे सारे देश में फैल जाएगी। अल्पसंख्यकों के घर में इन घुसपैठियों को आसानी से शरण मिल जाएगी और वहाँ तक किसी का भी पहुँचना सम्भव नहीं होगा और ना होता है। इस प्रकार एक दिन पूरा देश घुसपैठियों और अल्पसंख्यकों के हाथ में पहुंच जाएगा और देशवासी देखते रह जाएँगे। सरकार कोई भी हो वोट के लालच में कुछ भी करने से रही, राष्ट्रीय चरित्र इतना गिर चुका है कि केवल सत्ता ही नजर आती है, देशहित नजर नहीं आता। कितना दुर्भाग्य है कि वर्तमान नेता अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं देख रहे है, जो यदि इसी प्रकार से घुसपैठ जारी रही तो खतरे में पड़ सकती है। उनकी घरों की महिलाएँ, लड़कियाँ भी असुरक्षित हो सकती हैं। कांश इन नेताओं को समय रहते अक्ल आ जाए।

मेरे एक शुभचिन्तक ने मेरे द्वारा अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में लेखों पर असहमति जताई। मैं अपने शुभचिन्तक से स्नेह भी करता हूँ। और सम्मान भी देता हूँ। मैं अपने शुभचिन्तक से पूछना चाहता हूँ कि देश में आतंकवाद कौन फैला रहा है। रात–दिन विस्फोट

हो रहे हैं। वह कौन कर रहा है? हमारी संसद पर हमला किसने किया? सद्दाम हुसैन को जब फाँसी दी गई तो उसके विरोध में किसी भी देश में कोई आवाज नहीं उठी, भारतवर्ष में ही विरोधी सभाएँ और तोड़–फोड़ की गई। वह किसने की? अमेरिका के राष्ट्रपति का सिर काटने के लिए इनाम घोषित किए गए यह किसने किए? डेनमार्क में आपत्तिजनक चित्र बनाने पर हिन्दुस्तान में विरोध सभाएँ हुई, तोड़–फोड़ हुई। वह किसने की? फ्रांस में चित्र बनाने पर भारतवर्ष में जो सभाएँ हुई, आगजनी हुई, वह किसने की? किसी भी अवसर पर विरोध जताने का यह किसका तरीका है कि आगजनी की जाए, तोड़फोड़ की जाए। पुरानी बातें लोग भूल गए होंगे। अब आसाम में जो उपद्रव हुए हैं उसके पीछे किसका हाथ है और उन उपद्रवों को समर्थन देने के लिए बम्बई में जो आगजनी तोड़–फोड़ और राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई गई, वह किसने की। इसी के समर्थन में इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ में जो उपद्रव हुए वह किसने किए? गोधरा में जो रेल का पूरा कोच जला दिया गया, जिसमें कई लोग जिन्दा जल गए वह किसने किया था? इस सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट भी आ चुकी है। काश्मीर से पंडितों का पलायन क्यों हो रहा है? काश्मीर में सिक्खों का सामूहिक नरसंहार किसने किया? हिन्दू लड़कियों का अपहरण कौन कर रहा है? यह सब बातें हैं, जो इस संदर्भ में विचार करने को विवश करती हैं। केन्द्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस संदर्भ में स्पष्ट है इसीलिए उपद्रवियों के हौंसले बढ़े हुए हैं। यदि समान आचार संहिता लागू कर दी जाए, आरक्षण और तुष्टिकरण हटा दिया जाए तो देश में न झगड़ें होंगे और न ही अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक का कोई विवाद होगा। विवाद सरकार ने स्वयं पैदा

किया है और सरकार चाहती है कि यह विवाद चलता रहे। हालाँकि अब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं, बहुसंख्यक हो गये हैं। अतः यह शब्द राजनीति से हटा दिये जाने चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम भाईयों का प्रश्न है मैं अपने शुभचिन्तक को स्पष्ट कर दूँ। कि मेरी पढ़ाई बिजनौर में मुस्लिम इण्टर कालेज में हुई है और तब के मेरे सबसे अच्छे दोस्त मौहम्मद मुस्लिम और मुईनउद्दीन हैं। मेरठ कालेज में मैं मुस्लिम हॉस्टल में रहा हूँ, जहाँ एक वर्ष तक लगातार मेरे कमरे में मेरा सहपाठी इस्लाम मौहम्मद शेर था। हम दोनों बड़े प्यार से एक वर्ष तक साथ–साथ रहे। मैं अल्पसंख्यकों का विरोधी नहीं हूँ बल्कि सरकारी नीतियों को विरोधी हूँ, उपद्रवियों का विरोधी हूँ।

भाजपा संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहती। वह चाहती है पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। ऐसा किसी भी न्याय संहिता में नहीं लिखा है कि मुकदमे की सुनवाई से पहले ही सजा सुना दी जाए। अभी कोयला घोटाले के सम्बन्ध में केवल एक रिपोर्ट आई है उस पर स्पष्टीकरण देने का अवसर सत्ता पक्ष को मिलना चाहिए। भाजपा यह नहीं सोचती यदि संसद में कोयला घोटाले पर चर्चा होगी तो हो सकता है बहुत से राज खुल जाएँ और जो वह चाहती है वो स्वतः हो जाए। चर्चा ना होने से बहुत सी बातें अनखुली रह जाएँगी, जो देशहित में नहीं है। देश की जनता को भी पता चलना चाहिए कि कोयला आवंटन में यदि दो हजार करोड़ के लगभग घोटाला हुआ है तो उसमें कौन–कौन सम्मिलित हैं। संसद में उन सभी लोगों का बयान होना चाहिए और तब मामला सी.बी.आई. को सौपने की माँग करनी चाहिए। यह सत्य है कि यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था किन्तु इस पर निर्णय होना बाकी है कि क्या प्रधानमंत्री इस घोटाले के लिए जिम्मेदार

हैं। जब तक सदन में चर्चा करके स्पष्ट रूप से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रधानमंत्री इस घोटाले में सम्मिलित थे, तब तक उनसे त्याग पत्र माँगना उचित प्रतीत नहीं होता। सदन की कार्यवाही चलने ना देना, देशहित में नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी यदि घोटाला सिद्ध हो जाए तब भी प्रधानमंत्री की ही बनती है। किन्तु प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। भले ही सत्ता प्रजातंत्र में, गणतंत्र में, विश्वास ना रखती हो। भले ही सत्ता के अधिकांश व्यक्ति घोटालों में लिप्त हैं किन्तु सी.बी.आई. की जाँच से पहले किसी को दोषी मानना उचित नहीं है। मेरे मतानुसार ससद की कार्यवाही में व्यवधान डालने की बजाय इस पर चर्चा करानी चाहिए और चर्चा के बाद यदि विषयवस्तु संदिग्ध सिद्ध होती है तो पूरा मामला सी.बी.आई. को सौप दिया जाना चाहिए और सी.बी.आई. की जाँच के उपरांत ही कोई कदम उठाना चाहिए। अभी से प्रधानमंत्री से त्याग पत्र मानना परिपक्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जाँच के बगैर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–21

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केवल आरम्भिक नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद प्रोन्नति योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता के क्रम में होनी चाहिए। यह सिद्धांत बहुत समय से बुद्धिजीवियों द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को भी बताया जा रहा है। आरक्षण का तात्पर्य भी यही है कि कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाए। ताकि वह अन्य प्रतिभावान योग्य व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ न जाए और नौकरी पाने के अवसर से वंचित रह जाए। यह सिद्धांत उचित है क्योंकि पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती, जितनी एक सामान्य व्यक्ति को हो जाती है। सामाजिक वातावरण के अनुसार बौद्धिक विकास में भी अन्तर रहता है किन्तु राजकीय सेवा में समान अवसर प्राप्त करने के लिए यह सर्वथा उचित और आवश्यक है कि एक बार नियुक्ति के समय आरक्षण दिया जाए। किन्तु यह सर्वथा अन्याय होगा। उन योग्य व्यक्तियों के साथ जो अपनी योग्यता के बल पर आरक्षित व्यक्ति के साथ ही नौकरी में आए हैं तथा उन्हें योग्यता के और वरिष्ठता के क्रम में प्रोन्नति पाने का अधिकार है। यदि उनका यह अधिकार आरक्षण के अस्त्र से काट दिया जाता है और आरक्षित व्यक्ति को वरिष्ठता क्रम को तोड़ते हुए, योग्यता के मापदण्ड को अलग करते हुए अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर प्रोन्नति दे दी जाती है तो यह अन्याय

होगा। प्रतिभाएँ इससे कुण्ठित होंगी तथा सरकारी कार्यालयों में काम–काज दुष्प्रभावी होगा। जिन समकक्ष अधिकारियों की वरिष्ठता को लांघकर आरक्षित व्यक्ति को प्रोन्नति दी जाएगी। वह योग्यता में कम होने के कारण अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकेगा और जिन लोगों की वरिष्ठता को लांघा गया है, वह उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अतः कार्य दुष्प्रभावित होगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रोन्नति में आरक्षण की माँग जायज नहीं है और न ही आरक्षण का कानून बनाते वक्त यह बात ध्यान में रखी गई थी। प्रथम नियुक्ति से पूर्व ही आरक्षण के नाम पर समस्त प्रकार की सुख–सुविधाएँ पढ़ाई, पुस्तक आदि आरक्षित व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता को समाज के अनुकूल बना सके। अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर योग्य व्यक्तियों के मुकाबले उन्नति करने की दृष्टि से प्रथम अवसर तो दिया जा सकता है। ताकि वह काम–काज को सीखकर अन्य क्रियाकलाप से भी परिचित हो जाए। किन्तु यह सर्वथा अनुचित होगा कि उसे अपने से अधिक योग्य और वरिष्ठता के क्रम में ऊपर वाले पदाधिकारियों के ऊपर पदोन्नति दे दी जाए। आरक्षण के नाम पर जो आन्दोलन कर रहे हैं उन्हें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि देशहित में यही है, कि एक बार नियुक्ति तो मिल जाए किन्तु बाद में वह व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रमाणित करे और वरिष्ठता के क्रम में ही प्रोन्नति पाए। वैसे मेरे विचार में तो आरक्षण का प्राविधान सामाजिक खाईयों को बढ़ा रहा है। कभी कोई सम्प्रदाय आरक्षण मांगने लगता है, कभी कोई सम्प्रदाय आरक्षण के विरोध में खड़ा हो जाता है यह सब क्या है? यदि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उनको अपनी

योग्यता को विकसित करने के लिए समस्त प्रकार की सुविधा दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे सामाजिक प्रतिबद्धता बढ़ेगी और वैमनस्य तथा प्रतिस्पर्धा कम होगी। सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मान करना चाहिए और उसके विरोध में कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, जिससे माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावहीन हो जाए, यह परोक्ष रूप में न्यायपालिका के सम्मान के विपरीत होगा।

घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक अगले दिन के अखबार में नया घोटाला सामने आता है। अभी कोयला घोटाले की गर्मी व्याप्त है कि एक और घोटाला सामने आ गया, जिला बिजनौर की तहसील चाँदपुर की नगर पालिका में सी॰एफ॰एल॰ की खरीद में घोटाले का खुलासा हुआ। यह समाचार अमर उजाला, मेरठ, बुद्धवार दिनांक 29 अगस्त 2012 के पेज 2 (बिजनौर शहर के संदर्भ में छपा है) पेज 3 पर बिजनौर के ग्राम धर्मनगरी के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार घोटालों के कारण सीज कर दिए गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब छोटा या बड़ा घोटाला सामने ना आता हो। वस्तुतः हम घोटालों के आदी हो गए हैं। हम नौकरी में जाएँ या राजनीति में जाएँ सबसे पहले घोटाला करने की गुंजाइश पर विचार करते हैं और घोटाले बढ़ते जाते हैं। घोटाले का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक किसी भी घोटालाबाज को श्री सुखराम के अलावा सजा नहीं हुई। शनैः–शनैः करके सब छूट जाते हैं। सुरेश कलमाड़ी की जमानत हो गई, उन्हें लंदन जाने की अनुमति भी मिल गई और अब वह आजाद हैं तथा साक्ष्यों को अपने पक्ष में करने के लिए जोड़–तोड़ कर सकते हैं। ए॰ राजा तथा कनिमोझी सभी जमानत पर बाहर हैं। मुकदमे बहुत लम्बे चलेंगे। जाँच बरसो–बरस चलेगी इस बीच में

या तो गवाह मर जाएँगे या साक्ष्य नष्ट हो जाएँगे और सभी घोटालाबाज साफ छूट जाएँगे। प्रथम तो घोटाला करने वाला अकेला नहीं होता। नीचे से लेकर ऊपर तक सब उसके साथ होते हैं क्योंकि घोटाले में सबका साझा होता है, इसलिए जो व्यक्ति बाहर होते हैं, वह घोटालाबाज को बचाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और जान लगा देते हैं। परिणामस्वरूप जाँच में कुछ नहीं मिलता, कभी सन्देह का लाभ देकर, कभी सिफारिश का लाभ देकर और कभी साम, दाम, दण्ड, भेद के आधार पर घोटाला शून्य हो जाता है और घोटालाबाज बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यदि घोटालाबाजों को देशद्रोही की संज्ञा की जाए और इनको वही दण्ड दिया जाए, जो देशद्रोही को दिया जाता है, तो घोटाले रूक सकते हैं, जब तक घोटाले होते रहेंगे और घोटालेबाज छूटते रहेंगे जब तक घोटाले बन्द नहीं होंगे। घोटाला हमारे रक्त में बैठ गया है, सुविधाशुल्क के बगैर अधिकांश काम लटके पड़े रहते हैं और सुविधाशुल्क पहिये लगने के बाद ही आगे बढ़ पाते हैं, राष्ट्रीय चरित्र बदलना मुश्किल है। लेकिन असम्भव नहीं है यदि राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन आ जाए तो भ्रष्टाचार, कालाधन, सुविधाशुल्क, घोटाले जैसे सर्प नष्ट हो सकते हैं। हवन में जल सकते हैं। किन्तु हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन करना होगा। घोटाला करने वाले सभी सत्तापक्ष से संबंधित हैं। कतिपय नेता हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं। सबके अपने–अपने सम्पर्क हैं, सबके अपने–अपने सम्बन्ध हैं। घोटालेबाज भी अपने हैं अतः घोटालेबाजों को सजा हो ही नहीं सकती। क्योंकि घोटालेबाज के यहाँ जब हलवा बनता है तो उसकी सुगन्ध पड़ोस में अवश्य जाती है। अतः पड़ोसी विरुद्ध कैसे हो सकता है? यही कारण है कि अधिकांश घोटाले जाँच होते–होते

शून्य हो जाते हैं और घोटालेबाज को कोई सजा नहीं मिलती तथा हौंसले के साथ नये–नये घोटाले सामने आते रहते हैं। यदि आजादी के बाद से अब तक के सब घोटालों में धन का जोड़ लगाया जाए तो समूचे भारतवर्ष की सड़के सोने की नहीं तो इस्पात की अवश्य बन सकती थीं, जो अँग्रेजों के जमाने में बनाये गये पुल की भाँति ही मजबूत होती। लेकिन हमारे द्वारा आजादी के बाद बनाये गये पुल अँग्रेजों के समय में बने पुलों से पहले ही टूट रहे हैं और इस टूट में पूरा देश शामिल है। अतः कौन किसके खिलाफ कार्यवाही करे।

ओलम्पिक में विश्व स्तर के खेल होते हैं और विश्व की टीमें भाग लेती हैं। भारतवर्ष भी उनमें से एक होता है। विश्व के वह सभी देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस जहाँ पर क्रिकेट नहीं खिलता है, ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं और बड़ी संख्या में जीतते हैं तथा जहाँ पर क्रिकेट हावी है, वहाँ स्वर्ण पदक नहीं मिलते। अन्य पदक भी एक, दो, चार मिलते हैं और इनमें पाकिस्तान और भारत तथा बंग्लादेश सबसे ऊपर हैं। जिन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिलता अन्य पदक भी एक या दो मिलते हैं लेकिन यह 24 घण्टे क्रिकेट खेलते हैं। वस्तुतः अँग्रेजों ने भारतवर्ष को गुलाम बनाये रखने के लिए और विकास न करने देने के लिए यह क्रिकेट का खेल थोप दिया था। भारतवर्ष को इस क्रिकेट में व्यस्त रखने के लिए पाकिस्तान और बंग्लादेश पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है लेकिन हम उसके साथ लगातार क्रिकेट खेलते हैं। बंग्लादेश से घुसपैठ लगातार हो रही है फिर भी हम उसके साथ क्रिकेट में व्यस्त हैं। देश की राजधानी में बाढ़ आ रही है, देश के अधिकांश हिस्से जल में डूबे हुए हैं। लेकिन हम बंगलौर क्रिकेट खेलने जा

रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि 24 घण्टे, 12 महीनों, 30 दिन क्रिकेट का खेल जारी रहता है, क्योंकि इसमें करोड़ों का लेनदेन होता है और मंत्री से लेकर चपरासी तक सभी को वांछित प्राप्त होता है। जब खिलाड़ी को कई करोड़ मिलते हैं तो वह यदि कुछ खर्च करके अपना स्थान बना ले तो उसका लाभ ही लाभ है। भले ही देश हर मामले में पिछड़ जाए लेकिन क्रिकेट का खेल बन्द नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे पूर्व स्वामियों द्वारा उपहार में दिया हुआ एक खेल है और उपहार किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाता अन्यथा देने वाले का अपमान होता है और हम अपने पूर्व स्वामियों का अपमान नहीं कर सकते। भले ही ओलम्पिक में स्वर्ण न जीत पाएँ लेकिन कभी-कभी क्रिकेट का मैच जीतकर हम खुश हो जाते हैं। भले ही एक दिन बंग्लादेशी घुसपैठ के कारण आसाम हमारे हाथ से निकल जाए लेकिन हम क्रिकेट का कोई मैच खेलने का अवसर नहीं छोड़ सकते। भले ही पूरे हिन्दुस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाए लेकिन हम क्रिकेट खेलना बन्द नहीं कर सकते। क्रिकेट एक ऐसी दीमक है, जो देश के विकास को तथा देश के अन्य खेलों को अन्दर ही अन्दर चाट रही है और हम एक व्यक्ति को क्रिकेट का भगवान कहकर प्रसन्न हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी सी.बी.आई. जाँच हो रही हैं, लेकिन क्रिकेट के सन्दर्भ में कोई जाँच नहीं करता कि क्या कारण है कि श्री भगवान के जो शतक लगे हैं, उनमें अधिकांश में देश हारा है। आज पूरे देश में किसी भी क्षेत्र के विकास या प्रगति से अधिक क्रिकेट के क्षेत्र में प्रगति नजर आती है, क्योंकि सड़कों पर, बागों में, मौहल्लों में, घर की छतों पर क्रिकेट का खेल ही खिलता है। अन्य सभी खेल दौड़, कूद, रस्साकशी, कुश्ती, हॉकी आदि गौण हो गए हैं। देश का विकास

तभी होगा, देश की उन्नति जब ही होगी, जब इस देश से क्रिकेट को विदा कर दिया जाएगा अन्यथा न तरक्की हो सकती है ना प्रगति हो सकती है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–22

बम्बई में फिर तूफान है। एक ओर तो वर्षा के कारण जल भराव और जल उफान की स्थिति निरंतर बनी हुई है और दूसरी ओर ठाकरे परिवार के बयान तूफान पैदा कर रहे हैं। बार–बार यह कहना कि बिहारियों को बम्बई से बाहर खदेड़ दिया जायेगा और उनके साथ मारपीट करना सर्वथा तूफान उठाने वाला वक्तव्य है। इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हो सकती है। यदि बम्बई में बिहारियों के साथ पुनः मारपीट की गई और पुनः उन्हें खदेड़ने की स्थिति उत्पन्न की गई तो इसकी प्रतिक्रियास्वरूप देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्रियनों के साथ भी वही बर्ताव हो सकता है और इससे गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः राज ठाकरे को ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए और सरकार को भी इन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए। सरकार ठाकरे परिवार से डरती है इसी कारण राज ठाकरे का हौसला इतना बढ़ा हुआ है। शायद राज ठाकरे को हिटलर के अन्त के बारे में ज्ञात नहीं है। हिटलर को अपनी हिटलरशाही प्रवृत्तियों के कारण कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं पुकारा गया और उसका अन्त एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह से नहीं हुआ। गरीब बिहारियों को बार–बार मारना, बार–बार उन्हें खदेड़ने की धमकी देना भारतीय संविधान का अपमान करना है और संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही माना जाना चाहिए। अभी राज ठाकरे ने बंग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में एक बयान दिया था, जिसका जवाब बम्बई के एक नेताजी ने दिया तो राज ठाकरे चुप होकर बैठ गये। अरे हिम्मत है तो विदेशी घुसपैठियों को देश से

निकालने की बात करें अपने ही देशवासियों को बम्बई से खदेड़ने की बात करना कमजर्फियत है। शायद राज ठाकरे भूल रहे हैं कि बम्बई बिहारियों पर किस प्रकार निर्भर है। दूध की डेयरी अधिकांश बिहारियों द्वारा ही चलाई जा रही हैं। डिब्बेवाले भईया अधिकतर बिहारी हैं। टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, टैम्पू चालक के रूप में भी बिहार के लोग कार्यरत हैं। घरेलू व सरकारी सेवकों के रूप में भी बिहारी ही उपलब्ध हैं। यदि राज ठाकरे की बात मान ली जाए और बिहारियों को बम्बई से निकाल दिया जाए तो स्थिति क्या होगी। यह विचारणीय है। दिग्विजय सिंह का यह कहना कि ठाकरे परिवार बिहार से ही बम्बई में आया है स्वयं सिद्ध है कि राज ठाकरे भी बिहार से सम्बन्ध रखते हैं। फिर बिहारियों से इतनी घृणा क्यों? राज ठाकरे को अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए अन्यथा सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए।

पुनः बम्बई में कौन बनेगा करोड़पति आरम्भ होने वाला है। गरीब जनता को इससे हानि ही हानि है। केवल 5–10 व्यक्तियों को छोड़कर जनसाधारण को इससे कोई लाभ नहीं है। मोटा लाभ केवल कौन बनेगा करोड़पति के प्रश्नकर्ता श्री बिग बी को तथा आयोजनकर्ताओं को है। एक अरब की जनसंख्या में यदि एक करोड़ लोग भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए फोन करते हैं या एस.एम.एस. करते हैं तो लगभग 10 करोड़ रुपये आयोजकों के पास पहुँच जाते हैं। कार्यक्रम के संदर्भ में केवल कुछ ही व्यक्तियों को एक करोड़ की राशि तक पहुँचने का अवसर मिलता है और वह भी उन्हें जो प्रश्नकर्ता के हाव–भाव से सही निष्कर्ष निकाल लेते हैं अन्यथा अधिकांश लोग शून्य पर या न्यूनतम राशि पर बाहर हो जाते हैं। इसकी जाँच कराई जानी

चाहिए कि कितना पैसा फोन कॉल से एकत्रित होता है। कितना प्रश्नकर्ता महोदय लेते हैं और कितना आयोजकों को बच जाता है। इस कार्यक्रम से अमीरों को और अमीर बनाने का सिलसिला जारी है। क्योंकि प्रश्नकर्ता और आयोजक प्रतिदिन और अमीर होते जाएँगे और जनसाधारण में से कतिपय को ही कुछ लाख रुपये का लाभ होगा। सरकार को ऐसे आयोजनों पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। यह आयोजन न देशहित में हैं, न जनहित में हैं। केवल 1–2 लोगों को ही करोड़ों का लाभ मिलता है। शेष तालियाँ बजाते रह जाते हैं। ऐसे आयोजन भारतवर्ष में शोभा नहीं देते। यदि देश के विकास में कोई कार्य किया जाए तो वह अच्छा भी लगता है। मेरे विचार से यह एक प्रकार से जुआ है और जुआ खुलेआम खेलने की अनुमति देना केवल सुविधाशुल्क का ही परिणाम हो सकता है अन्यथा जुआ खेलने पर पाबन्दी है।

और क्रिकेट के श्रीभगवान पर प्रश्न उठने लगे हैं लगातार क्लीन बोल्ड होना। यह सिद्ध करता है कि अब चयनकर्ता किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अंतर्गत क्रिकेट के श्रीभगवान को टीम इंडिया में चयन कर रहे हैं अन्यथा 40 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति का टीम इंडिया में चयन होना सम्भव ही नहीं है। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि इस सन्दर्भ में आँकड़ें स्पष्ट किये जाने चाहिए कि श्रीभगवान ने जब शतक लगाया है तब देश जीता है अथवा हारा है। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। जब–जब श्री भगवान का शतक लगा है। तब–तब देश हारा है और जब–जब श्रीभगवान हारे हैं अथवा क्लीन बोल्ड हुए हैं तब –तब देश जीता है। यह एक गम्भीर बात है क्या श्रीभगवान का खेल केवल मात्र व्यक्तिगत है? देशहित में नहीं है? देश की हार–जीत से उनका कोई

सम्बन्ध नहीं है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है यह सिद्ध हो चुका है। क्या ऐसा कोई फिक्सिंग नहीं हो सकता? जिस व्यक्ति को करोड़ों रुपये साल की आमदनी केवल मात्र खेल से है वह खेल को अपने पक्ष में कराने के लिए क्या फिक्सिग का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन कोई गौर इस पर नहीं हो रहा। कोई जाँच इस पर नहीं हो रही। बस भगवान कह दिया सो कह दिया। भगवान कहने से पहले उस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में भी जानना चाहिए। क्या वह किसी को कुछ दे सकता है, क्या वह देश को कुछ दे सकता है या जो कुछ है सब उसका है। भगवान की परिभाषा यह है कि वह व्यक्तियों को भाग्यवान बनाता है। वह आशीर्वाद देता है, वह वरदान देता है। क्रिकेट के श्रीमान भगवान ने केवल अपने शतक बनाये हैं, अपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, देश के लिए कुछ नहीं किया। दोषी हैं वह व्यक्ति, जो बार–बार ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं, जो क्लीन बोल्ड होता है, जो उम्रदराज हो चुका है। 30 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति टीम इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ आय करोड़ों में होती हो। चयनकर्ताओं का भी स्वार्थ सिद्ध होता हो और जहाँ क्रिकेट का खेल 24 घंटे, 12 महीने, तीसो दिन खेला जाता हो वहाँ यह सम्भव है कि क्रिकेट एक व्यापार बन चुकी है और इस खेल को जारी रखने के लिए चयनकर्ता, आयोजक, मंत्री महोदय तथा क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष सभी प्रयासशील रहते हैं क्योंकि सभी के दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में होता है। जहाँ मालपुआ खाने को सबको मिलता है वहाँ कोई भी खेल के प्रति आवाज नहीं उठा सकता। अमेरिका, चीन, जापान, रूस, जर्मनी जहाँ पर यह खेल नहीं होता, वहाँ किस कदर विकास होता है, इसका हमें अंदाजा

नहीं है। हम प्रत्येक क्षेत्र में हारते हैं आतंकवाद पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाये हैं। देश की क्या राजधानी की सड़के भी मजबूत नहीं हैं। गरीबी दूर नहीं हुई है। अपहरण, बलात्कार सभी जारी है। लेकिन क्रिकेट के खेल में हम सभी भूले हुए हैं। जितना पैसा क्रिकेट पर बरबाद हो चुका है, उससे यदि देश की सड़कें बना दी जातीं तो वह एक उपलब्धि होती। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि राजधानी तक में अच्छी सड़कें नहीं हैं। राजधानी ही क्या देश में ग्रांड ट्रंक रोड जो मुगलकाल में बनाई गई थी, उससे मजबूत कोई भी सड़क आज तक नहीं बन सकी। क्रिकेट के खेल को अधिकतर वही देश खेलते हैं, जो अँग्रेजों के गुलाम रहे हैं। यह दासत्व का प्रतीक है तथा अपने पूर्व स्वामी के प्रति श्रद्धां व्यक्त करता है। कब हमारे नेताओं को समझ आएगी और इस क्रिकेट पर प्रतिबन्ध लगेगा।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–23

प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दे दिया, जो संविधान के अनुसार सर्वथा उचित है। लेकिन सरकार और सबसे आगे सुश्री मायावती जी प्रोन्नति में पुनः संवैधानिक परिवर्तन करते हुए आरक्षण पर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुश्री मायावती जी, जो अम्बेडकर जी को भगवान की तरह पूजती हैं। वह उनके द्वारा बनाये गये संविधान को इस बिन्दु पर सम्मान नहीं देना चाहती। यह एक प्रकार से बाबा साहब का अपमान है। सरकार यदि प्रोन्नति में आरक्षण को बहाल करने का कानून बनाती है तो यह संविधान का तो अपमान होगा ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी पलटने का प्रयास होगा। जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए और प्रोन्नति में आरक्षण को बहाल करने का विचार त्याग देना चाहिए। वस्तुतः पहले ही प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था। सरकार एक तरफ तो आँख मूँद लेती है और उसके बाद जागने का प्रयास करती है। प्रत्येक क्षेत्र में सरकार का यही नियम है कि पहले बीमारी को बढ़ जाने दो उसके बाद उसका इलाज किया जायेगा ताकि दवा के नाम पर भी घोटाला हो सके। भिण्डरावाले को इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि आपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। इसी प्रकार बाबा रामदेव को नेतागण सर पर बैठाते गए, उनकी नई–नई कम्पनियों की स्थापना में मदद करते रहे और जब उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कालेधन के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्यवाही आरम्भ कर दी

गई। इसी प्रकार एक स्थान पर तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का हलवा खिलाती रही और अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी तो यही हलवा सरकार के गले की हड्डी बन गया। प्रोन्नति में आरक्षण समर्थक भी आन्दोलन कर रहे हैं और प्रोन्नति में आरक्षण विरोधी भी आन्दोलनरत हैं। एक ही मुद्दे पर विरोध और पक्ष में आन्दोलन हो रहा है। यह सरकार की नाकामयाबी स्पष्ट करता है। प्रोन्नति में आरक्षण समर्थकों को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। यह उनके हित में है। इससे आपसी वैमनस्य कम होगा। खाई पट जाएगी। एक बार आरक्षण मिलने के बाद यदि हम अपनी योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता के क्रम में प्रोन्नति प्राप्त करते हैं तो यह न्यायोचित है किन्तु यदि वरिष्ठता क्रम को लांघकर प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाता है तो यह कुण्ठा उत्पन्न करेगा। वह लोग जो प्रोन्नति में आरक्षण के कारण अपने कनिष्ठ के कनिष्ठ हो जाएगे। वह कार्य नहीं करेंगे और जिन कनिष्ठों को प्रोन्नति में आरक्षण के कारण वरिष्ठ बना दिया जायेगा। वह अनुभवहीन होने के कारण काम नहीं कर सकेगे। परिणाम देश के हित में नहीं होगा। अतः प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा रद्द कर दिया जाना चाहिए और सुश्री मायावती जी को तथा प्रोन्नति में आरक्षण समर्थकों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। यदि आन्दोलन चलता रहा और समस्त प्रोन्नति में आरक्षण विरोधी हड़ताल पर चले गए तो क्या आरक्षण समर्थक देश चला सकेंगे? क्या परिस्थिति होगी यदि ऐसा हो गया तो। जिद से जिद को नहीं टकराना चाहिए और असंवैधानिक अनुचित जिद को तुरन्त त्याग दिया जाना चाहिए। यही देशहित में है, यही जनहित में है आरक्षण से कोई जाति

ऊपर नहीं उठ सकी है, तरक्की नहीं कर सकी है, केवल मात्र कम नम्बर होने पर भी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति अवश्य मिल गई है किन्तु कभी किसी आरक्षण की सुविधा प्राप्त डाक्टर से पूछिये उसके पास उसके ही परिवार के कितने लोग इलाज कराने आते हैं और कितने लोग अनारक्षित श्रेणी के डाक्टर के पास जाते हैं, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और तब सरकार को अहसास होगा कि उसने आरक्षण के नाम पर जातियों को विष पिलाया है। उन्हें उन्नति से वंचित किया है। वांछित था कि प्रारंभ में शिक्षा के स्तर पर ही आरक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती तथा नियुक्तियों में आरक्षण का दखल नहीं होना चाहिए था। किन्तु वोट बैंक के कारण आरक्षण का रोग जनता पर लाद दिया गया। अब भी समय है चेतने का। जनता को समझाना चाहिए और अपने वोट बैंक की खातिर देश की बर्बादी को रोकना चाहिए।

लोकसभा चुनाव की घण्टी बज चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने–अपने प्रत्याशी जनता पर थोपने आरम्भ कर दिए हैं। जो व्यक्ति मेरठ से कभी नहीं जीता। उसको अन्यत्र भेजा जा रहा है। जो व्यक्ति लखनऊ में हारा है, उसे कानपुर से लड़ाया जा रहा है। यह सब गलत हो रहा है, जनता को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर राजनीतिक दलों को सूचित करे और वही क्षेत्रीय व्यक्ति प्रत्याशी घोषित होना चाहिए, जो उस क्षेत्र का रहने वाला है, जिसको उस क्षेत्र की जनता ने चयन किया है, बाहर से थोपे जाने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र की जनता का हो ही नहीं सकता। जैसा वर्तमान में हो रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह न हो बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। राजनीतिक दल प्रत्याशी

का समर्थन कर सकते हैं। अपने नियम उसे बता सकते हैं। किन्तु उसको असंतुष्ट होने की दशा में हटा नहीं सकते। यह अधिकार उस क्षेत्र की जनता को ही होना चाहिए कि वह अपने चुने हुए व्यक्ति से जवाब माँग सके और सरकार को लिख सके कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए अथवा इस व्यक्ति का कार्य अच्छा है। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का तथा राष्ट्रपति का चुनाव सीधे–सीधे जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने सांसदों अथवा विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के चयन का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की प्रतिबद्धता एक प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रति रहती है जनता के प्रति वह अपनी जवाबदेही से बचते हैं। वह जनप्रतिनिधि हैं, दल प्रतिनिधि नहीं हैं, अतः जनता के प्रति ही उनको जवाबदेह होना चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रति नहीं। संविधान में संशोधन, चुनाव संहिता में संशोधन इस संदर्भ में तुरन्त किया जाना चाहिए ताकि प्रत्याशी राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर निकल सके और जनता में अपनी स्पष्टवादिता, अपनी ईमानदार छवि सिद्ध कर सके। दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले प्रत्याशी एक प्रकार से अपने दल के मुखिया के कहने पर गलत काम भी कर बैठते हैं जैसा कि एक बार एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि तुमको जो सांसद निधि मिलती है, उसमें तुम्हारा भी कमिशन होता है अतः उसमें से मुझे भी दो। न देने पर चयनित व्यक्ति को दल से निकाल दिया जाता है और कभी–कभी उसकी विधायकी अथवा सांसदी भी खतरे में पड़ जाती है अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय जनता ही अपने प्रतिनिधि का चयन करे और राजनीतिक दलों को सूचित करे। चयनित व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह हो, राजनैतिक दलों के

प्रति नहीं। इसी से राजनैतिक स्तर सुधर सकता है, घोटाले कम हो सकते हैं और ईमानदार छवि वाले व्यक्ति संसद अथवा विधानसभा में जा सकते हैं।

अभी एक गाँव में अतिक्रमण के कारण दो सम्प्रदाय के लोगों में झगड़ा हो गया, जिसने दंगे का रूप धारण कर लिया, कई लोगों को चोटें आई, घायल हुए और कर्फ्यू लगाना पड़ा। अतिक्रमण प्रत्येक शहर, नगर, गाँव में व्याप्त है। क्योंकि उसके हटाने के लिए हम कटिबद्ध नहीं हैं कहीं हमारे सम्बन्ध आड़े आ जाते हैं, कहीं सुविधाशुल्क चल जाता है। अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाएँ भी होती हैं। कोई ईमानदार अफसर आता है और वह अतिक्रमण हटाने का प्रयास करता है तो उसका विरोध किया जाता है। एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद फिर स्थिति वैसी ही हो जाती है और फिर अतिक्रमण हावी हो जाता है। वस्तुतः अतिक्रमण के मामले में एक कठोर नीति बनानी पड़ेगी। अतिक्रमण हटाने के साथ ही साथ दोबारा रखने वालों पर भारी अर्थदण्ड तथा किराये की व्यवस्था भी होनी चाहिए और किराया भी सामान्य से 10 गुना होना चाहिए। अतिक्रमण एक बार हटाने के बाद दोबारा रोकना सम्भव नहीं होता क्योंकि पुलिस के सहयोग से एक बार तो हटा दिया जाता है किन्तु पुलिस 24 घण्टे, 30 दिन, 12 महीने वहाँ पर नहीं रह सकती अतः अतिक्रमण पुनः हावी हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और भारी अर्थदण्ड आरोपित किया जाए, जो किराये की शक्ल में भी वसूल किया जा सकता है। न्यायालयों को भी ऐसे मुकदमों को निस्तारित करने में जनहित और जनभावना का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने भाग से अधिक की भूमि पर

कब्जा करने का अधिकार नहीं है और जो सरकारी, गैरसरकारी अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है तो वह अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है और गैरसरकारी, सरकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, जो अन्यायपूर्ण है, अवैधानिक है। एक बार स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने के बाद यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यदि दोबारा इस स्थान पर अतिक्रमण किया गया और गैरकानूनी अधिकार जमाया गया, अपनी दुकान का समान बाहर रखा गया अथवा मकान के आगे चबूतरा बनाया गया तो भारी अर्थदण्ड के साथ–साथ प्रतिदिन के हिसाब से भारी किराया भी देना होगा। सम्भव है कि इससे अतिक्रमण में कुछ कमी आए इस बारे में स्पष्ट कानून बनाकर जनता में वितरित कर दिया जाना चाहिए कि एक फुट जमीन का अतिक्रमण करने पर एक निश्चित भारी रकम जुर्माने और किराये के रूप में देनी होगी। स्पष्ट कानून बन जाने के बाद भी यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक आपराधिक अतिचार (क्रीमीनल ट्रैसपास) करने वाले के विरुद्ध किया जाता है, इसमें कोई रियायत, कोई सुविधाशुल्क प्रचलित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अतिक्रमण करने वाले के साथ रियायत करता है तो उसके ऊपर भी वही कानून प्रभावी होना चाहिए, जो अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध प्रभावी है तभी अतिक्रमण रूक सकता है अन्यथा दंगे होते रहेंगे, सरकार सोती रहेगी, जनता जलती रहेगी। सरकारी सम्पत्ति नष्ट होती रहेगी।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–24

कविताओं में, गानों में, नाटकों में सुना और देखा जाता था कि लोग मुखौटा लगा लेते हैं। एक गाना था– **एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।** किन्तु भारतवर्ष में जन्म लेना सार्थक हो गया जब अपने राजनेताओं को चेहरे बदलते हुए देखा। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर प्रान्तों के राजनेता विरोध कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के सहयोगी दल धमकियाँ दे रहे हैं। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को किसी भी कीमत पर प्रान्त में लागू नहीं किया जाएगा ऐसा कतिपय प्रान्तों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कतिपय मुख्यमंत्रियों ने तो अल्टीमेटम तक दे दिया। लेकिन सरकार अपने फैसले पर जमी हुई है। वह इसे सख्त कदम बता रही है किन्तु देशहित को सामने रखते हुए इस कदम को वापस लेने को तैयार नहीं है और लगभग सभी सहयोगी दल विरोध में खड़े हो गए हैं। किन्तु प्रधानमंत्री निश्चिन्त हैं, उनके अपने सांसदों और मंत्रियों का यह कहना कि **सर कटा देंगे पर झुकाएँगे नहीं।** सटीक बात है। मैं उन सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ, जो मन में यह भाव रखते हैं और प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वह पूर्णतया निश्चिन्त रहे। कोई भी सहयोगी दल समर्थन वापस नहीं लेगा। क्योंकि किसी भी दल का सांसद दोबारा चुनाव नहीं चाहता। क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि दोबारा चुनाव होने पर वह जीत सकेगा अथवा नहीं और इस समय जब वह जीता हुआ है तो पांच करोड़ की सांसद निधि, वेतन भत्ते तथा अन्य सभी सुविधाएँ और अधिकारों की हनक इन सभी को एक ऐसी बात के लिए नहीं

त्याग सकता, जिससे उसका कुछ लेना–देना नहीं है। क्योंकि किसी भी सांसद के लिए देशहित की अपेक्षा स्वहित महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी भी यह बात समझ लें कि सहयोगी दल मौखिक विरोध तो कर सकते हैं किन्तु समर्थन वापसी का साहस नहीं रखते अतः जितने भी आर्थिक सुधारों के देशहित के कानून हैं। वह तुरन्त लागू हो जाने चाहिए। सांसदों के मुखौटे बदलते रहते हैं। अपने दल के मुखिया की धमकी का समर्थन करते हुए वह उनके स्वर में बोल सकते हैं यह चेहरे का एक रूप है किन्तु किसी भी हालत में समर्थन वापस लेकर संसद भंग कराने का साहस उनमें नहीं है यह चेहरे का दूसरा रूप है। स्वहित में सांसदनिधि, वेतन भत्ते और अधिकार त्यागने की नैतिकता लुप्त हो चुकी है, यह चेहरे का तीसरा रूप है। अतः इन बदलते चेहरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। देशहित में निश्चिन्त होकर कदम उठाईये किन्तु कोई एक धमाका जैसे सिनेमा का राष्ट्रीयकरण, क्रिकेट का राष्ट्रीयकरण अथवा प्रतिबन्ध अवश्य कीजिए। विरोध तो होता ही है। होने दीजिए। विरोधियों में नैतिक साहस समाप्त हो चुका है, केवल भाषणबाजी और बयानबाजी रह गई है और कुछ घटक दलों को तो प्रत्येक बात का विरोध करने की आदत है हालाँकि बाद में वह अपनी बात से पलट जाते हैं और विरोध भी छोड़ देते हैं। ऐसा ही अब भी होगा।

ओलम्पिक में छह रजत और कास्य पदक प्राप्त हुए। कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुआ। कांस्य पदक और रजत पदक प्राप्त करने वालो के घर भर गए। नौकरी में प्रोन्नति, करोड़ों रूपये के उपहार, भूखण्ड, मकान सभी कुछ न्यौछावर कर दिया गया। वास्तव में ठीक भी है क्योंकि जिस देश को एक भी पदक जीतने की आशा ना हो उसको यदि इकट्ठे छह पदक मिल जाएँ। भले

ही कांस्य और रजत हों तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को बुढ़िया के बाल खाने को मिल गए हों या किसी रोती बच्ची को गुड़िया दिखा दी गई हो। जितना जश्न देश में इन छह पदकों के प्राप्त होने पर मिला और जितना धन इन व्यक्तियों के सम्मान समारोहों पर लुटाया गया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन का तो सम्पूर्ण राजकोष खाली हो गया होगा क्योंकि वहाँ तो सौ से अधिक पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश स्वर्ण पदक हैं ऐसी स्थिति में यदि वहाँ प्रत्येक पदक विजेता को धन का उपहार दिया जाए, भूखण्ड दिए जाएँ तो चीन में ना तो एक इंच जमीन बचेगी और न ही कोष में धन बचेगा। यही स्थिति अमेरिका की होगी क्योंकि चीन के बाद सर्वाधिक पदक अमेरिका ने प्राप्त किये हैं किन्तु अमेरिका में ऐसा कोई जश्न हुआ कि सार्वजनिक रूप से पदक विजेताओं के सम्मान पर धन लुटाया गया हो किसी अखबार में पढ़ने को नहीं मिला। वस्तुतः चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस जैसे देशों में राष्ट्रीय चरित्र सर्वोत्कृष्ट है। वहाँ खिलाड़ी राष्ट्र के लिए खेलता है, राष्ट्र के सम्मान के लिए खेलता है और जब वह जीतता है तो उसका देश जीतता है। भारतवर्ष में इस बात की कमी है। भारतवर्ष में प्रमुखता से क्रिकेट खेला जाता है। जहाँ श्री भगवान का शतक लगता है किन्तु देश हारता है। जहाँ प्रत्येक खिलाड़ी येन–केन प्रकारेण अपने शतकों में वृद्धि करना चाहता है, अपने नाम से मील के पत्थर स्थापित करना चाहता है, देश के हार–जीत की उसे चिन्ता नहीं होती। इसीलिए इन देशों में क्रिकेट जैसा निकृष्ट खेल नहीं खेला जाता। बल्कि ऐसे खेलों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें विश्व में नाम हो, जिसमें ओलम्पिक में स्वर्ण पदकों से झोली भर जाए। जितने भी

विकासशील देश है, वहाँ क्रिकेट नहीं खेला जाता। केवल भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां अभी विकास नहीं हुआ है और क्रिकेट रूपी खेल पर देश का धन, समय, कार्य क्षमता सभी कुछ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हम प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यदि हमें विश्व के समकक्ष ओलम्पिक में स्थान पाना है। यदि हमें देश में विकास के कार्य करने हैं। यदि देश की सड़कें अमेरिका जैसी बनानी हैं, यदि यहाँ पर नालियाँ सड़कों की सुरक्षा के हिसाब से निर्मित करनी हैं यदि नहरें बनानी हैं, यदि नदिया गहरी करनी हैं, यदि रेलों के पुल बनाने हैं, यदि नई रेल लाइन बिछानी है तो क्रिकेट को प्रतिबन्धित करना पड़ेगा। अन्यथा यह क्रिकेट देश को खोखला करती रहेगी। देश का धन, समय और कार्य कुशलता सभी कुछ नष्ट होता रहेगा। कौन नहीं जानता कि आज गली–मौहल्लों में भी क्रिकेट खिल रही है, और जिस दिन क्रिकेट का टी–20 या टैस्ट मैच होता है उस दिन कार्यालयों में केवल टी॰वी॰ चलता है अधिकारी भी टी॰वी॰ देखने में व्यस्त रहते हैं। कार्यालयों में काम लगभग बन्द हो जाता है। यदि हमें ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने हैं, देश का विकास करना है तो क्रिकेट खेलनी बन्द करने पड़ेगी। अन्यथा कई सौ स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ियों के बीच हम केवल चार–छह पदक प्राप्त करके खुश होते रहेंगे।

देश के निर्माण और विकास का विचार मन में आया तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अँग्रेजों द्वारा बनाये गये रेल पुल सौ साल बीतने पर भी अभी तक कायम हैं और हमने बालावाली में जो रेल पुल बनाया था, उसमें एक साल बाद ही दरार आ गई थी। यही हाल सड़क पुल का भी है। ग्रांड ट्रंक रोड और उस पर बने हुए पुल पुलिया अभी तक अक्षुण्ण हैं। और

हमारी राजधानी दिल्ली से लेकर किसी भी प्रान्त की राजधानी में सड़कें गड्ढा रहित नहीं हैं। सड़क बनती है और एक साल के अन्दर ही टूट जाती है। मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो मुख्य–मुख्य सड़कें फटाफट तैयार कर दी जाती हैं और उन्हीं सड़कों पर मुख्यमंत्री जी को ले जाया जाता और वह सड़कें एक साल में ही गड्ढों से भर जाती हैं। राजधानी में सड़कों में गड्ढे होना आश्चर्यजनक तो है ही एक दुखद बात भी है, क्योंकि वहाँ पर विदेशों के राजनयिक भी रहते हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं। जहाँ पर नहर बननी चाहिए लेकिन नहीं बनती। कभी–कभी कागज पर नक्शा बन जाता है और नहर का कार्य शुरू नहीं हो पाता। बाढ़ आती है तो सड़के और पुल बह जाते हैं। पहले से ही ऐसे क्यों नहीं बनाये जाते जो बाढ़ को झेल सके। आजादी के बाद से 65 वर्षो में हमने कितनी रेल लाइनें नई बिछायी हैं। कितनी सड़कें नई बनायी हैं। यदि देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से न रेल लाइन बिछी हैं, न सड़कें बनी हैं। जबकि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी मुसाफिरों से ठसाठस भरी हुई चलती है अतः आवश्यकता थी कि नई रेल लाइन बिछायी जाती, नई रेलगाड़ियाँ चलायी जाती। सड़क परिवहन भी सुचारू नहीं है। नई–नई सड़के शहर के बाहर होकर बननी चाहिए थी। इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। जनसंख्या के अनुपात में न तो रेल लाइन बिछी हैं, न सड़क परिवहन ही समृद्ध हुआ है। फलस्वरूप सड़कों पर दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। रेलों में भी दुर्घटना का कारण यही है कि पटरियों को रख–रखाव ठीक नहीं है। 25 या 30 प्रतिशत बोल्ट खुले पाये जाते हैं। पटरियाँ काट ली जाती हैं। हम चोरों की मानसिकता नहीं बदल सकते किन्तु स्वयं तो चौकस रह सकते हैं। इस

दिशा में विचार किया जाना आवश्यक है अन्यथा सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं होंगी। पुलों में दरार पड़ती रहेगी। दुर्घटनाएँ होती रहेंगी और मुसाफिर उस सुख–सुविधा से वंचित रहेंगे, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–25

केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते बढ़ा दिए गए। प्रान्तीय कर्मचारियों के भी बढ़ जाएँगे। नेताओं ने और मंत्रियों ने अपने वेतन भत्ते अपने आप ही पहले ही बढ़ा लिये थे। कारपोरेट जगत में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतन–भत्ते पहले ही बढ़े हुए हैं। देखकर आश्चर्य होता है पचास करोड़ से पच्चीस करोड़ रुपये वार्षिक वेतन कारपोरेट जगत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का है। सांसद निधि और विधायक निधि भी बढ़ चुकी हैं। महँगाई से लड़ने के लिए प्रत्येक सत्ता के चहेतो और कारपोरेट जगत के स्वामियों को करोड़ों की राशि प्राप्त हो रही है। मंत्रियों की सुविधाओं का तो पार ही नहीं है। अतः किसी को भी महँगाई पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो सरकार के करीब नहीं हैं वही दुखी हैं और उनकी ही संख्या सबसे अधिक है। गरीब मजदूर की मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है, जिस अनुपात में महँगाई बढ़ी है। मजदूरी प्रतिदिन मिलेगी यह भी सुनिश्चित नहीं होता जबकि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का भी वेतन मिलता है। बैंकों में, बीमा कम्पनियों में, कालेज के प्रवक्ताओं को लगभग एक लाख रुपये मासिक मिलते हैं। खाना वह भी वही खाते हैं, जो मजदूर खाता है, जो प्रतिदिन अपने आपको प्रस्तुत करने के लिए चौराहे पर खड़ा होता है। मजदूर से तो क्रिकेटर अच्छा है, जिसको हारे अथवा जीते कई करोड़ रुपये साल की आमदनी हो जाती है। आखिर सरकार का अर्थशास्त्र क्या है। एक तरफ तो कुछ लोग करोड़ों रुपये साल प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूर दिन भर में तीन सौ

रुपये भी नहीं कमा पाता। आखिर इस गहरी खाई का कारण क्या है, जो कम्पनियाँ भागीदारों को (शेयर होल्डर) को न्यूनतम राशि प्रदान करती हैं, वह अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पचास से पच्चीस करोड़ रुपया सालाना किस कारण से देती हैं। क्या सरकारी कोई नियंत्रण इस पर नहीं है। देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि निश्चित राशि से अधिक किसी को भी वर्ष भर में वेतन अथवा सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएगी। भले ही वह सरकारी फौज में हो अथवा निजी क्षेत्र की ईकाईयों में। बेरोजगारी भत्ता भी सबको तो मिलता ही नहीं लेकिन जिनको मिलता है वह भी नाकाफी है। जरूरत के हिसाब से देशकाल के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए बेरोजगारी भत्ता देना उचित नहीं है। जबसे सरकारी कर्मचारियों के न्यायाधीशों के, कारपोरेट जगत के मुखियाओं के, सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़े हैं, सांसद निधियाँ बढ़ी हैं तब से महँगाई और बढ़ी है तथा गरीब के लिए और मुसीबत खड़ी हुई है। अच्छा होता यदि सरकार वेतन भत्ते बढ़ाने की बजाय महँगाई को नियंत्रण करने के ऐसे उपाय करती, जिससे उत्पादन खर्च कम होता और वस्तु की कीमत पर रोक लगती। वेतन बढ़ा देना केवल कुछ लोगों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करने के अलावा कुछ नहीं है।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रश्न किया है कि सोनिया गाँधी की विदेश यात्राओं पर एक हजार आठ सौ अस्सी (1880) करोड़ रुपये पिछले तीन वर्षो में खर्च किये गये हैं। प्रश्न यह है कि सोनिया गाँधी क्या है? केवल मात्र एक सांसद और संप्रग की अध्यक्ष। यदि वह देश के किसी कार्य के लिए सांसद अथवा सप्रंग की अध्यक्ष के रूप में विदेश यात्रा करती हैं, तब उन पर

किया गया खर्च उचित है। किन्तु एक सीमा तक। एक सांसद को छह सौ करोड़ रुपये साल विदेश यात्रा पर खर्च करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए खर्च करने वाला भी दोषी है और जिसने अनुमति दी है, वह भी दोषी है। देखा जाना चाहिए कि इन विदेश यात्राओं में देश हित का क्या कार्य हुआ और देश के किस लाभ के लिए यह विदेश यात्राएँ की गईं। यदि विदेश यात्रा केवल मात्र व्यक्तिगत हितो के लिए की गई है। तो सोनिया गाँधी की यात्राओं पर किया गया यह खर्च गलत है और यह उनसे वसूल किया जाना चाहिए अथवा जिसने अनुमति दी है, उससे वसूल किया जाना चाहिए। भले ही इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण क्यों ना लेनी पड़े। जनता के पैसे को किसी भी नेता को व्यक्तिगत हितों के लिए खर्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार विदेशों में होने वाले सम्मेलन में जैसे अभी जोहांसबर्ग में हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इससे पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं, उसमें अधिकांश वह लोग जाते हैं, जिनकी पहुँच–पूंछ होती है। जो उस सम्मेलन से सम्बन्धित विषय के ज्ञाता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। भूतपूर्व आई॰ए॰एस॰ अधिकारी, भूतपूर्व कुलपति तथा भूतपूर्व नेता/मंत्री किसी प्रकार अपना जुगाड़ लगाकर ऐसे सम्मेलनों में विदेश में पहुँच जाते हैं, जिसका देश को कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कई भूतपूर्व आई॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं, जो हिन्दी से अनभिज्ञ हैं, जो कविता नहीं कर सकते। लेकिन अतुकांत, अगीत, हाइकु तथा क्षणिकाएँ लिखकर कवियों में शामिल हो गए हैं और अपनी पूंछ पहुँच के बल पर सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं और विदेश यात्रा भी कर आते हैं। जिनको न पिंगल का ज्ञान है, न छन्द और लय के जानकार हैं

वह कवि बने हुए हैं। जबकि वास्तविक काव्य रचयिता और विद्वान सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं।

2014 में चुनाव होंगे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि पहले भी हो सकते हैं। जनता को जाग्रत होना चाहिए। अपने मत का प्रयोग अधिकार और कर्त्तव्य समझते हुए करना चाहिए। अब यह कहने से काम नहीं चलेगा कि **कोउ नृप होय, हमें का हानि।** अब जनता को अपना प्रतिनिधि देखभाल कर चुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो आज भी देशहित में सोचते हैं। स्वार्थरहित सोचते हैं, जो कोई भी अवांछनीय सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते। लेकिन खामोश पीछे बैठे रहते हैं, जनता को उन्हें आगे लाना पड़ेगा। जबरदस्ती उन्हें विधान सभा और संसद में भेजना आवश्यक हो गया है अन्यथा देश उन ठेकेदारो के चंगुल से नहीं निकल सकेगा, जो देश को अपनी बपौती समझते हैं। देश सेवक/जनसेवक वह व्यक्ति होता है, जो लोभी नहीं हो। जो कर्त्तव्य समझकर कार्य करता है। सच्चा जनप्रतिनिधि वही है, जो राष्ट्र से लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक भी पैसा अतिरिक्त लेना पाप समझता है, केवल आवश्यकता अनुसार ही प्राप्त करता है। जिसका सुविधा शुल्क जैसे शब्दों से कोई परिचय नहीं होता। जिसे अंगरक्षक की आवश्यकता भी नहीं होती। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर देश का मुखिया एक साधारण से मकान में रहता है और उसके आने–जाने पर सड़क पर कोई अफरातफरी नहीं मचती है और ना ही भौपू बजाती हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं। शान्ति से आता है और जाता है तथा काम को कर्त्तव्य समझकर निस्तारित करता है। उसके पास ना अंगरक्षक होते हैं और ना उसके काफिले में आगे–पीछे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं। अंगरक्षक की आवश्यकता उसको पड़ती

है, जो गलत कार्य करता है, जो घोटाले करता है, जो आय से अधिक सम्पत्ति पैदा करता है। क्योंकि वह सदैव भयभीत रहता है। जनता से भी और अपने–आपसे भी इसीलिए वह अंगरक्षक साथ लेकर चलना चाहता है। यदि आज समस्त मंत्रियों, नेताओं के अंगरक्षक हटा लिये जाए तो देश में घोटाले बन्द हो सकते हैं क्योंकि फिर जनता स्वयं हिसाब माँग लेगी और मंत्री जी भी डरेंगे। लेकिन अब कोई डर ही नहीं है। भूतपूर्व मंत्री को भी अभूतपूर्व सुविधा प्रदान होती है। भले ही आँखों से न दीखता हो, भले ही चलने–फिरने से लाचार हों, भले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाते हों तथा जेल में बन्द हों लेकिन चुनाव में खड़े होने की सबको अनुमति है। कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जो व्यक्ति भय के कारण अंगरक्षक लेकर चलना चाहते हैं। उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। जहाँ प्राणों का भय हो वहाँ क्यों जाना? साथ ही जो जनप्रतिनिधि घोटाला करता पाया जाए। उसका मुकदमा एक महीने के अन्दर तय हो जाना चाहिए और आरोप सिद्ध होने पर केवल प्राण दण्ड इससे नीचे की सजा नहीं होनी चाहिए तभी घोटाले बन्द हो सकते हैं, तभी मंत्रियों की छवि साफ–सुथरी हो सकती है। अन्यथा जो स्थिति देश की है वह सुधरने वाली नहीं है। देश अधिक समय तक रामभरोसे नहीं चल सकता है। अतः जनता को जाग्रत होना होगा और जो राजनीतिक दल देश के ठेकेदार बने हुए हैं, उनमें से जो दूषित छवि वाले हैं, उनको जनप्रतिनिधि बनने से रोकना होगा और साफ सुथरे सचरित्र, ईमानदार व्यक्तियों को अपने आप चयनित करके संसद और विधानसभा में भेजना होगा।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–26

किंगफिशर कम्पनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पति को छह माह से वेतन न मिलना बताया गया है। सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है जहाँ मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक अथवा निदेशक को वार्षिक वेतन करोड़ों में मिलता है। शेयर होल्डरों को वांछित लाभांश नहीं मिलता है। तथा कर्मचारियों को कई–कई मास का वेतन नहीं दिया जाता। क्या सरकार का कोई नियंत्रण निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर नहीं है। क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों में काम करने वाले व्यक्ति भारतवासी नहीं हैं। क्या भारत की सरकार की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं है। वांछित वेतन न देना कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए कोई कानून है या नहीं। किन्तु इस पर नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने छह माह तक काम किया उसको वेतन क्यों नहीं दिया गया। क्या कर्मचारियों के वेतन के साथ–साथ कम्पनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक ने भी वेतन प्राप्त नहीं किया, जिस प्रकार कर्मचारी के घर की आर्थिक दशा खराब हुई क्या उसी प्रकार मुख्य कार्यकारी निदेशक के घर की दशा पर प्रभाव पड़ा या कर्मचारी के घर तो भूखा मरने की नौबत आ गई, बच्चो की फीस के लिए पैसे नहीं रहे और कम्पनी के स्वामी के घर सारी सुविधाएँ उपलब्ध रही। अभी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि भारत में गतवर्ष कई लाख लोगों ने आत्महत्या की। ऐसा क्यों है। आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं। यदि बीमारी के कारण डिप्रेशन में आने के फलस्वरूप आत्महत्या होती है तब तो

अधिक चिन्ताजनक नहीं है किन्तु यदि ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या होती है, जो टाली जा सकती थी तो चिन्ताजनक अवश्य है। वेतन का ना मिलना, मजदूरी का ना मिलना, भूख के कारण, बेरोजगारी के कारण अथवा दुष्कर्म तथा ब्लैकमेलिंग के फलस्वरूप जो आत्महत्याएँ होती है, उन पर सरकार को चिन्तित होना चाहिए। जिस देश में प्रतिवर्ष कई लाख लोग आत्महत्या से मर रहे हों। वहाँ का प्रधानमंत्री और सम्बन्धित मंत्रीगण कैसे चैन से सो रहे हैं, यह एक चिन्ता की बात है। एक व्यक्ति भूख से मर रहा है और एक व्यक्ति भरपेट भोजन के बाद भी थाली में इतना कुछ छोड़ देता है कि उससे एक व्यक्ति का पेट और भर सके तो यह चिन्ता की बात है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। प्रत्येक उद्योगपति से यह प्रमाण पत्र प्रत्येक मास शासन के पास आ जाना चाहिए कि उसने गत मास का सभी वेतन अपने कर्मचारियों को वितरीत कर दिया है। यह प्रमाण पत्र न मिलने की दशा में शासन को उद्योगपति का जवाब–तलब करना चाहिए। यह जानने का अधिकार जनता को है कि किंगफिशर के कर्मचारी को वेतन क्यों नहीं दिया गया और किसकी गलती से नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। उसको दिया जाना तो प्राणदण्ड चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति की गलती से एक मौत हुई है, वह व्यक्ति 302 का ही अपराधी है। किसी को मृत्यु के लिए विवश कर देना भी हत्या ही माना जाना चाहिए। शासन ऐसे मामलों को ठण्डे बस्ते में बन्द न करें बल्कि इस पर जाँच–पड़ताल करके दोषी व्यक्ति को दण्ड दे अन्यथा निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ स्वयं तो मक्खन मलाई खाएँगी और कर्मचारियों तथा शेयर होल्डरों को कुछ नहीं देंगी। पूरा दायित्व सत्तासीन व्यक्तियों का है, जो ऐसी घटनाओं पर भी

आँख मूँद कर बैठे रहते हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आत्महत्या पाप है किन्तु जिसने आत्महत्या के लिए विवश किया है वह सबसे बड़ा पापी है और उसके पाप का दण्ड उसे मिलना ही चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि कहाँ चली गई है, क्या बुद्धिमान व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी में अभाव हो गया है। श्री प्रकाश जायसवाल ने पुरानी पत्नी के सन्दर्भ में एक बयान दे दिया। यह बयान घोटालों तथा एफ॰डी॰आई॰ से जनता का ध्यान हटाने के लिए सिद्ध हुआ और भाजपा ने इस बयान को आधार बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। जनता का ध्यान पूरी तौर से इस मजाक पर निर्भर हो गया और जगह–जगह नाच–गाने होने लगे। श्री प्रकाश जायसवाल के पुरानी पत्नी के वक्तव्य को तूल दी जाने लगी और हद तो जब हो गई जब श्रीप्रकाश जायसवाल का एक पोस्टर आदरणीय राखी सावन्त के साथ छाप दिया गया। क्यों? क्या अधिकार था किसी सम्भ्रान्त महिला के साथ पोस्टर छापने का और वह भी स्वयंवर के परिवेश में। भाजपा ने इस प्रकार एक महिला का अपमान किया। दोष भाजपा का भी उतना ही है, जितना श्रीप्रकाश जायसवाल का लेकिन इसका फायदा काँग्रेस को पहुँचेगा क्योंकि आदरणीय राखी सावन्त ने जो हंगामा किया है, वह भाजपा के विरुद्ध है। भाजपा के कार्यकर्ता को क्षमा याचना करनी पड़ी। शासन–सत्ता अपने मंतव्य में सफल हो गए। जनता को चटखारेदार बातों में ज्यादा दिलचस्पी होती है बनिस्पत सीधी सादी बातों के और श्रीप्रकाश जायसवाल का बयान पोस्टर छपने के बाद और भाजपा के क्रियाकलापों से चटखारेदार हो गया परिणाम स्पष्ट है। जिसके लिए भाजपा और विरोधी दल लड़ रहे थे, उस एफ॰डी॰आई॰ के

विवाद से जनता का ध्यान हट गया और श्रीप्रकाश जायसवाल के बयान पर केन्द्रित हो गया। इसको कहते हैं बुद्धि का दिवालियापन यदि इस बात को ज्यादा तूल न दी जाती तो जनता घोटालों और एफ॰डी॰आई॰ के मुद्दे पर पूर्णतया सचेत थी और सरकार का एफ॰डी॰आई॰ में विरोध कर रही थी। सरकार भी पशोपेश में थी कि कैसे जनता का ध्यान इससे हटाया जाए। सरकार के भाग्य से श्रीप्रकाश जायसवाल ने अनजाने में जो बयान दिया। वह फायदेमन्द सिद्ध हुआ। जनता अब एफ॰डी॰आई॰ तथा घोटालों को भूलकर श्रीप्रकाश जायसवाल के बयान और उससे उत्पन्न परिस्थितियों में उलझ गई है और काँग्रेस को भी भाजपा के विरुद्ध एक मुद्दा मिल गया है। काश भाजपा ने समझदारी से काम लिया होता और इस छोटी सी बात को इतना तूल न दिया होता तो जनता का ध्यान सही जगह पर केन्द्रित था और रहता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब जनता चटखारे ले लेकर श्रीप्रकाश जायसवाल के बयान को नये–नये दृष्टिकोण से देख रही है। क्या लाभ हुआ भाजपा को इस बात को तूल देने से कुछ महिलाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया और श्री प्रकाश जायसवाल की आलोचना की गई और जब पोस्टर छप गया तो समादरणीय राखी सावन्त भाजपा के ऊपर बरस पड़ी। सुश्री सावन्त अपनी जगह पर ठीक हैं। उनका स्वयंवर के समय का माला हाथ में लिए फोटो श्रीप्रकाश जायसवाल के साथ पोस्टर में छापना उचित नहीं है। इस पर आपत्ति होनी ही चाहिए थी। भाजपा कार्यकर्ता ने क्षमा माँग कर अपनी भूल सुधार का प्रयास किया है, किन्तु बात तो उखड़ ही गई। जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा, हर विषय को तूल देना, छोटी–छोटी बातों को उठाना, कभी–कभी अपने ही विरुद्ध पड़

जाता है और इस मामले में यही हुआ। एक मजाक में कही गई बात को गम्भीर रूप देना उसी के विरुद्ध पड़ गया, जिसने उसे गम्भीर रूप देना चाहा था और जिसने मजाक में कहा था वह साफ निकल गया।

एफ॰डी॰आई॰ के मुद्दे पर सुश्री ममता बनर्जी के तेवर सख्त हैं, उनके साथ और भी पार्टियाँ जुड़ गई हैं तथा जनता भी उनके साथ है। रालोद ने प्रदर्शन किया है और रालोद के युवराज द्वारा एफ॰डी॰आई॰ के समर्थन में सभा को सम्बोधित किया गया है। वस्तुतः रालोद के मुखिया जब से केन्द्र सरकार में मंत्री बने हैं, तब से उनका नजरिया बदल गया है, हालाँकि जिस विभाग के वह मंत्री है, उसमें इस अवधि में हड़तालें खूब हुई हैं किन्तु केन्द्र सरकार की विवशता है वह मंत्री जी को नाराज नहीं कर सकती और मंत्री जी की विवशता है कि वह सरकार का विरोध नहीं कर सकते। भले ही एफ॰डी॰आई॰ किसानों के हितों के विपरीत हो, जनता के विरुद्ध हो और कुछ लोगों के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुर्नआगमन की सूचना हो किन्तु रालोद उसका विरोध नहीं कर सकती। वस्तुतः हमारे देश में विरोध की एक नीति है। जब तक विपक्ष में हो तब तक सत्ता पक्ष की प्रत्येक सही और उचित बात का विरोध करो और जब सत्ता पक्ष में सम्मिलित हो जाओ तो प्रत्येक सही गलत बात का समर्थन करो। आवश्यकता अनुसार विरोध की राजनीति रंग बदलती रहती है। विपक्ष केवल विरोध करता है संसद के कार्य में व्यवधान डालता है और किसी भी ठोस कार्यक्रम को अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं करता। आश्चर्यजनक सत्य है कि सपा और बसपा भी एफ॰डी॰आई॰ के समर्थन में नहीं हैं। किन्तु केन्द्र सरकार के समर्थन में हैं। बसपा या सपा अथवा अन्य राजनीतिक दल यह नहीं चाहते कि

सरकार गिरे अथवा संसद भंग हो। इसलिए वह समर्थन भी देते हैं और विरोध भी करते हैं। कहीं देखा है ऐसा राजनीतिक चरित्र। देशहित का प्रश्न नहीं है, जनहित का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है केवल स्वार्थ का जिस बिन्दु पर हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, उसको पूरी तरह से अपनाना हमारा चरित्र हो गया है। संसद भंग करने में राजनीतिक दल इसलिए दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि कोई भी सांसद संसद को भंग करना नहीं चाहता। जो वेतन भत्ते और निधि के रूप में प्रतिवर्ष धन मिलता है, वह समाप्त हो जाएगा और नेता जी हीरों से जीरो हो जाएँगे। यह आवश्यक नहीं है कि मध्यावधि चुनाव में या आगामी चुनाव में नेताजी पुनः सांसद बन सकें। अतः इस बार जो सांसद के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको पूरी तरह से प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति को स्वहित से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। आज भगतसिंह, राणा प्रताप, मंगल पाण्डे, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गाँधी जैसे लोग समाज में नहीं है। कैसे हैं यह आप भी जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवाते हैं। जब तक आप सच्चे देशभक्त को जो जनसेवक के रूप में कार्य करे और वांछित से अधिक पैसा राजकोष से न ले, जिसका चरित्र लाल बहादुर शास्त्री, रफी अहमद किदवई, सरदार पटेल या हाफिज मौहम्मद इब्राहिम जैसा ना हो को संसद में नहीं भेजेंगे तब तक देश की दशा अच्छी तो क्या होगी और भी अधिक गिर सकती है। आवश्यकता है जाग्रति की, नैतिक चरित्र की। ईश्वर कृपा करें या तो स्वयं अवतार लें अथवा कुछ देशभक्त पैदा करें तभी देश का कल्याण हो सकता है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–27

अरविन्द केजरीवाल और प्रशान्त भूषण एडवोकेट के सामूहिक वक्तव्य के अनुसार रॉबर्ट वढेरा ने अकूत सम्पत्ति इकट्ठी की है। पिछले चार साल के दौरान राजधानी दिल्ली और उसके आसपास 31 सम्पत्तियाँ अर्जित की, जिनकी कीमत अरबों रुपये में है। यह भी कहा गया कि पिछले पाँच वर्षो में उनकी जिन कम्पनियों की शेयर पूँजी 50 लाख थी। उन कम्पनियों ने 3 अरब की सम्पत्ति कैसे अर्जित कर ली। यह भी आरोप लगाया गया कि डी0एल0एफ0 की मिलीभगत से राबर्ट वढेरा को 65 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया और वह भी बिना ब्याज के। श्री प्रशान्त भूषण के अनुसार यह सभी आरोप और सम्पत्ति खरीदे जाने के कागजात रजिस्ट्रार दफ्तर में मौजूद हैं अतः इसमें किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है बल्कि कार्यवाही की जानी चाहिए। राबर्ट वढेरा जो कि श्रीमती सोनिया गाँधी के दामाद हैं, के बचाव में पूरी केन्द्र सरकार खड़ी हो गई है। अतः इन दो व्यक्तियों की कौन सुनेगा और कितनी सुनेगा यह भी एक वांछित प्रश्न है। यदि अरविन्द केजरीवाल और प्रशान्त भूषण के आरोप सही हैं तब रॉबर्ट वढेरा पर कार्यवाही होनी ही चाहिए भले ही वह देश के सबसे शक्तिशाली 10 जनपथ के दामाद ही क्यों ना हों और यदि यह आरोप गलत हैं तो अरविन्द केजरीवाल और प्रशान्त भूषण पर भी कार्यवाही की जा सकती है। वैसे श्रीमती सोनिया गाँधी केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हैं और उनकी स्वयं की सम्पत्ति लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। तो यदि राबर्ट वढेरा ने 5 वर्षो में 300

करोड़ की सम्पत्ति अर्जित की है तो इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दामाद के प्रति उगली उठाने से पूर्व इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि एक घर का दामाद पूरे गाँव का दामाद होता है। एक शहर का दामाद पूरे शहर का दामाद होता है। इसी प्रकार दिल्ली का दामाद पूरी दिल्ली का दामाद है और दामादों पर आरोप नहीं लगाये जाते फिर भी यदि कोई आर्थिक अपराध हुआ है तो कार्यवाही अपेक्षित है। श्री रॉबर्ट वढेरा एक उद्यमी है और उद्यम के अन्तर्गत जो भी कमाई वह कर रहे हैं वह सन्देहात्मक दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में गहरी छानबीन की भी आवश्यकता है और यह भी देखा जाना आवश्यक है कि क्या सम्पत्ति वैधानिक रूप से अर्जित की गई है अथवा अवैधानिक प्रक्रिया से, क्या वास्तव में डी0एल0एफ0 ने दबाव में काम किया है। क्या ऐसे अन्य उदाहरण है, जिनमें रॉबर्ट वढेरा की तरह से बिना ब्याज लाखों का ऋण दिया गया हो। यदि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है तो यह माना जा सकता है कि राबर्ट वढेरा को बिना ब्याज ऋण उनके सम्बन्धों के आधार पर दिया गया। यह आपत्तिजनक लगता है। वस्तुतः जाँच तो होनी ही चाहिए, अभिलेखों की भी, क्रियाकलापों की भी और लेनदेन करने वाले व्यक्तियों की भी। बात साधारण सी लगती है किन्तु है गम्भीर करोड़ों की सम्पत्ति यदि कोई लाखों में बेचता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ निहित होता है और जो खरीदता है उसके पीछे उसका प्रभाव विशेष होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से करोड़ों की सम्पत्ति लाखों में नहीं देगा और कोई भी व्यक्ति जिसका प्रभाव नहीं है अथवा जिसके माध्यम से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता, उसको कोई करोड़ों की सम्पत्ति लाखों में देकर अनुग्रहित क्यों करेगा। वर्तमान में ऐसा

लग रहा है जैसे प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर घोटाले और अपराध कर रहा है। क्योंकि जिस देश में आतंकियों को सजा नहीं होती, घोटाला करने वाले आराम से घूमते रहते हैं। उस देश में अब राजदण्ड नाम का कोई भय नहीं रह गया है।

और क्रिकेट के भगवान ने क्रिकेट से संन्यास लेने से मना कर दिया। कोई व्यक्ति जिसे उसके किसी कार्य से बगैर लाभ–हानि के करोड़ों रुपये साल का फायदा हो वह उस कार्य से संन्यास क्यों लेगा। एक दुकानदार/व्यवसायी/मिल मालिक पर लाखों रुपये खर्च करके प्रतिष्ठान स्थापित करता है, जिसमें कर्मचारी भी रखे जाते हैं। व्यापार में लाभ–हानि की भी सम्भावना रहती है। वह यदि हानि हो तो संन्यास लेने की बात सोच सकता है। लेकिन जिसका कोई पैसा–धेला खर्च ना होता हो और खेल–खेल में करोड़ों रुपये कमा लेता हो। वह उस खेल से संन्यास क्यों लेगा। जिस खेल में जुगाड़ की पूरी उम्मीद हो और जुगाड़ लगने पर भले ही देश हारे जुगाड़ु का शतक बन जाता है और सरकार जिस तरह से उस पर पुरुस्कार और सम्मान लुटाती है उसे देखते हुए श्री भगवान का यह निर्णय कि वह क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे, सर्वथा उचित है। देश हारे या जीते श्री भगवान जीरो पर आऊट हों अथवा 7 रन बनाकर पैवेलियन लौट जाए, उन पर क्या फर्क पड़ता है, उनको तो प्रत्येक दशा में करोड़ों का लाभ होना ही है अतः मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि वह संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें यदि मैच फिक्सिंग हो जाए तो शतक पर शतक लगते चले जाते हैं और यदि मुकाबले में कोई टीम सच्ची देशभक्त हो और फिक्सिंग के लालच में ना आए तो शतक नहीं बनता। भारतवर्ष, जिसमें एक वर्ष में कई लाख लोग भूख, गरीबी,

बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं, वहाँ क्रिकेट जैसे खेल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये खर्च करना शोभा नहीं देता। कई बार यह लिखा जा चुका है कि चीन, जापान जर्मनी, रूस, अमेरिका जैसे देश बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान देते हैं। जहाँ भूख से कोई आत्महत्या नहीं करता। जहाँ विकास की योजनाएँ रोज बनती हैं, वहाँ क्रिकेट जैसे खेल को नहीं खेला जाता। क्रिकेट केवल उन्हीं देशों में खेली जाती है, जो कभी अँग्रेजों के आधीन रहे हैं। जहाँ भारत जैसी बेरोजगारी नहीं है। जहाँ प्रति व्यक्ति भारत के मुकाबले औसत आय बहुत काफी है ऐसे देश को जहाँ बेरोजगारी भी है, जहाँ भूख भी है, जहाँ गरीबी है और जहाँ आत्महत्याएँ भी हैं, वहाँ क्रिकेट के खेल पर करोड़ों रुपये खर्च करना एक प्रकार से बर्बादी है और देखा जाए तो जिस दिन क्रिकेट खिलता है, उस दिन समय की भी बर्बादी होती है और धन की भी बर्बादी होती है। लेकिन हमारा देश अद्‌भुत है, यहाँ वह सब कार्य होते हैं, जो स्वार्थ, घोटाला, भ्रष्टाचार, काला धन से परिपूर्ण होते हैं। निःस्वार्थ / देशभक्ति / देशहित / जनहित सभी कुछ किताबों में बन्द हो चुका है। सम्भवतः अभी घड़ा भरा नहीं है। इसलिए श्री भगवान ने यदि घड़ा भरने की प्रतीक्षा में संन्यास लेने से मना कर दिया तो आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है।

बाढ़ आई। शहरों में, गाँवों में पानी भर गया, सैकड़ों लोग बेघर हुए। मकान बह गए, सामान बह गया, फसलें नष्ट हुईं। जानवर, मनुष्य काफी कुछ बह गए, कुछ डूब गए, लेकिन अन्ततः बाढ़ उतर गई और हम भी शान्त होकर बैठ गए। अब बाढ़ नौ महीने बाद फिर आएगी, इस नौ महिने में अगर हम चाहें तो बाढ़ रोकने के उपाय हो सकते हैं लेकिन यदि बाढ़ रोकने का स्थाई उपाय

कर दिया गया तो प्रतिवर्ष बाढ़ राहत कोष का आवंटन कैसे होगा और यदि बाढ़ राहत कोष का आवंटन नहीं होगा तो बेचारों को राहत कैसे मिलेगी। सत्तापक्ष यह कैसे सिद्ध करेगा कि वह जनता का सच्चा हितैषी है। बाढ़ के दौरान राजनीतिक दल अपने वोट पक्के करते हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अन्न, धन, वस्त्र, सामान बाँटकर वह यह सिद्ध कर देते हैं, कि वह जनता के सच्चे हितैषी हैं और अगर जनता यह सुविधाएँ चाहती है तो उसे उन्हें ही वोट देना चाहिए। सत्ता जनता पर निर्भर है और इसी को पक्का करने के लिए और इसका उलट करने के लिए हर सम्भव प्रयास राजनीतिक दल करते हैं ताकि जनता सत्ता पर निर्भर हो जाए। स्थायी रूप से नदियाँ गहरी की जा सकती हैं। तट बन्ध मजबूत किये जा सकते हैं। नहरें बनाई जा सकती हैं तथा नालियों को ठीक किया जा सकता है। किन्तु यह सब कार्य स्थाई होंगे और बाढ़ आनी बन्द हो जाएगी तब राजनीतिक दल क्या करेंगे, किससे से सहानुभूति प्रकट करेंगे और कहाँ पर वोट पक्के करने के लिए अन्न और धन बाँटेंगे। यदि नालियाँ ठीक कर दी जाएँ और हर शहर के बाहर तालाब खोदकर उनसे जोड़ दिया जाए तो शहरों में पानी भरना बन्द हो जाएगा। यदि नदियाँ गहरी कर दी जाए और नहरे बना दी जाएँ तो नदियों में उफान नहीं आएगा और बाढ़ नियंत्रित हो जाएगी लेकिन फिर वही प्रश्न है कि बाढ़ राहत कोष का क्या होगा। उनका घर कैसे भरेगा, जो इस पर ही निर्भर करते हैं और पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। राजस्थान में नई–नई नहरें बनाकर। बुन्देलखण्ड में नये–नये कुएँ खोदकर और तालाब बनाकर समस्याओं का स्थायी रूप से निदान किया जा सकता है। लेकिन यदि समस्या का स्थाई समाधान हो गया तो सत्तापक्ष

क्या करेगा। राजनीतिक दल क्या करेंगे। अतः राजनीतिक रोटियाँ सिकती रहें। वोट बैंक पक्के होते रहें। देश की बजाय कुछ विशेष के घर भरते रहें। इसलिए आवश्यक है कि बाढ़ हर साल आनी चाहिए और समस्याएँ पूरे वर्ष जनता को निगलने के लिए उन्हें आत्महत्या के लिए विवश करने को जीवित रहनी चाहिए। तभी राजनीतिक दल और उनके नेतागण जीवित रह सकते हैं। बड़ी मछली को शिकार तभी मिलता है जब छोटी मछली जान बचाने को इधर–उधर भागती है। अतः जनता रूपी छोटी मछली को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देना परिपक्व राजनीति है, जो हमारे देश में विद्यमान है।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–28

हरियाणा में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए एक सज्जन ने कहा कि बलात्कार में कभी–कभी दोनों की सहमति होती है। भाजपा के अध्यक्ष गडकरी जी ने कहा कि अधिकांश बलात्कार गरीबी की वजह से होते हैं। खाप ने निर्णय दिया कि यदि शादी कम उम्र में कर दी जाए तो बलात्कार की घटनाओं पर रोक लग सकती है। एक मंत्री जी ने भी इस बात से सहमति दिखाई। खाप ने तो 16 से साल से भी कम उम्र में विवाह करने का फैसला लिया था। जो बाद में 18 वर्ष तक कर दिया गया। वस्तुतः बलात्कार की घटनाएँ चिन्ता का कारण है। महिलाएँ घर हो या बाहर सुरक्षित नहीं हैं। अकेली महिला को देखकर बलात्कारी घर में घुस आते हैं। गाँव में शौच के लिए जाने वाली या जंगल में पशुओं का चारा काटने के लिए जाने वाली महिलाओं को अकेले में पकड़ लिया जाता है। बलात्कार में दोनों की सहमति तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि फिर वह बलात्कार नहीं होगा। वह सहमति से किया गया व्यभिचार हो सकता है। कम उम्र में शादी करना भी इसका हल नहीं है क्योंकि जब बलात्कारी छोटी–छोटी पांच–छह–छह साल की बच्चियों को पकड़ लेते हैं। तो कितनी छोटी लड़कियों की शादी की जाएगी। वस्तुतः हमारा समाज और हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ ही इसके लिए दोषी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में महिलाएँ जिस प्रकार के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमती नजर आती है, उससे बलात्कारियों को उकसावा मिलता है। तंग जीन्स पहनकर और तंग ही ऊपर का टॉप पहनकर जब महिला सड़क पर निकलती

है तो उसको देखकर बलात्कारियों में स्वाभाविक काम–वासना जाग्रत हो जाती है। इधर टी॰वी॰ और सिनेमा में नग्नता बढ़ गई है। पिक्चर की माँग कहकर बलात्कार के दृश्य दिखाए जाते हैं। छह इंच का नेकर पहनकर और ऊपर कुछ न ओढ़कर केवल टाप पहनकर महिलाओं को नृत्य करते दिखाया जाता है और शारीरिक संचालन ठुमकों में इस प्रकार के लगाये जाते हैं, जिससे अश्लीलता प्रकट होती है। यही बलात्कार का मुख्य कारण है। मैं पुरुष हूँ इसलिए ऐसा नहीं कह रहा किन्तु नग्नता देखकर कोई भी व्यक्ति काम–वासना से पीड़ित हो सकता है और उसे शान्त करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो सकता है। पुरातन काल में महिलाएँ अपने शरीर को ढककर रखती थी। शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर को झाँकता नजर नहीं आता था। अभी हाल की ही बात है फिल्मों में भी महिलाएँ सारी आस्तीन का ब्लाउज और सिर पर दुपट्टा अथवा शाल ओढ़कर अभिनय करती थीं, जिससे शालीनता प्रकट होती थी। जहाँ शालीनता होगी वहाँ काम–वासना नहीं हो सकती, जहाँ नग्नता होगी। वहाँ से काम–वासना दूर नहीं रह सकती। मिठाई को देखकर किसी भी व्यक्ति के मुँह में पानी आ जाना स्वाभाविक है। यदि महिलाएँ अपनी नग्नता छिपाकर रहने लगे, जिस प्रकार के कपड़े वांछनीय हैं। वह पहनकर चलें तो बलात्कार की घटनाओं में काफी कमी आ जाएगी। महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को नौकरी के लिए घर से बाहर निकाला जा रहा है जबकि नवयुवक बेकार घूम रहे हैं। बेकार व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सी बातें आती हैं, जिसमें बलात्कार की भावना भी सम्मिलित हैं। यदि महिला आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और नवयुवकों की बेरोजगारी दूर कर दी जाए तो बलात्कार की घटनाएँ कम हो

जाएगी। क्योंकि बारोजगार व्यक्ति कोई भी घृणित काम करने से बचता है और महिला आरक्षण ना होने से महिलाएँ घर में रहेंगी तथा जंगल में होने वाली घटनाएँ और काम से देर रात को घर लौटते समय होने वाली घटनाओं पर अकुंश लग सकता है। पुलिस में महिलाओं की भर्ती किसी अच्छी सोच का परिणाम नहीं हैं। क्योंकि अब महिला कांस्टेबिल ही नहीं बल्कि महिला इन्सपैक्टर पर भी हमले होने लगे हैं। महिलाएँ चोर को पकड़ने की बजाय यदि चोर पकड़ ले तो छूटने में असफल रहती हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। महिलाओं को लक्ष्मण रेखा लाँघने से रोकना होगा और पुरुषों को रोजगार देने होंगे तथा सिनेमा व टी॰वी॰ पर नग्नता को प्रतिबन्धित करना पड़ेगा। बलात्कार स्वतः रुक जाएँगे।

हमारे देश में पहले नैतिकता इतनी ऊँची थी कि सख्त कानून की आवश्यकता नहीं थी। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु च लोष्ठवत् का सिद्धान्त प्रतिपादित था। एक दूसरे के दुश्मन भी माँ–बहन का सम्मान करते थे। धीरे–धीरे नैतिकता समाप्त होती गई और भौतिकता बढ़ती गई। नवीन नग्न संस्कृति प्रचलित होती गई और नग्नता के कारण दुष्कर्म बढ़ते गए। आज भी धरती के कुछ देशों में सख्त कानून हैं। बलात्कारी को संगसार करके मार दिया जाता है। चोरों के हाथ काट लिए जाते हैं। बुरी नजर से देखने वाले की आँखें फोड़ दी जाती हैं। दुष्कर्मी के अंग भंग कर दिए जाते हैं। यदि वही कानून हमारे देश में भी लागू हो जाए तो बहुत से अपराध स्वतः नष्ट हो जाएँगे। यदि चोरों के हाथ काटने शुरू कर दिए जाए तो चोरी होनी बन्द हो जाएँगी। इसी प्रकार यदि बलात्कारी पुरुष अथवा व्यभिचारिणी स्त्री को संगसार करके मृत्यु के घाट उतार दिया जाए तो बलात्कार और व्यभिचार का

निशान मिट जाएगा। एक भी दुष्कर्मी को यदि पुरुष से किन्नर बना दिया गया तो पुरुष दुष्कर्म करने की चेष्टा से बाज आ जाएँगे। किन्तु हमारे देश की राजनीति जो केवल मात्र वोट पर टिकी हुई है, जिसमें नैतिकता नहीं है, छल, कपट और षडयंत्र तथा घोटाले रक्त के रूप में बह रहे हैं। वह सख्त कानून बनाने से डरती है और यही कारण है कि अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। मुकदमों का ढेर लगता चला जा रहा है और हम असहाय और मूक बने हुए हैं। देश पर आतंकिया हमले इसीलिए बन्द नहीं हो रहे क्योंकि हम आतंकवादी की मेहमाननवाजी करते हैं। उसको फाँसी नहीं देते। यदि कोई एनकाउन्टर होता है तो मानवाधिकार चीखने लगता है। यदि किसी भयंकर बदमाश का एनकाउन्टर कर दिया जाए तो देखना यह चाहिए कि जिसका एनकाउन्टर हुआ है वह कितना बदमाश था। शरीफ आदमी के एनकाउन्टर पर तो प्रश्न लगाना चाहिए किन्तु बदमाश का एनकाउन्टर होना या बदमाश का मार दिया जाना शाबाशी का विषय होना चाहिए। देश में अपहरण बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अपहरणकर्ता को येन–केन प्रकारेण बचने का रास्ता मिल जाता है। यदि अपहरणकर्ता को कठोर दण्ड दिया जाए तो अपहरण रूक सकते हैं। देश में घोटाले बढ़ रहे हैं और घोटालाबाज पुनः उसी स्थान पर स्थापित होने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं। जबकि उनको जेल के पीछे होना चाहिए था और देशद्रोह की सजा मिलनी चाहिए थी। अब वह जमानत प्राप्त करके आसानी से अपने मामलों में लीपापोती कर लेते हैं। नक्सलवादी रोज अपहरण करते हैं, हत्याएँ कर देते हैं और हमारा देश जिसमें सीमा सुरक्षा बल है, केन्द्रीय पुलिस बल है, नागरिक पुलिस है, एक लम्बी चौड़ी फौज है। वह नक्सलवाद को समाप्त करने में असहाय सिद्ध हो रही हैं। सख्त कानून न होने का, वोट की राजनीति

होने का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। प्राणदण्ड की सजा पहले दी जाती थी तो बड़े से बड़ा बदमाश भी डरता था। अब प्राणदण्ड के विरुद्ध वक्तव्य दिए जाते हैं। बदमाशों का डकैतों का, दुष्कर्मियों का, बलात्कारियों का हौसला बढ़ता है। आतंकवादियों को जन्नत का लालच दिया जाता है और वह आसानी से कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर अपनी जान खतरे में डालकर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यदि आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में निबटा जाए तो यह सभी वाद खत्म हो सकते हैं।

हमारे देश में अन्ध श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में है, कुछ लोग स्वार्थ के कारण और कुछ लोग भक्ति के कारण अन्ध श्रद्धा में विश्वास रखते हैं। अन्ध श्रद्धा का एक रूप पैर छूने की प्रथा है। कुछ व्यक्तियों को पैर छूने की बीमारी होती है और कुछ व्यक्तियों को पैर छुआने की बीमारी होती है। वर्तमान में हमारे राजनेता अपने से कहीं बड़ी उम्र के व्यक्तियों से पैर छुआकर प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईश्वर की कृपा से ही राजनेता बड़ा बनता है मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और वहाँ बैठकर वह अपने आपको स्वयंभू, अहम्ब्रह्मास्मि समझने लगता है और अपने अनुयायियों से, अपनी पार्टी के सदस्यों से, अपने मंत्रीगणों से पैर छुआने लगता है। इसी प्रकार साधु–महन्त भी केवल मात्र भगवा कपड़े पहनकर स्वयं को ईश्वर का अवतार मानकर अपने भक्तों से पैर छुआने लगते हैं, भले ही भक्त अधिक बुद्धिमान हो, अधिक आयु का हो उन पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। अब तो महिलाएँ भी आश्रमों में जाकर, घर को छोड़कर रहने लगी हैं और तथाकथित गुरुओं के चरण चापने लगीं हैं। इससे श्री नष्ट हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है अपने

से नीचे व्यक्ति के चरण छूने से छूने वाले और छुआने वाले दोनों ही व्यक्तियों की श्री नष्ट होती है। कुपात्र के पैर छूने से व्यक्ति श्रीविहीन हो जाता है। पैर छूने की बीमारी और चाटुकारिता की सीमा इतनी बढ़ गई है कि लोग फिल्मी सितारों के भी पैर छूने लगे हैं। क्रिकेटरों के पैर छूने लगे हैं, क्रिकेटरों को भगवान कहने लगे हैं। मन्दिर के पुजारी जब तक की उसकी समस्त गतिविधियाँ पारदर्शी न हों और जब तक उसका सात्विक और निर्मल चरित्र का होना सिद्ध न हो जाए तब तक उसके पैर नहीं छूने चाहिए और महिलाओं को तो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के भी पैर छूना शास्त्रानुसार वर्जित है। किन्तु वर्तमान में जितने भी आश्रम हैं, उनमें अधिकांश नारियाँ कारसेवा करती हुई मिलेंगी, मठाधीशों के पैर छूती हुई मिलेगी और उनकी सेवा करके महान पुण्य लाभ प्राप्त करने की कामना करती हुई मिलेंगी। पैर छूने की प्रथा अच्छी है किन्तु पैर सुपात्र के ही छूने चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए अपने माता–पिता, अपने गुरु अथवा अपने से अधिक बुद्धिमान और सच्चे भगवान के भक्त के पैर छूना ही वांछनीय है। स्वार्थ में अन्धे होकर या दिखावे के लिए फिल्मी सितारों के पैर छूना, क्रिकेटरों के पैर छूना, अपने से छोटी उम्र के राजनीतिज्ञों के पैर छूना अथवा छली पुजारियों के पैर छूना व्यक्ति को श्रीहीन बनाता है और जो नारी तथाकथित गुरुओं के चरण छूती है वह पतिव्रता की श्रेणी से बाहर हो जाती है। अतः हमें किसी भी दृष्टि से पैर छूते समय सावधान रहना चाहिए और केवल सुपात्र के ही पैर छूने चाहिए। पैर छूने की प्रथा दुधारी तलवार की तरह है यदि कुपात्र के छुएँगे तो श्रीहीन हो जाएँगे और सुपात्र के छुएँगे तो श्री प्राप्त होगी।

❑❑

जय हो हिन्दुस्तान की–29

काँग्रेस सदैव से ही अल्पसंख्यकों की शुभचिन्तक रही हैं और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बताती रही है। काँग्रेस और अल्पसंख्यकों की नीतियाँ स्वभावगत मिलती हैं। जिस प्रकार देश में अल्पसंख्यकों की एकता स्पष्ट है उसी प्रकार की एकता काँग्रेस के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों में परिलक्षित हुई है। केजरीवाल ने जब श्री राबर्ट वढेरा पर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के सन्दर्भ में आरोप लगाए तो काँग्रेस के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक राबर्ट वढेरा के बचाव में खड़े हो गए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अलग–अलग वक्तव्य दिए। राबर्ट वढेरा को सफाई देने का अवसर ही नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ कहने का अवसर दिया गया। प्रत्येक ने बगैर जाँच पड़ताल किए आरोपों को झूठा बताया और केजरीवाल को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बताया। यह काँग्रेस की एकता के साथ–साथ काँग्रेस की हाई कमान के प्रति अपनी श्रद्धा को भी प्रकट करता है। गलत हो या सही हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपनी हाईकमान और उनसे सम्बन्धित बातों में हाईकमान का ही समर्थन करना है। आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। यही स्थिति सलमान खुर्शीद के सन्दर्भ में उनकी पत्नी द्वारा चलाए जा रहे गैरराजनीतिक संगठन के सन्दर्भ में देखने को मिली। सलमान खुर्शीद तो अभी बाहर है, उनकी पत्नी भी बहुत बाद में बोलीं किन्तु उससे पहले ही काँग्रेसी नेताओं की तरफ से वक्तव्य आने आरम्भ हो गए और सत्यता की जाँच किये बगैर केजरीवाल को झूठा और अपने नेता को और उनकी पत्नी को सही ठहराने का प्रयास किया जाने

लगा। यह एकजुटता प्रशंसनीय है। भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए। भाजपा के पिछड़ने का एकमात्र कारण उसमें एकजुटता ना होना है और चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का मैदान में एकत्रित हो जाना है। जहाँ प्रत्येक काँग्रेसी अपनी निष्ठा हाईकमान में व्यक्त करता है, वहाँ भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति अपने निष्ठावान होने की तस्वीर स्वयं उजागर करना चाहता है। काँग्रेस को उसकी यही एकजुटता प्रशंसनीय स्थिति में रखती है। मैं गलत और सही बात के पचड़े में नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं कि केजरीवाल जो कह रहे हैं, वह सत्य है या जो काँग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी द्वारा चलाई जा रही गैरराजनीतिक संस्था के बारे में कह रहे हैं अथवा राबर्ट वढेरा के बारे में आरोप और जवाब चल रहे हैं उसमें क्या सही है, क्या गलत है। किन्तु मैं काँग्रेस की इस एकता का अभिवादन करता हूँ, जो दोनों अवसरों पर प्रकट हुई है। हाईकमान का समर्थन करना तो प्रत्येक नेता का कर्त्तव्य है किन्तु अन्य बिन्दुओं पर भी एकसाथ खड़ा हो जाना प्रशंसनीय है।

इसी प्रसंग में केजरीवाल को शाबासी देना भी चाहूँगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत अभियान में जिस प्रकार से वह अकेले लड़ रहे हैं, वह महात्मा गाँधी की याद दिलाता है। महात्मा गाँधी ने भी आजादी की लड़ाई अकेले शुरू की थी और बाद में जनता उनके साथ जुड़ती चली गई थी। यही स्थिति केजरीवाल की भी है। रोज नई–नई बातों का पता लगा रहे हैं। धरना दे रहे हैं। गिरफ्तारियाँ सह रहे हैं किन्तु अभी तक विचलित नहीं हुए है, जनता उनके साथ जुड़ रही है और मैं समझता हूँ एक दिन वही भीड़, जो महात्मा गाँधी के पीछे चली थी, केजरीवाल के पीछे भी चलने लगेगी। श्री अन्ना हजारे ने अपना रास्ता केजरीवाल से

अलग कर लिया और एक प्रकार से वह खामोश होकर बैठ गए। सम्भवतः उन्हें अभियान की सफलता पर विश्वास नहीं रहा था। आरम्भ अच्छा था किन्तु उनका केजरीवाल से अपनी राहों को जुदा कर लेना अच्छा नहीं लगा। सम्भवतः उन्हें फिल्म का यह गाना याद आ गया....

वो अफसाना जिसे अन्जाम तक लाना ना हो मुमकिन।
उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।

इस सन्दर्भ में उर्दू का एक शेर भी है, जिसकी पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही लेकिन आखिरी लाइन मिलती–जुलती है... कोई अफसाना बनाकर बदगुमां हो जाईये। सम्भवतः यही हुआ श्री अन्ना हजारे को अपने अभियान पर विश्वास नहीं रहा किन्तु धन्य है केजरीवाल जो अभी तक डटे हुए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह केजरीवाल को शक्ति प्रदान करे, जनता में जाग्रति उत्पन्न करे ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत अभियान सफल हो सके। राबर्ट बढेरा के सम्बन्ध में जो भी तथ्य केजरीवाल ने सामने रखे हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। जाँच से बचना स्वयं को निर्दोष साबित करना नहीं है बल्कि दोषयुक्त होने का सबूत है। आखिर काँग्रेस जाँच से क्यों डर रही है, यदि आरोप झूठे हैं तो केजरीवाल के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है और यदि सच्चे हैं तो राबर्ट वढेरा के विरुद्ध भी फतवा दिया जाना चाहिए। यही स्थिति सलमान खुर्शीद के सन्दर्भ में है। जब समस्त तथ्य सामने आ गए हैं तब जाँच न कराना और जाँच से बचना दोषमुक्त होने का आधार नहीं है, बल्कि यह दोषी होना सिद्ध करता है। काँग्रेस अगर यह समझती है कि वह जाँच को टाल कर और एक स्वर से केजरीवाल के आरोपों के विरुद्ध

बोलकर स्वयं को साफ सुथरा सिद्ध कर सकती है तो यह उसकी गलती है। काँग्रेस को अपना दामन बचाने के लिए अपने आपको बेदाग साबित करने के लिए जाँच करानी चाहिए और यह सिद्ध करना चाहिए कि आरोप झूठे थे अन्यथा मूकं स्वीकृति मान्यतः के सिद्धान्त के अनुसार जनता केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को सही मान लेगी और आने वाले चुनाव में काँग्रेस असफल हो सकती है।

घोटाले दर घोटाले। एक घोटाला ठण्डा नहीं पड़ता कि दूसरा सामने आ जाता है जैसे देश की सड़कों में गडढे हैं और कार चलाने वाले यह कहते हैं कि एक गडढे को बचाओ तो 10 गडढे सामने आते हैं उसी प्रकार राजनीति की सड़क में भी हर जगह पर गडढे हो गए हैं। अभी टू–जी स्पैक्ट्रम, राष्ट्रमण्डलीय खेल, हाऊसिंग सोसायटी सम्बन्धित घोटाला, कोयला खदान घोटाला, अपने स्थान पर फन फैलाए खड़े हैं किन्तु एक और नया घोटाला इस्पात घोटाला सामने आ गया है। क्या काँग्रेस यह बताने की स्थिति में है कि उसका कौन सा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को छोड़कर घोटाले में लिप्त नहीं है। जितने घोटाले काँग्रेस के समय में हुए हैं या हो रहे हैं इससे पहले नहीं हुए हैं। जड़ें गहरी होने का फायदा केवल काँग्रेस उठा रही है। आखिर करोड़ों के यह घोटाले कितने लोगों के सहयोग से होते हैं और घोटाले की राशि कितने लोगों में बँटती है। यह भी देखने का विषय है। घोटालों में अन्तिम निर्णय क्यों नहीं होता। क्यों मामले लम्बे खिचते हैं, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है घोटालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जिनका सामने आना उचित नहीं है या जिनके सामने आने से हंगामा हो सकता है। इसलिए घोटालों को लम्बा खीचा जाता है और

घोटाले में सजा पाए लोगों की पैरवी में सरकार की ओर से ढील दे दी जाती है और ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है। ए॰ राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी, जो स्पष्ट रूप से घोटालों में सम्मिलित रहे हैं, सब जमानत पर बाहर है तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं साक्ष्यों को और गवाहों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकते हैं किन्तु आजाद घूम रहे हैं। बल्कि कलमाड़ी साहब तो पुनः वही स्थिति बहाल कराने के लिए प्रयत्नशील है और हो भी जाएगी। राबर्ट वढेरा पर लगाए गए आरोप भी शनैः शनैः विलीन हो जाएँगे। इस्पात घोटाला भी किसी भट्टी में गलकर कोई और शक्ल इख्तियार कर लेगा। किन्तु घोटाले जारी रहेंगे क्योंकि हमारा राष्ट्रीय चरित्र नष्ट हो चुका है क्योंकि देशभक्ति सम्भवतः लाल बहादुर शास्त्री के साथ आत्महत्या कर चुकी है। मनुष्य यह जानता है कि धन, धाम, सम्पत्ति कुछ भी उसके साथ नहीं जाता और एक सीमा से अधिक वह खा नहीं सकता तथा एक सीमा से अधिक विलासिता नहीं कर सकता, सुविधाएँ नहीं उठा सकता फिर भी घोटाला करके, छल करके, कपट करके, चोरी करके धन एकत्रित करने के प्रयास में लगा रहता है। देश के सबसे धनी व्यक्ति के पास 48 कमरों का मकान है। लगभग 60 नौकर हैं लेकिन घर के प्राणी 5 हैं। क्या लाभ है, क्या उपभोग है, इस सम्पत्ति का। जहाँ आप मक्खन नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते, मेवा नहीं खा सकते। वहाँ अकूत धन एकत्रित करना और मरने के बाद बेईमान कहलाकर छोड़ जाना कहाँ तक उचित है। लेकिन घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। हर व्यक्ति धन एकत्रित करने की दौड़ में लगा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास एक लाख करोड़ की सम्पत्ति है, वह भी घोटालों में लिप्त है और जिस पर सौ

करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए है, वह भी घोटालों में लिप्त है, आखिर घोटालों का घड़ा कब भरेगा और कब भगवान राम का अवतार होगा और कब भूमि घोटाला विहीन होगी प्रतीक्षा है।

□□

जय हो हिन्दुस्तान की–30

हिन्दुस्तान वास्तव में महान है और उससे भी अधिक महान हैं, वह लोग जिनके हाथों में हिन्दुस्तान बन्धुआ है, जो राजनीति के ठेकेदार बने हुए हैं। दोहरा चरित्र, दोहरे कार्य, मुखौटे पर मुखौटा हिन्दुस्तान की परिभाषा बन गई है, देशभक्ति का तमगा लगाएँ घोटाला करने वाले लोग परम पूज्य और परम आदरणीय हो गए हैं। भारतवर्ष की दोहरी नीति कई सन्दर्भो में उल्लेख की जा सकती है। नशामुक्ति को ही ले लीजिए। नशामुक्ति केन्द्र खोले जा रहे हैं ताकि व्यक्ति नशामुक्त रह सकें। नशे का त्याग कर दें, जो गैरराजनीतिक संगठन नशामुक्ति केन्द्र चला रहे हैं, उनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक सिगरेट की डिब्बी पर, तम्बाकू के गुटखे पर लिखा होता है, कि यह विषैला है, इससे कैंसर हो सकता है। शराब की बोतल पर भी लिखा हुआ होता है कि इसका अधिक प्रयोग जीवन के लिए खतरा हो सकता है। देसी भट्टियों पर खींची गई शराब से अक्सर त्यौहारों पर लोग मर जाते हैं। नशामुक्ति केन्द्रों में नशाग्रस्त व्यक्ति को नशे से मुक्ति दिलाने हेतु हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है और बहुत से लोग नशे से मुक्त भी हो जाते हैं। यह तस्वीर का एक रूख है, जो यह प्रकट करता है कि सरकार नशा विरोधी है और नहीं चाहती कि जनसाधारण नशा करके अपने जीवन को खतरे में डालें किन्तु सिक्के के दूसरी ओर देखने पर पता चलता है कि शराब के निर्माण को आसवनिया स्थापित की जा रही हैं, उनको करों में छूट दी जा रही है। सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री हो रही है। शराब

की दुकानों के ठेके की निलामी हो रही है। सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है और लगभग 10 में से प्रत्येक 7 व्यक्ति सिगरेट अथवा पान व गुटखे का प्रयोग करते हैं। गुटखा खाने से मुँह का कैंसर होता है, आवाज में फर्क पड़ जाता है, गाल गल जाते हैं, जीभ टेड़ी हो जाती है, लेकिन गुटखों की बिक्री बदस्तूर जारी है। सरकार को शराब तम्बाकू सिगरेट इन सबसे राजस्व की प्राप्ति होती है। जिससे वर्तमान स्थिति को देखें तो घोटालेबाजों का पेट भरता है। देश के काम में केवल 10 प्रतिशत राजस्व ही आता है। शेष सब स्व॰ राजीव गाँधी के अनुसार बिचौलिये खा जाते हैं। सरकार की एक नीति है कि एक ओर तो शराब की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जाए, अफीम और शराब की दुकानों के ठेके दिए जाएँ, सिगरेट और तम्बाकू से राजस्व प्राप्ति की जाए अतः इनको प्रतिबन्धित न किया जाए और दूसरी ओर नशामुक्ति केन्द्र भी खोले जाए, शराब, सिगरेट और तम्बाकू के हर पैकेट पर लिखा जाए कि इसके सेवन से कैंसर हो सकता है अथवा जान का खतरा हो सकता है। स्पष्ट रूप से दोहरी नीति का परिचायक है। जहरीली शराब से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग मरते हैं। त्यौहारों पर धड़ल्ले से शराब बेची जाती है, किन्तु सरकार भारी–भरकम आबकारी महकमा, पुलिस और प्रशासन के होते हुए उसको बन्द नहीं करा सकी है। पहले व्यक्ति को नशा करने के लिए साधन उपलब्ध कराना और फिर उसे नशामुक्ति का रास्ता दिखाना। यह राजनीति का कौन सा चरित्र है, अभी तक समझ में नहीं आया।

यही स्थिति पर्यावरण के सन्दर्भ में है। पर्यावरण दूषित हो रहा है ऋतुओं में परिवर्तन हो गया है वातावरण विषाक्त हो गया है ओजोन पर्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है किन्तु उन फैक्ट्रियों की

चिमनियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सका है, जिनके धुएँ से ओजोन पर्त नष्ट हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। धरती पर रहना पूर्णतया असुरक्षित हो चुका है, पूरे हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत सड़कें गड्ढा बन चुकी हैं, नालियों में पानी सड़ता रहता है, उसके निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है। जल पीने के लिए नहीं है, गंगा प्रदूषित हो चुकी है किन्तु हम धरती को ऐसा ही छोड़कर मंगल ग्रह की खोज में अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, जिस पैसे से देश की स्थिति सुधर सकती थी वह पैसा मंगल ग्रह की खोज पर खर्च किया जा रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं और रोज वनों का नीलाम हो रहा है। जबकि हम जानते हैं वन कटने से, पेड़ नष्ट करने से वातावरण में गम्भीर परिवर्तन आ सकता है, ऋतुओं का चक्र प्रभावित हो सकता है, वर्षा ऋतु सूखी जा सकती है किन्तु वन कट रहे हैं। सरकार की चिन्ता है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे किन्तु साथ ही वनों के नीलाम की भी चिन्ता है। अपने देश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने की चिन्ता है और साथ ही मंगल ग्रह पर सड़कें बनाने की भी चिन्ता है। हम कितनी दोहरी जिन्दगी जी रहे हैं और यह सब राजनेताओं के कारण है विदेशों में अपनी पहचान बनाने के लिए अन्य ग्रहों की खोज पर धन व्यय किया जाता है, जिसका जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होता, सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा होने का संकेत संविधान में दिया गया है किन्तु क्या वास्तव में सरकार जनता की है, यह जनता के लिए है अथवा जनता द्वारा है। सरकार पूर्णतः कुछ लोगों के कब्जे में है, देश पूर्णतः कुछ लोगों की सम्पत्ति बन चुका है, जो मनमानी कर रहे हैं और मनमानी के दुष्परिणाम पर आँसू भी बहा रहे हैं। हमें पर्यावरण स्वच्छ रखना है तो नालियों का निर्माण और गन्दे पानी की

निकासी के लिए शहरों के बाहर तालाब बनाने पड़ेंगे जबकि वर्तमान में तालाब बन्द करके उनके ऊपर कालोनियाँ बनाई जा रही हैं। किसी भी शहर को ले लीजिए, पहले हर शहर के अन्दर या उससे सटा हुआ एक बड़ा तालाब होता था, जिसमें शहर भर का गन्दा पानी भी जाता था और वर्षा का पानी भी एकत्रित होता था। अब तालाब बन्द कर दिए गए हैं। नालियों के निर्माण को नगरपालिकाओं को करोड़ों रुपये आवंटित होते हैं किन्तु उनका सदुपयोग दिखाई नहीं देता। हम चिन्ता करते हैं और स्वयं ही चिन्ता को बढ़ाते भी हैं यही हमारी दोगली नीति देश को खा रही है। यदि हम पर्यावरण के लिए चिन्तित हैं, तो वृक्षों का कटान रोक दिया जाना चाहिए। आकाश को भेदने वाले प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। मंगल ग्रह की चिन्ता छोड़कर धरती की चिन्ता करनी चाहिए, तालाब बन्द करने की बजाए नए तालाब खोलने चाहिए। नालियों की निकासी सुचारू होनी चाहिए साथ ही कूड़े का भी समुचित प्रयोग हो सके ऐसा उपाय किया जाना चाहिए। पर्यावरण भी शुद्ध रहे और वृक्ष भी कटते रहे, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआँ भी उगलती रहे, फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल नदियों में डाला जाता रहे, गंगा को गहरी करने के बजाए प्रत्येक वर्ष बाढ़ पर आँसू बहते रहने चाहिए, यह सब दोगली नीतियाँ हैं, सरकार को अपनी नीतियों को एक दिशा देनी चाहिए।

दोहरी नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण घोटालों के सम्बन्ध में चल रहा है। गडकरी पर घोटाला करने का आरोप लगता है तो सरकार जाँच के लिए तुरन्त तैयार हो जाती है सलमान खुर्शीद पर आरोप लगता है अथवा राबर्ट वढेरा पर आरोप लगता है तो जाँच की आवश्यकता नहीं समझी जाती अर्थात् जितने भी

काँग्रेसी मंत्री हैं अथवा सोनिया जी के भक्त या सम्बन्धी हैं, वह सभी जाँच से मुक्त हैं और शेष सभी पर जाँच का प्राविधान लागू होता है। स्पष्ट रूप से यह दोहरी नीति है, जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका दायित्व है कि वह जाँच का सामना करे और स्वयं को आरोपों से मुक्त करने का प्रयास करें। जिन मंत्रियों से यह डर है कि वह सरकार गिरा सकते हैं, उनके विरुद्ध सरकार कोई जाँच नहीं बैठाती। शरद पवार, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बैनर्जी पर सरकार हाथ डालने से डरती है जबकि अन्य मंत्रियों और नेताओं पर घोटालों के सन्दर्भ में जाँच कराने को तुरन्त तैयार हो जाती है। सोनिया जी के भक्त नेता केवल यह कहकर कि आरोप बेबुनियाद हैं ऐसे आरोपों का जवाब देना आवश्यक नहीं है, आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। जबकि गडकरी जैसे अन्य नेताओं के विरुद्ध जाँच के लिए पूरी तैयारी कर ली जाती है। यह दोहरी नीति क्यों। क्या देश काँग्रेस हाईकमान के हाथ में गिरवी हैं। क्या वर्तमान केन्द्र सरकार आरोपों की जाँच से मुक्त मान ली गई है। दोहरी नीति देशहित में नहीं है। प्रत्येक मंत्री और नेता के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रथम दृष्टवा यदि आरोप सही लगता है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रि परिषद से बाहर कर दिया जाना चाहिए और नियमानुसार जाँच बैठानी चाहिए। यह उचित नहीं है कि कुछ लोगों के खिलाफ तो जाँच के सभी शस्त्र–अस्त्र प्रयोग किये जाएँ और कुछ लोगों को जाँच न कराने की छूट प्रदान कर दी जाए। सरकार को अपनी दोहरी नीतियों पर विचार करना चाहिए वर्ना जब जनता बगावत पर उतरती है तो गद्दाफी जैसे शासक भी अस्तित्वहीन हो जाते हैं।

जय हो हिन्दुस्तान की

उषा शर्मा

व्यस्तता के क्षणों में से कितने पल, कितने घण्टे, कितने दिन इन्होंने लगाए होंगे इन लेखों के लिखने में जो इस पुस्तक में संकलित किये गए हैं। इसकी भूमिका सर्व आदरणीय श्री चरण सिंह 'सुमन', धामपुर द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने लेखों को संग्रहणीय, पठनीय तथा सराहनीय बताया है। समसामयिक विषयों पर लिखे गए ये लेख बहुत कुछ सोचने को विवश करते हैं। अब यह तो पाठक ही बताएँगे कि जो लिखा गया है वह सटीक है अथवा अतिश्योक्ति हैं मैंने अक्सर देखा है जब कोई अवांछनीय घटना होती है तब इनके मन पर अधिक प्रभाव होता है और उसी प्रभाव के वशीभूत यह वह सबकुछ लिख लेते हैं, जो इन लेखों में समाहित है। कविताएँ बहुत अच्छी लिखी हैं, बड़ी ह्रदयस्पर्शी लिखी हैं किन्तु शराब, शबाब, इश्क की गजलें नहीं लिखीं। वरना इन्हें भी अब तक पद्मश्री मिल गई होती। बहुत से साहित्यकार जो इनसे कनिष्ठ हैं उनको पद्मश्री मिल चुकी है, राजकीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, कारण वह राजनीति पर नहीं लिखते बल्कि वह विशुद्ध, प्रेम, वियोग, संयोग पर कविताएँ लिखते हैं और इश्क-ओ-मुहब्बत की गजलें लिखते हैं। अतः राजनीतिकार उनको सम्मानित करते हैं। ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जिन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, उन्होंने राजनीति पर कुछ नहीं लिखा विशुद्ध प्रेम की कविताएँ और साफ सुथरी इश्क-ओ-मुहब्बत की गजलें लिखी हैं, इनकी तो कविताओं में भी राजनीति है और गजलों में भी राजनीति है, यह प्रतिक्षण देश की राजनीति के बारे में सोचते हैं, वही सबकुछ लिखते हैं, इसलिए राजकीय सम्मान से वंचित हैं, मैं इनके राजनैतिक साहित्य लेखन से सहमत नहीं हूँ फिर भी इनके साथ हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म है कि इनके हर कर्म में इनके साथ रहूँ। मेरी बात अक्सर मान भी लेते हैं और लेखों में और कविताओं में संशोधन भी कर देते हैं किन्तु फिर भी राजनीति से पीछा नहीं छूट रहा है। जिस दिन ये विशुद्ध साहित्यिक हो जाएँगे और प्रेम की, वियोग की, संयोग की कविताएँ लिखने लगेंगे तब निश्चित ही इन्हें सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन तब मुझे ऐसा लगेगा कि यह किसके वियोग में कविताएँ लिख रहे हैं, क्योंकि तब मेरे मन में प्रश्न उठेगा और यह प्रश्न अच्छा नहीं है, अतः जो यह, लिख रहे हैं, लिखते रहें। मैं साथ हूँ और साथ ही रहूँगी।

– उषा शर्मा